"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 125] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2006—चैत्र 17, शक 1928

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2006

क्रमांक 5384 वि. स./विधान/2006.—छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 (क्रमांक 9 सन् 2006) एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

छत्तीसगढ़ विधेयक

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006

(क्रमांक 9 सन 2006)

विषय सूची

पहला अध्याय– प्रारंभिक

दूसरा अध्याय– रजिस्ट्रीकरण

तीसरा अध्याय– सदस्य,उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार

चौथा अध्याय– सोसाइटियों के कर्त्तव्य, विशेषाधिकार, सम्पत्ति तथा निधियां

पांचवा अध्याय– सोसाइटियों का प्रबन्ध

छठवां अध्याय– संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण

सातवां अध्याय– विवाद तथा माध्यस्थम

आठवां अध्याय– समापन

नवां अध्याय– अपराध तथा शास्तियां

दसवां अध्याय– अपील, पुनर्विलोकन एवं अधिकरण का गठन

ग्यारहवां अध्याय— प्रकीर्ण

छत्तीसगढ़ विधेयक

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006

(क्रमांक 9 सन् 2006)

लोकतांत्रिक साधन के रूप में और स्वयंसेवी तथा पारस्परिक सहायता पर आधारित लोक संस्थाओं के रूप में स्वैच्छिक सहकारी संस्थाओं को संगठित करने, उनका विकास करने और जनता के, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के शोषण को रोकने और उनके सामाजिक–आर्थिक विकास को सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

पहला अध्याय – प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2006 (क्र. 9 सन् 2006) है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होगा.

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(एक) "अपर रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार;

(दो) "शीर्ष सोसाइटी" से अभिप्रेत है, वह सोसाइटी जिसके सदस्य एकाधिक संघीय अथवा केन्द्रीय सोसाइटी हो, और जिसका प्रधान उद्देश्य उन अन्य सोसाइटियों को जो कि उससे संबद्ध हो, संचालन के लिए सुविधाएं देना हो और जिसके संचालन क्षेत्र का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर हो;

परन्तु उस दशा में जहॉं कोई क्रियाशील संघीय या केन्द्रीय सोसाइटी विद्यमान नहीं हो तो प्राथमिक सोसाइटी जैसा कि, रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित की जावे इसके सदस्य हो सकेंगे.

(तीन) "कार्यक्षेत्र" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जहां से सदस्यता ली जाती है या जैसा कि सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट है;

(चार) "सहायक रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का सहायक रजिस्ट्रार;

(पांच) "उपविधियों" से अभिप्रेत है वे उपविधियां जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई हों या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती हों तथा जो तत्समय प्रवृत्त हों, और उनके अन्तर्गत उपविधियों का कोई रजिस्ट्रीकृत संशोधन आता है;

(छह) "केन्द्रीय सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई कोई संसाधन सोसाइटी जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का सं.10) के अधीन या तो अनुज्ञप्त हो या जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रकार अनुज्ञप्त किये जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात हो और—

(क) जिसका कार्य क्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो; और

(ख) जिसका मुख्य उद्देश्य यह हो कि अपने से सम्बद्ध सहकारी सोसाइटियों के लिये निधियों का सृजन करें और कृषिक, औद्योगिक एवं अन्य सहबद्ध प्रयोजनों के लिये उन सहकारी सोसाइटियों के लिये क्रेडिट, माल या सेवाएं अभिप्राप्त करे और क्रेडिट माल या सेवाएं या उधार के रूप में उनका प्रदाय उन सहकारी सोसाइटियों को करे;

(सात) "केन्द्रीय सोसाइटी" से अभिप्रेत है, जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक या अन्य कोई सोसाइटी जिसका कार्यक्षेत्र राज्य के किसी भाग तक सीमित हो तथा जिसका उद्देश्य सदस्य सोसाइटियों के उद्देश्यों को संप्रवर्तित करना है और जिसकी कम से कम पांच सदस्य सोसाइटियां है;

(आठ) "मुख्य कार्यपालक" से अभिप्रेत है धारा 71 के अधीन नियुक्त किया गया व्यक्ति और जिसे समिति के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन के अध्यधीन रहते हुए समिति द्वारा सहकारी सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध सौंपा गया है;

(नौ) "समिति" से अभिप्रेत है धारा 63 के अधीन गठित किया गया प्रबन्ध बोर्ड चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाता हो;

(दस) "कम्पनी" से अभिप्रेत है कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं.1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कम्पनी;

(ग्यारह) "उपभोक्ता सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो अपने सदस्यों तथा साथ ही अन्य ग्राहकों के लिए माल अभिप्राप्त करने या उसका उत्पादन करने तथा प्रसंस्करण करने एवं उन्हें उसका वितरण करने या उनके लिए अन्य सेवायें करने के तथा ऐसे प्रदाय, उत्पादन, प्रसंस्करण एवं वितरण से प्रोद्भूत होने वाले लाभों को अपने सदस्यों तथा ग्राहकों के बीच उस अनुपात में, जो कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में अधिकथित किया जाये, वितरण करने के उद्देश्य से बनाई गई हो;

(बारह) "सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है कोई ऐसा राज्य सहकारी बैंक, कोई ऐसा केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा कोई ऐसा प्राथमिक सहकारी बैंक जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाता हो;

(तेरह) "परिसीमित दायित्व वाली सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई सोसाइटी जिसके सदस्यों का दायित्व उसकी उपविधियों द्वारा उस रकम, यदि कोई हो, जो कि उनके द्वारा धारित अंशो पर अदत्त हो, तक परिसीमित हो या ऐसी रकम जिसका कि, उस सोसाइटी का परिसमापन हो जाने की दशा में, उसकी आस्तियों के प्रति अभिदाय करने का जिम्मा वे अपने ऊपर लें, तक परिसीमित हो;

(चौदह) "सहकारी संघ" से अभिप्रेत है कोई ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसका मुख्य उद्देश्य सहकारिता शिक्षा देना, उसका प्रचार करना, सहकारी सेवाओं का प्रशिक्षण देना और उनका विस्तार करना है;

(पंद्रह) "प्रत्यायुक्त" से अभिप्रेत है व्यष्टिक सदस्यों के समूह द्वारा सोसाइटी के साधारण निकाय में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार निर्वाचित कोई व्यक्ति;

(सोलह) "डिपाजिट इन्श्योरेंस एण्ड गारण्टी कार्पोरेशन" से अभिप्रेत है डिपाजिट इन्श्योरेंस एण्ड गारण्टी कार्पोरेशन एक्ट, 1961 (1961 का सं. 47) के अधीन स्थापित डिपाजिट इन्श्योरेंस एण्ड गारण्टी कार्पोरेशन;

(सत्रह) "उप रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का कोई उप रजिस्ट्रार;

(अठारह) "उप रजिस्ट्रार न्यायिक" से अभिप्रेत है, केवल इस अधिनियम के अधीन प्रकरणों के विचारण हेतु धारा–3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का उप रजिस्ट्रार;

(उन्नीस) "विकास बैंक" से अभिप्रेत है, ऐसा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुआ समझा जाए;

(बीस) "कुटुम्ब" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी, उस पर आश्रित उसकी संतान और उस पर आश्रित तथा उसके साथ संयुक्ततः निवास करने वाले अन्य नातेदार;

(इक्कीस) "कृषि कर्म सोसाइटी" से अभिप्रेत है, ऐसी पंजीकृत सोसाइटी जो भूमि के विकास तथा खेती की अधिक अच्छी पद्धतियों को संप्रवर्तित करने एवं नए कृषि तकनीक को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य से बनाई गयी हो और इसमें सम्मिलित है बेहतर कृषि कर्म सोसाइटी, अभिधारी कृषि कर्म सोसाइटी, सामूहिक कृषि कर्म सोसाइटी, संयुक्त कृषि कर्म सोसाइटी, सिंचाई सोसाइटी, संविदा कृषि कर्म सोसाइटी तथा फसल संवर्धन सोसाइटी;

(बाईस) "संघीय सोसाइटी" से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसकी अंशपूंजी का, सरकारी अंशपूंजी को अपवर्जित करते हुए, कम से कम पचास प्रतिशत सोसाइटियों द्वारा धारित हो;

(तेईस) "वित्तदायी बैंक" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों के अन्तर्गत अन्य सोसाइटियों को या उसके वैयक्तिक सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना आता है, और उसके अन्तर्गत आते है कोई विकास बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक;

(चौबीस) "वनोपज सोसाइटी" से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जिसके गठन का उद्देश्य वनोपज संग्रहण, प्रक्रिया एवं विपणन हो;

(पच्चीस) "साधारण सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो धारा 10 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गये शीर्ष (एक) से (दस) तक में से किसी भी शीर्ष के अंतर्गत न आती हो;

(छब्बीस) "गृह निर्माण सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिए निवास स्थान की व्यवस्था करे;

(सत्ताईस) "औद्योगिक सोसाइटी" से अभिप्रेत है बुनकर, बढ़ई, धातुकर्मकारों, मोची या कोई अन्य सोसाइटी जिसका लक्ष्य किसी भी प्रकार के कच्चे माल से परिष्कृत माल निर्मित करना है, के विकास को संप्रवर्तित करने के उद्देश्य से विरचित कोई सोसाइटी;

(अठाईस) "संयुक्त रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का कोई संयुक्त रजिस्ट्रार;

(उनतीस) "संयुक्त रजिस्ट्रार न्यायिक" से अभिप्रेत है, केवल इस अधिनियम के अधीन प्रकरणों के विचारण एवं अपीलों की सुनवाई हेतु धारा–3 के अधीन नियुक्त सहकारी सोसाइटियों का संयुक्त रजिस्ट्रार;

(तीस) "समापक" से अभिप्रेत है, धारा 105 के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(इक्तीस) "विपणन सोसाइटी" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो कृषि उपज या अन्य उपज का विपणन करने के प्रयोजन के लिए बनाई गई हो और जिसके उद्देश्यों में ऐसी उपज के लिए अपेक्षित वस्तुओं का प्रदाय करना सम्मिलित हो एवं जिसके सदस्य प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियां और कृषक हैं;

(बत्तीस) "सदस्य" से अभिप्रेत है, किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण संबंधी आवेदन में संयोजित होने वाला कोई व्यक्ति या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे रजिस्ट्रीकरण के पश्चात्, इस अधिनियम तथा उन नियमों एवं उपविधियों के, जो कि ऐसी सोसाइटी

को लागू हों, अनुसार सदस्यता प्रदान कर दी गई हो और उसके अंतर्गत राज्य सरकार, जबकि वह किसी सोसाइटी के अंशपूंजी के प्रति अभिदाय करती हो, आती है;

(तैंतीस) "समिति के सदस्य " से अभिप्रेत है सोसाइटी के निर्वाचित, सहयोजित और नामनिर्दिष्ट, समिति के सदस्य और जिसमें शामिल है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति;

(चौंतीस)"बहुप्रयोजन सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके उद्देश्यों में उन प्राथमिक उद्देश्यों में से, जो कि खण्ड (ग्यारह), (छब्बीस), (तैंतालीस) तथा (सैंतालीस) में से किन्ही भी दो या अधिक खण्डो में विनिर्दिष्ट किए गये हैं, कोई प्राथमिक उद्देश्य सम्मिलित हो;

(पैंतीस) "नगर पालिका" से अभिप्रेत है नगर पालिका निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत अथवा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 थ के अधीन गठित कोई अन्य निकाय.

(छत्तीस)"नाममात्र का सदस्य" से अभिप्रेत है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे धारा 29 के अधीन किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया हो;

(सैंतीस)"अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे किसी सोसाइटी द्वारा ऐसी सोसाइटी के क्रियाकलापों के संपादन हेतु नियुक्त किया गया हो और जिसमें प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी या शासकीय अधिकारी भी सम्मिलित है ;

(अड़तीस) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है ऐसे पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का प्रवर्ग जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए;

(उनचालीस)"प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी" से अभिप्रेत है ऐसी सोसाइटी जो कृषि उत्पादन के लिए उधार उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से संगठित की गई है और उसके अन्तर्गत प्राथमिक सेवा सहकारी सोसाइटी, कृषक सेवा सहकारी सोसाइटी, वृहत्ताकार सहकारी सोसाइटी और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति है;

(चालीस)"प्राथमिक सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है बैंक के रूप में रजिस्ट्रीकृत न की गई नगरीय या ग्राम संसाधन सोसाइटी से भिन्न कोई सोसाइटी, जिसके

उद्देश्यों के अंतर्गत उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना और उसके सदस्यों को दिये जाने हेतु क्रेडिट अभिप्राप्त करना आता हो और जो या तो बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 (1949 का सं. 10) के अधीन अनुज्ञप्त हो या जो इस प्रकार अनुज्ञप्त किये जाने तक बैंककारी कारोबार करने के लिए अनुज्ञात है;

(इक्तालीस)"प्राथमिक सोसाइटी" से अभिप्रेत है वह सोसाइटी जो न तो शीर्ष सोसाइटी हो और न केन्द्रीय सोसाइटी;

(बयालीस)"प्रसंस्करण सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन यांत्रिक या शारीरिक प्रक्रिया द्वारा करने के उद्देश्य से बनाई गई हो और उसके अंतर्गत कोई औद्योगिक सोसाइटी तथा कोई ऐसी सोसाइटी, जो कृषि उपज का प्रसंस्करण करने के लिए हो, आती है;

(तैंतालिस)"उत्पादक सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो माल का उत्पादन तथा व्ययन अपने सदस्यों की सामूहिक सम्पत्ति के रूप में करने के उद्देश्य से बनाई गई है और उसके अन्तर्गत कोई ऐसी सोसाइटी आती है जो उसके सदस्यों के श्रम के सामूहिक उपयोजन के उद्देश्य से बनाई गई है;

(चवालिस)"रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार;

(पैंतालिस)"प्रतिनिधि" से अभिप्रेत है किसी सोसाइटी का कोई ऐसा सदस्य जो उस सोसाइटी का प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटी में करे;

(छियालिस)"रिजर्व बैंक" से अभिप्रेत है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 (क्रमांक 2 सन् 1934) के अधीन स्थापित किया गया रिजर्व बैंक आफ इंडिया;

(सैंतालिस)"संसाधन सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो इस उद्देश्य से बनाई गई हो कि वह अपने सदस्यों के लिए उधार (क्रेडिट), माल या सेवायें, जो कि उनके द्वारा अपेक्षित हों, अभिप्राप्त करे और उसके अंतर्गत कोई सेवा सोसाइटी तथा कोई प्राथमिक साख सोसाइटी आती है;

(अड़तालीस)"रिटर्निंग अधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा अधिकारी जिसे राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस हेतु नियत किया हो कि वह अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करे और उसके अंतर्गत रिटर्निंग अधिकारी के अधीनस्थ कोई ऐसा अधिकारी आता है जिसे उसने इस हेतु लिखित में नामनिर्दिष्ट किया हो कि वह रिटर्निंग अधिकारी के कर्त्तव्यों का पालन करें;

(उनचास)"अनुसूचित क्षेत्र" से अभिप्रेत है वह क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र (छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्यप्रदेश राज्य) आदेश, 2003 के अधीन घोषित किया गया है;

(पचास)"अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के सम्बंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति.

(इक्यावन)"अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति.

(बावन)"सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई सहकारी सोसाइटी जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या रजिस्ट्रीकृत हुई समझी जाती हो;

(तिरपन)"विनिर्दिष्ट पद" से अभिप्रेत है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद, चाहे किसी नाम से अभिहित हो;

(चौवन)"राज्य सहकारी बैंक" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक, मर्यादित;

(पचपन)"विद्यार्थी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी शैक्षणिक, व्यवसायिक या प्रशिक्षण संस्था में अध्ययन कर रहा है;

(छप्पन)"अधिकरण" से अभिप्रेत है धारा 114 के अधीन गठित किया गया छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण.

दूसरा अध्याय — रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी.

3. (1) राज्य सरकार राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी अथवा सहकारिता विभाग का अधिकारी जो अपर रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां से अनिम्न श्रेणी का हो, को सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी जो राज्य में ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय् प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई हो तथा ऐसे कर्तव्य का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम द्वारा या इस अधिनियम के अधीन या तत्समय् प्रवृत्त किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार पर अधिरोपित किए गए हैं और निम्नलिखित प्रवर्गों के एक या अधिक अधिकारियों को इस हेतु वे नियुक्त कर सकेगी कि वे उसकी सहायता करें, अर्थातः—

(एक) सहकारी सोसाइटियों का अपर रजिस्ट्रार;

(दो) सहकारी सोसाइटियों का संयुक्त रजिस्ट्रार;

(तीन) सहकारी सोसाइटियों का संयुक्त रजिस्ट्रार, न्यायिक;

(चार) सहकारी सोसाइटियों का उप रजिस्ट्रार;

(पांच) सहकारी सोसाइटियों का उप रजिस्ट्रार, न्यायिक;

(छह) सहकारी सोसाइटियों का सहायक रजिस्ट्रार;

(सात) अधिकारियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जो कि विहित किये जाये.

(2) रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किये गये अधिकारी, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का तथा इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन रजिस्ट्रार पर अधिरोपित किये गये ऐसे कर्त्तव्यों का, जैसा कि राज्य सरकार, विशेष या साधारण आदेश द्वारा, निर्देश दे, प्रयोग तथा पालन ऐसे क्षेत्रों के भीतर करेंगे जैसे कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे:

(3) रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किये गये अधिकारी रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे और उसके साधारण मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे.

सोसाइटियां जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी.

4. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी ऐसी सोसाइटी को, जिसका कि उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार संप्रवर्तित करना हो, या किसी ऐसी

सोसाइटी को, जो कि किसी ऐसी सोसाइटी की संक्रियाओं को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा.

परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण.

5. कोई सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी:

परन्तु जब तक कि राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अन्यथा निर्देशित न करे, किसी ऐसी सोसाइटी का, जिसकी की सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो, दायित्व परिसीमित होगा.

रजिस्ट्रीकरण की शर्तें.

6. (1) जिस सोसाइटी की सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो उस सोसाइटी से भिन्न कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जायेगी यदि वह कम से कम ऐसे बीस व्यक्तियों से मिलकर न बनी हो, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्रमांक 9 सन् 1873) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम हों तथा जो निकट के नातेदार न होकर बीस भिन्न–भिन्न कुटुम्बों के हों, और उस दशा में जबकि सोसाइटी के उद्देश्यों में उसके सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना सम्मिलित हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नही की जायेगी यदि ऐसे व्यक्ति, उस दशा में के सिवाय जबकि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे, उसी नगर या ग्राम में या ग्रामों के किसी समूह में निवास न करते हो:

परन्तु अनन्यतः विद्यार्थियों के फायदे के लिये बनाई गई कोई सोसाइटी इस बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी कि ऐसी सोसाइटी के सदस्यों ने उस विधि, जिसके कि अध्यधीन वे है, के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है:

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार न्यूनतम सदस्यता की शर्त को, ऐसी सोसाइटी के लिए, जो किसी संगठन/स्थापना के कर्मचारियों के कल्याण के लिए संगठित की गई, शिथिल कर सकेगा:

परन्तु यह और भी कि किसी प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण के समय कम से कम 33 प्रतिशत महिला सदस्य होंगी:

परन्तु यह और भी कि रजिस्ट्रार, पर्याप्त कारणों से महिला सदस्यों की विहित प्रतिशतता की शर्तों को शिथिल कर सकेगा.

(2) शब्द "परिसीमित" या किसी भारतीय भाषा में उसका पर्याय प्रत्येक ऐसी सोसाइटी के, जो कि इस अधिनियम के अधीन परिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की गई हो, नाम में अन्तिम शब्द होगा.

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन.

7. (1) रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए, किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन विहित प्रारूप में रजिस्ट्रार को किया जायेगा और उसके साथ सोसाइटी की प्रस्थापित उपविधियों की चार-चार प्रतिलिपियां संलग्न होंगी. वह व्यक्ति, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाय, सोसाइटी के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करे.

(2) आवेदन,–

(क) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कि सदस्य कोई अन्य सोसाइटी न हो, कम से कम बीस ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जो धारा 6 की अपेक्षाओं के अनुसार अर्हित हों; और

(ख) किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कि सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो, प्रत्येक ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सम्यकरूपेण प्राधिकृत किया गया हो, और जहां उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियां न हों, वहां बीस अन्य सदस्यों द्वारा या, जब अन्य सदस्य बीस से कम हों, तो उन सबके द्वारा;

हस्ताक्षरित किया जायेगा.

कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

8. जहां किसी सोसाइटी के बनाये जाने, उसका रजिस्ट्रीकरण किया जाने या उसके बने रहने के संबंध में या किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत हो कि कोई व्यक्ति कृषक है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट क्षेत्र में निवास करता है या नहीं अथवा कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वर्ग या उपजीविका से संबंधित है या नहीं अथवा जहां किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिये किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में ऐसा ही कोई अन्य प्रश्न उद्भूत हो, वहां ऐसा प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा.

रजिस्ट्रीकरण.

9. (1) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाय कि किसी सोसाइटी ने इस अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों का अनुपालन किया है और यह कि उसकी प्रस्थापित उपविधियां इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं हैं, तो वह उस सोसाइटी को

रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा:

परन्तु किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जायगा यदि, रजिस्ट्रार की राय में, उसके आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाने की संभावना हो या यह संभावना हो कि उसका किसी अन्य सोसाइटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

(2) जहां रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को या उसकी उपविधियों को रजिस्ट्रीकृत करने से इंकार कर देता है, वहां वह इंकार संबंधी आदेश उस इंकार के कारणों सहित आवेदन के प्रथम हस्ताक्षरकर्ता को संसूचित करेगा.

(3) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से, नब्बे दिन के भीतर, विनिश्चय करेगा.

परन्तु यदि रजिस्ट्रार पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से 15 दिन के भीतर अभिलिखित किए जाने वाले कारणों सहित ऐसे आवेदन को अपने उच्च अधिकारी को निर्देशित करेगा.

(4) रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों का एक रजिस्टर रखेगा.

सोसाइटियों का वर्गीकरण.

10. (1) रजिस्ट्रार समस्त सोसाइटियों का वर्गीकरण निम्नलिखित एक या अधिक शीर्षों के अधीन करेगा, अर्थात् :—

(एक) उपभोक्ता सोसाइटी;
(दो) कृषि कर्म सोसाइटी;
(तीन) वनोपज सोसाइटी;
(चार) गृह निर्माण सोसाइटी;
(पांच) औद्योगिक सोसाइटी
(छह) विपणन सोसाइटी;
(सात) बहुप्रयोजन सोसाइटी;
(आठ) प्रसंस्करण सोसाइटी;
(नौ) उत्पादक सोसाइटी;
(दस) संसाधन सोसाइटी;
(ग्यारह) साधारण सोसाइटी

परन्तु किसी विशिष्ट वर्ग की सोसाइटियों की संक्रिया को सुकर बनाने के उद्देश्य से बनाई गई सोसाइटी उस वर्ग की सोसाइटी के रूप में वर्गीकृत की जायगी.

(2) रजिस्ट्रार उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किये गये शीर्षों में से किसी शीर्ष के अधीन आने वाली सोसाइटियों का निम्नलिखित शीर्षों के अधीन और भी वर्गीकरण कर सकेगा, अर्थात :—

(एक) शीर्ष सोसाइटी;
(दो) केन्द्रीय सोसाइटी;
(तीन) संघीय सोसाइटी;
(चार) प्राथमिक सोसाइटी:

परन्तु इस अधिनियम एवं उनके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कार्यशील सहकारी शक्कर कारखाना का वर्गीकरण शीर्ष सोसाइटी के रूप में किया जायेगा.

(3) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी सोसाइटी के वर्गीकरण को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में परिवर्तित कर सकेगा.

(4) सोसाइटियों के वर्गीकरण के बारे में रजिस्ट्रार का विनिश्चय अन्तिम होगा.

सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन.

11. (1) किसी सोसाइटी की उपविधियों का कोई भी संशोधन तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज न किया गया हो, जिस प्रयोजन के लिये उस प्रस्तावित संशोधन की चार प्रतियां विहित रीति में रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी.

(2) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गए नियमों के प्रतिकूल नहीं है तथा सोसाइटी के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के या उसकी विद्यमान उपविधियों में से किसी भी उपविधि के प्रतिकूल नहीं है तो वह उस संशोधन को रजिस्टर में दर्ज कर सकेगा.

(3) रजिस्ट्रार आवेदक सोसाइटी को सुनवाई का अवसर दिए बिना उपविधियों के किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार नहीं करेगा. यदि वह किसी संशोधन को रजिस्टर में दर्ज करने से इंकार करने का विनिश्चय करता है तो वह इंकार संबंधी आदेश उस इंकार के कारणों सहित प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से पैंतालिस दिन के भीतर सोसाइटी को संसूचित करेगा :

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को, और

जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है, वहां राज्य सरकार को निर्देशित करेगा, यथास्थिति जो या जिसके द्वारा, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से दो मास के भीतर निपटारा किया जाएगा और यथास्थिति ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारा करने में असफल रहने पर उपविधियों का संशोधन रजिस्ट्रीकृत कर दिया गया समझा जाएगा.

उपविधियों के संशोधन के लिए निदेश देने की शक्ति.

12. (1) इस अधिनियम या नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सोसाइटी के पचास प्रतिशत से अधिक सदस्यों के अनुरोध पर या यदि रजिस्ट्रार यह समझता है कि किसी सोसाइटी की उपविधियों में कोई संशोधन किया जाना ऐसी सोसाइटी के हित में आवश्यक या वांछनीय है, तो वह, उस सोसाइटी पर विहित रीति में तामील किए जाने वाले लिखित आदेश द्वारा, उस सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह साठ दिन के भीतर, ऐसा संशोधन करें.

(2) यदि वह सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर संशोधन करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार, उस सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी शीर्ष/संघीय सोसाइटी की, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, राय मांगने के पश्चात्, ऐसा संशोधन रजिस्टर कर सकेगा और उसकी एक प्रमाणित प्रति ऐसी सोसाइटी को जारी कर सकेगा;

परन्तु इस धारा के उपबंध नगरीय सहकारी बैंकों के मामले में लागू नहीं होंगे.

नाम की तब्दीली.

13. कोई सोसाइटी, अपनी उपविधियों में संशोधन करके, अपना नाम तब्दील कर सकेगी, किन्तु ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी के या उसके सदस्यों में से किसी सदस्य के, या भूतपूर्व सदस्यों के, या मृत सदस्यों के किसी अधिकार या उनकी किसी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी या ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्व किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनायेगी, और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां, जो उस सोसाइटी द्वारा या उसके विरूद्व उसके पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती हों या प्रारंभ की जा सकती हों, उसके नवीन नाम से उसी प्रकार जारी रखी जायेगी या प्रारंभ की जायेगी.

कतिपय प्रमाण पत्रों का निश्चायक साक्ष्य होना.

14. (1) जहां कोई सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जाती है, वहां रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा और ऐसा प्रमाण-पत्र इस बात का कि उसमें वर्णित सोसाइटी सम्यकरूपेण रजिस्ट्रीकृत है, निश्चायक साक्ष्य होगा जब तक कि यह न

साबित कर दिया जाए कि उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण बाद में रद्द कर दिया गया है.

(2) कोई भी सोसाइटी तब तक कारोबार प्रारंभ नहीं करेगी जब तक कि उसने उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त न कर लिया हो और ऐसी सोसाइटी का प्रत्येक ऐसा सदस्य, जो इस उपधारा के उल्लंघन में कारबार कर रहा है, ऐसे कारबार में उपगत किये गये समस्त दायित्वों के लिये पृथक्-पृथक् दायी होगा.

(3) जब रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी की उपविधियों के किसी संशोधन को धारा 11 या धारा 12 के अधीन रजिस्टर में दर्ज करता है, तो वह, उस संशोधन की, जो उसके रजिस्टर में दर्ज किया गया हो, एक प्रतिलिपि उस सोसाइटी को देगा जो कि इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगी कि वह संशोधन रजिस्टर में सम्यक्रूपेण दर्ज कर लिया गया है.

(4) जहां कोई सोसाइटी अपना नाम धारा 13 के अधीन तब्दील करती है, वहां रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र को तदानुसार संशोधित करेगा जो कि इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि नाम की वह तब्दीली रजिस्टर में सम्यक्रूपेण दर्ज कर ली गई है.

सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील किया जाना.

15. (1) धारा 11 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई सोसाइटी अपनी उपविधियों में संशोधन करके अपने दायित्व को परिसीमित से अपरिसीमित में या अपरिसीमित से परिसीमित में तब्दील कर सकेगी.

(2) कोई ऐसा संशोधन रजिस्ट्रार द्वारा तब तक रजिस्टर में दर्ज नही किया जायेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि,—

(एक) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को तथा किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, जिसके हित पर, रजिस्ट्रार की राय में, उस तब्दीली का प्रभाव पड़ सकता है, इक्कीस दिन की सूचना दी जा चुकी है; और

(दो) प्रत्येक ऐसे सदस्य या व्यक्ति के मामले में जो, रजिस्ट्रार की राय मे, सूचना पाने का हकदार है,—

(क) उस तब्दीली के लिये या तो उसकी अनुमति अभिप्राप्त कर ली गई है या सूचना की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर उसके द्वारा आपत्ति न किये जाने के आधार पर अभिप्राप्त हो गई समझी जाती है;

(ख) यदि उसने आपत्ति की है, तो–

(एक) उस दशा में, जबकि वह सदस्य है, यह अनुज्ञा दे दी गई है कि वह अपना अंश वापस ले ले; या-

(दो) उस दशा मे, जबकि वह लेनदार है, आपत्ति प्राप्त होने की तारीख से तीन मास के भीतर उसके ऋण या दावे को रजिस्ट्रार के समाधानप्रद रूप में उन्मोचित कर दिया गया है या समाप्त कर दिया है या प्रतिभूत कर दिया गया है:

परन्तु रजिस्ट्रार, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग की दशा में इस उपधारा द्वारा अपेक्षित की गई सूचना दिये जाने से अभिमुक्ति अभिलिखित किये जाने वाले विशेष कारणों से प्रदान कर सकेगा.

सोसाइटियों का पुनर्गठन. 16. (1) इस धारा में,–

(क) "प्रभावित सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जो उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट की गई रीतियों में से किसी भी रीति में स्वयं का पुनर्गठन करने का विनिश्चिय करती है; और

(ख) "परिणामी सोसाइटी" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी–

(एक) जो उपधारा (2) के खण्ड (एक) के अधीन समामेलन के परिणामस्वरूप बनी हो; या

(दो) जिसको कि प्रभावित सोसाइटियों की आस्तियों तथा उनके दायित्व उपधारा (2) के खण्ड (दो) के अधीन पूर्णतः या भागतः अन्तरित किये गये हों; या

(तीन) जो उपधारा (2) के खण्ड (तीन) के अधीन विभाजन के परिणामस्वरूप बनी हो; या

(चार) जो उपधारा (2) के खण्ड (चार) में यथा उपबंधित वर्ग की तब्दीली के परिणामस्वरूप बनी हो.

(2) कोई सोसाइटी,–

(एक) स्वयं को किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलित करके; या

(दो) अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को किसी अन्य सोसाइटी को पूर्णतः या भागतः अन्तरित करके; या

(तीन) स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित करके ; या

(चार) स्वयं को किसी ऐसे वर्ग की सोसाइटी के, जिसका कि उद्देश्य सोसाइटी के उस वर्ग से तत्वतः भिन्न हो जिसके कि अधीन उसका वर्गीकरण इस अधिनियम के अधीन किया गया है, रूप में संपरिवर्तित करके;

स्वयं को पुनर्गठित करने का विनिश्चय उस प्रयोजन के लिये आयोजित किये गये विशेष साधारण सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो तिहाई बहुमत से पारित किये गये संकल्प द्वारा कर सकेगी:

परन्तु कोई भी ऐसा विनिश्चय तब तक प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि रजिस्ट्रार द्वारा उसका अनुमोदन न कर दिया जाये:

परन्तु यह और भी कि किसी सहकारी बैंक के मामले में, रजिस्ट्रार अपना अनुमोदन रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही देगा अन्यथा नहीं.

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाये कि लोकहित में या प्रभावित सोसाइटियों के सदस्यों के हित में यह अत्यावश्यक है या किसी सोसाइटी के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है, तो वह यह निर्देश दे सकेगा कि कोई सोसाइटी या सोसाइटियां उपधारा (2) में उपदर्शित की गई रीतियों में से किसी भी एक या अधिक रीतियों में स्वयं को पुनर्गठित करें/करे:

परन्तु किसी सहकारी बैंक के मामले में, रजिस्ट्रार कोई निर्देश रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही जारी करेगा अन्यथा नहीं :

परन्तु यह और भी कि इस धारा के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा अन्तिम आदेश दिये जाने के पूर्व, संबंधित प्रत्येक सोसाइटी को पुनर्गठन की प्रस्थापनाओं पर अपनी राय अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जायेगा.

(4) यथास्थिति उपधारा (2) के अधीन विनिश्चय या उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार के निर्देश के अनुसार किसी

सोसाइटी के पुनर्गठन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि विहित की जावे.

(5) यदि उपधारा (2) या (3) के अधीन के किसी ऐसे पुनर्गठन से किसी व्यक्ति के हितों पर किसी भी रीति में प्रभाव पड़ना संभाव्य हो तो उसकी (ऐसे पुनर्गठन की)सूचना ऐसे समस्त व्यक्तियों को दी जायेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को यह विकल्प दिया जायेगा कि वह या तो परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों का सदस्य बन जाये अथवा प्रभावित सोसाइटी के संबंध में यथास्थिति अपने अंश या हित या शोध्यों के संदाय की मांग करे, और इस विकल्प का प्रयोग ऐसी सूचना जारी होने की तारीख से एक मास के भीतर किया जायेगा.

(6) कोई भी पुनर्गठन तब तक अन्तिम नहीं होगा जब तक कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि हित पर प्रभाव पड़ना संभाव्य है, अनुमति अभिप्राप्त न कर ली गई हो या उसे दिये गये विकल्प का उसके द्वारा प्रयोग न किये जाने के आधार पर अभिप्राप्त हो गई न समझी जाती हो, और इसके अतिरिक्त, जब तक कि उन व्यक्तियों के, जिन्होंने उपधारा (5) के अधीन अपने अंशों या हितों या शोध्यों के संदाय की मांग करने के विकल्प का प्रयोग किया हो, समस्त दावों की पूर्णतः पूर्ति न कर दी गई हो.

(7) इस धारा के अधीन प्रत्येक परिणामी सोसाइटी का गठन, उसकी संपत्ति, शक्तियां, अधिकार, हित, प्राधिकार, कर्त्तव्य तथा बाध्यताएं ऐसी होंगी, जैसा कि पुनर्गठन की स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाये और पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम में ऐसे पारिणामिक, आनुषांगिक तथा अनुपूरक उपबंध होंगे जैसे कि, रजिस्ट्रार की राय में, ऐसी योजना को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक हो.

(8) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का अधि. सं.4) या भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का अधि.सं. 16) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सोसाइटी का कोई ऐसा संकल्प, जो रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन अनुमोदित कर दिया गया हो या कोई ऐसा आदेश, जो रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (3) के अधीन पारित किया गया हो, प्रत्येक प्रभावित सोसाइटी की आस्तियों तथा दायित्वों को संबंधित परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों में निहित करने के लिये पर्याप्त हस्तांतरण होगा और ऐसा निहित किया जाना पुनर्गठन के स्कीम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए ही होगा.

(9) सोसाइटियों के पुनर्गठन का परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी अधिकार या बाध्यता पर किसी भी रीति में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या ऐसी पुनर्गठन उन सोसाइटी या उन सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरूद्व किन्हीं विधिक कार्यवाहियों को त्रुटिपूर्ण नहीं बनायेगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियां, जो कि पुनर्गठन के पूर्व यथास्थिति उस सोसाइटी या उन सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरूद्व चालू रखी जा सकती थीं या प्रारम्भ की जा सकती थीं, परिणामी सोसाइटी या सोसाइटियों द्वारा अथवा उसके या उनके विरूद्व चालू रखी जा सकेगी या प्रारम्भ की जा सकेंगी.

(10) जहां कोई दो या अधिक सोसाइटियां समामेलित की गई हों या कोई सोसाइटी विभाजित या संपरिवर्तित की गई हो, वहां ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह समामेलित सोसाइटी के या संपरिवर्तित सोसाइटी के या उन नवीन सोसाइटियों के, जिनमें कि वह सोसाइटी विभाजित की गई है, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को रद्द कर दिया गया है.

(11) जहां किसी विकास बैंक को किसी केन्द्रीय बैंक के साथ समामेलित करके पुनर्गठित किया जाता हो वहां उस समामेलित बैंक को उस विकास बैंक के कारोबार संबंधी उन समस्त संव्यवहारों के संबंध में, जो कि ऐसे समामेलन पर और उसके पश्चात् किये जाने हैं, विकास बैंकों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अन्तर्गत विकास बैंक समझा जायेगा.

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजन के लिए, "केन्द्रीय बैंक" से अभिप्रेत है कोई ऐसी सोसाइटी जिसके नाम के भाग के रूप में शब्द "केन्द्रीय बैंक" या "जिला बैंक" जुड़े हुए हों और जिसका मुख्य उद्देश्य उन सोसाइटियों का, जो कि उसकी सदस्य हों, और किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित हों, वित्तपोषण करना हो.

(12) ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी.

सोसाइटियों द्वारा सहयोग.

17. कोई भी सोसाइटी किसी भी सहकारी, किसी भी सरकार के उपक्रम या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी उपक्रम के साथ किसी विशेष कारबार के लिए, जिसमें औद्योगिक विनिधान, वित्तीय सहायता या विपणन और प्रबंधन् विशेषज्ञता सम्मिलित है, सहयोग कर सकेगी.

सोसाइटियों की भागीदारी.

18. कोई भी दो या अधिक सोसाइटियां ऐसी प्रत्येक सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, उपविधियों के अधीन किसी भी अनुज्ञेय विशिष्ट कारबार में भागीदारी की संविदा ऐसे निबन्धन तथा शर्तों पर जो कि पारस्परिक रूप से करार पाए जाएं कर सकेंगी. जहां इस प्रकार की भागीदारी कोई नया संगठन बनाने की अपेक्षा करती है, वहां भाग लेने वाली सोसाइटियां उसकी सदस्य होंगी.

लोक हित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति.

19. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी सोसाइटी या सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार, ऐसी पुनर्गठन स्कीम बना सकेगी जैसी कि वह आवश्यक समझे और उपरोक्त स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए आदेश जारी कर सकेगी.

परन्तु यह भी कि, किसी सहकारी बैंक के मामले में, रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी.

(2) पुनर्गठन स्कीम में निम्नलिखित के संबंध में उपबन्ध होंगे :—

(क) पुनर्गठन की रीति;

(ख) पुनर्गठन की प्रक्रिया;

(ग) सदस्यता, रजिस्ट्रेशन, प्रबंध, आस्तियां और दायित्व, शक्तियां, अधिकार, हित, कर्तव्य, कर्मचारीवृन्द ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों की सेवा की शर्तें जो पुनर्गठन के पश्चात् बनाए गए हों;

(घ) ऐसे अन्य पारिणामिक, आनुषांगिक और अनुपूरक उपबंध जैसा कि आवश्यक हो;

(ड.) अन्य ऐसे विषय जैसा कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाएं.

(3) राज्य सरकार उप–धारा (1) के अधीन जारी किन्हीं आदेशों या बनाई गई किसी पुनर्गठन स्कीम को उपान्तरित या निरस्त कर सकेगी.

(4) प्रत्येक पुनर्गठन स्कीम के संबंध में उपबंध और राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश हितबद्ध पक्षकारों पर आबद्धकर होंगे.

(5) ऐसे पुनर्गठन की प्रत्येक स्कीम सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत्र में प्रकाशित की जायेगी.

दायित्वों के प्रतिसंदाय के लिये समझौता या ठहराव तथा सोसाइटियों का पुनर्निर्माण.

20. (1) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां –

(क) किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के और

(ख) किसी सोसाइटी तथा उसके सदस्यों के बीच किसी समझौते या ठहराव की प्रस्थापना की जाये, वहां रजिस्ट्रार उस सोसाइटी के या उस सोसाइटी के किसी सदस्य के या उसके किसी लेनदार के या किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसका की परिसमापन किया जा रहा है, समापक के आवेदन पर, यथास्थिति सदस्यों या लेनदारों या दोनों का सम्मिलन ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, बुलाये जाने, आयोजित किये जाने तथा संचालित किये जाने का आदेश दे सकेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार, कोई समझौता या ठहराव कराने के प्रयोजन के लिए स्वप्रेरणा से भी ऐसा सम्मिलन बुलाये जाने का आदेश दे सकेगा.

(2) यदि ऐसी बहुसंख्या, जो सम्मिलन में उपस्थित तथा व्यक्तिशः मतदान करने वाले सदस्यों के तीन–चौथाई के या मूल्यांकन की कुल रकम के, जो कि सम्मिलन में उपस्थित तथा मतदान करने वाले लेनदारों को शोध्य हो, तीन चौथाई के, जैसी भी कि दशा हो, बराबर है, किसी समझौते या ठहराव के लिए सहमत हो जाती है, तो वह समझौता या ठहराव रजिस्ट्रार द्वारा पुष्टि कर दिए जाने पर, यथास्थिति, समस्त लेनदारों पर तथा सोसाइटी पर भी, या किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक पर आबद्धकर होगा:

परन्तु रजिस्ट्रार किसी समझौते या ठहराव की तब तक पुष्टि नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान न हो जाय कि यथास्थिति उन समस्त सदस्यों या लेनदारों को, जिनके कि हित ऐसे समझौते या ठहराव से प्रभावित हुए है, ऐसे सम्मिलन की सूचना प्राप्त हो चुकी थी:

परन्तु यह और कि किसी सहकारी बैंक के मामले में, रजिस्ट्रार समझौते या ठहराव की पुष्टि रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से ही करेगा अन्यथा नहीं.

(3) जब किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच किसी समझौते या ठहराव पर विचार करने के लिए सम्मिलन बुलाने का कोई आदेश उपधारा (1) या उसके परन्तुक के अधीन पारित किया जाय, तो रजिस्ट्रार

ऐसे आदेश की सूचना उस सिविल न्यायालय को दे सकेगा जिसमें उस सोसाइटी के किसी ऐसे दायित्व के, जो कि किसी ऐसे लेनदार को शोध्य हो जिसे कि उस आदेश की प्रतिलिपि भेजी गई है, संबंध में कार्यवाहियां, चाहे वे उक्त आदेश के पूर्व संस्थित की गई हों या उसके पश्चात्, लम्बित हों, और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर वह सिविल न्यायालय उन कार्यवाहियों को रोक देगा. यदि किसी ऐसे समझौते या ठहराव की पुष्टि उपधारा (2) के अधीन न की जाये तो रजिस्ट्रार सिविल न्यायालय को तद्नुसार इत्तिला देगा और वे कार्यवाहियां, जो रोक दी गई हों, पुनः चालू की जायेंगी.

(4) यदि किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारो या उनके किसी वर्ग के बीच किसी समझौते या ठहराव की पुष्टि उपधारा (2) के अधीन कर दी जाये, तो उन कार्यवाहियों का, यदि कोई हों, जो उपधारा (3) के अधीन रोक दी गई हैं, उपशमन हो जायेगा, और उस सोसाइटी के किसी भी ऐसे दायित्व, जिससे कि वह समझौता या ठहराव संबंधित हैं, के संबंध में कोई भी कार्यवाहियां किसी सिविल न्यायालय में नहीं हो सकेंगी.

(5) रजिस्ट्रार, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, लेनदारों के किसी वर्ग को इस धारा या उसके किन्हीं भी उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा.

(6) किसी ऐसे समझौते या ठहराव को, जिसकी की पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा कर दी गई हो, किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा.

(7) यदि कोई लेनदार, जिसके कि संबंध में किसी समझौते या ठहराव की पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन कर दी गई हो, ऐसे समझौते या ठहराव के अधीन उनको देय रकम, वैसा करने के लिए सम्यक् सूचना दे दी जाने के पश्चात्, उस कालावधि के भीतर, जो कि ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट की गई हो, प्राप्त नहीं करता तो यथास्थिति वह सोसाइटी या समापक उस रकम को ऐसी रीति में निक्षिप्त करेगा जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा निर्देशित की जाय, ऐसा निक्षेप कर दिया जाने पर, उस रकम के, जो कि उस समझौते या ठहराव के अधीन लेनदार को देय हो, संबंध में यह समझा जायेगा कि उसकी अदायगी निक्षेप की सीमा तक कर दी गई है.

(8) किसी सोसाइटी तथा उसके लेनदारों या उनके किसी वर्ग के बीच हुआ कोई समझौता या ठहराव, जिसकी कि पुष्टि रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (2) के अधीन कर दी गई हो, जैसे

डी, उस दायित्व की, जो उसके अधीन अवधारित किया गया है, सम्पूर्ण रकम, चाहे इस धारा के उपबंधों के अधीन या अन्यथा, चुका दी जाय या चुका दी गई समझी जाये, प्रवृत्त नहीं रहेगा, भले ही ऐसे दायित्व के उन्मोचन के लिए मूलतः नियत की गई कालावधि का अवसान न हुआ हो.

(9) ऐसे समझौते या ठहराव के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात्, उस दायित्व के, जो कि उक्त समझौते या ठहराव का विषय रहा था, संबंध में कोई और दावा ऐसी सौसाइटी के विरूद्व या किसी ऐसी जंगम या स्थावर संपत्ति के, जिसे कि वह सोसाइटी पत्पश्चात् अर्जित करे, विरूद्व शेष नहीं रह जायेगा और वह सोसाइटी अपना सामान्य कारोबार चलाने के लिए स्वतंत्र होगी.

अधिस्थगन के अधीन बैंकों की कार्यवाही, तथा उनका दायित्व.

21. जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट, 1949 (क्र.10 सन् 1949) की धारा 45 की उपधारा (2) के अधीन अधिस्थगन का आदेश सहकारी बैंक के संबंध में किया गया हो, वहां रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के लिखित पूर्व अनुमोदन से, अधिस्थगन की कालावधि के दौरान –

(एक) सहकारी बैंक के पुनः निर्माण या पुनर्गठन के लिए; या

(दो) सहकारी बैंक का किसी अन्य बैंक के साथ समामेलन किये जाने के लिए स्कीम तैयार कर सकेगा.

डिपाजिट इन्श्योरेंस कार्पोरेशन को प्रतिसंदाय करने का नवीन बैंको का दायित्व.

22. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई ऐसा सहकारी बैंक, जो डिपाजिट इन्श्योरेंस कार्पोरेशन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, समामेलित किया जाय या जिसके संबंध में समझौते या ठहराव को अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की स्कीम मंजूर की गई हो और डिपाजिट इन्श्योरेंस कार्पोरेशन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं को उस एक्ट की धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन भुगतान करने के लिए दायी हो गया हो, वहां वह बैंक, जिसके साथ ऐसे बीमाकृत बैंक का समामेलन किया गया हो, या वह नवीन सहकारी बैंक, जो ऐसे समामेलन के पश्चात् बनाया गया हो, या यथास्थिति, बीमाकृत बैंक या अन्तरिती बैंक उन परिस्थितियों में डिपाजिट इन्श्योरेंस कार्पोरेशन की उस सीमा तक तथा उस रीति में, जो कि डिपाजिट इन्श्योरेस कार्पोरेशन एक्ट, 1961 (क्र. 47 सन् 1961) की धारा 21 में निर्दिष्ट की गई है, प्रति संदाय करने की बाध्यता के अधीन होगा.

रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना.

23. (1) यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियां और दायित्व किसी अन्य सोसाइटी को हस्तान्तरित कर देती है या, किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलन कर लेती है या

स्वयं को दो या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर लेती है या धारा 24 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन उसका रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया जाता है या, धारा 102 के अधीन सोसाइटी का परिसमापन हो जाता है तो रजिस्ट्रार ऐसे सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द करने वाला आदेश करेगा. सोसाइटी रद्दकरण के ऐसे आदेश की तारीख से विघटित समझी जाएगी और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

(2) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सोसाइटी के समापन या विघटन से संबंधित कोई भी कार्यवाहियां इस अधिनियम के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व लंबित हों, तो ऐसी कार्यवाहियां, ऐसे प्रारंभ के पश्चात् उस विधि के उपबंधों के अनुसार निपटाई जायेंगी जिसके कि अधीन ऐसी सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई थी.

सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण का समाप्त किया जाना.

24. (1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई सोसाइटी उसके आवेदकों द्वारा दुर्व्यपदेशन के आधार पर रजिस्ट्रीकृत कर दी गई है या जहां सोसाइटी का कार्य पूर्ण हो चुका है, या जिन प्रयोजनों के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई है, उनकी पूर्ति नहीं हो रही है, तो वह, उसके समिति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर सकेगा:

(2) जहां उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण समाप्त कर दिया गया है, वहां रजिस्ट्रार इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासकीय समनुदेशिती की नियुक्ति को सम्मिलित करते हुए ऐसे अनुषांगिक और पारिणामिक आदेश कर सकेगा जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित है.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, शासकीय समनुदेशिती संपत्तियों, आस्तियों, पुस्तकों, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों का प्रभार लेने की तारीख से, एक वर्ष की कालावधि के भीतर आस्तियों की वसूली और दायित्वों का परिसमापन करेगा. पूर्वोक्त कालावधि रजिस्ट्रार के विवेकानुसार समय–समय पर इस प्रकार बढ़ाई जा सकेगी, कि जिससे ऐसी कालावधि कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक न हो जाए.

(4) शासकीय समनुदेशिती को ऐसे पारिश्रमिक और भत्तों का संदाय किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाए.

(5) उपधारा (1) और (2) के अधीन राजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग सहकारी सोसाइटियों के संयुक्त रजिस्ट्रार की श्रेणी से निम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा नहीं किया [illegible]

तीसरा अध्याय

सदस्य, उनके अधिकार, दायित्व तथा विशेषाधिकार

व्यक्ति जो सदस्य हो सकेंगे.

25. (1) निम्नलिखित के सिवाय किसी भी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत नहीं किया जायेगा, अर्थात् :–

(एक) जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्र.11 सन् 1872) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिये सक्षम हो;

(दो) कोई अन्य सोसाइटी;

(तीन) लोक न्यास जो छत्तीसगढ़ पब्लिक ट्रस्ट्स एक्ट, 1951 (क्र. 30 सन् 1951) के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो;

(चार) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत, स्थापित या गठित कोई फर्म, कम्पनी या कोई अन्य निगमित निकाय जिसमें उसके भागीदारों या निर्देशकों के रूप में कोई अवयस्क व्यक्ति न हो;

(पांच) छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1959 (क्र.1 सन् 1960) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी जो कि राज्य सरकार द्वारा, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस संबंध में अनुमोदित किया जाय;

(छह) राज्य सरकार:

परन्तु खण्ड (एक) के उपबंध–

(क) व्यक्ति, जो अनन्यतः विद्यार्थियों के लिये बनाई गई किसी सोसाइटी में प्रवेश चाहता हो;

(ख) अवयस्क, जो न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये संरक्षक के मार्फत कार्य कर रहा हो;

को लागू नहीं होंगे.

परन्तु यह कि किसी भी सोसाइटी का ऐसा सदस्य समरूप कारोबार करने वाली या एक ही प्रयोजन के लिए गठित दूसरी सोसाइटी में सदस्य नही हो सकेगा;

परन्तु यह और भी कि कोई भी व्यक्ति निगमित शक्कर कारखाने की सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में अपने प्रवेश के लिए तब तक अर्ह नही होगा जब तक वह गन्ना उत्पादक न हो. किन्तु यह सहकारी सोसाइटी पर लागू नही होगा.

(2) इस अधिनियम या नियमों में या किसी सोसाइटी की उपविधियों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार ने किसी सोसाइटी की अंशपूंजी में अभिदाय किया हो, वहां राज्य सरकार का दायित्व उसके द्वारा धारित अंशों के अंकित मूल्य तक ही सीमित होगा.

(3) इस अधिनियम में या उसके अधीन बनाए गए नियमों में या यथास्थिति, किसी संसाधन सोसाइटी या उपभोक्ता सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के उपबंधों तथा उस सोसाइटी की उपविधियों के अधीन सदस्य के रूप में स्वीकृत किये जाने के लिए सम्यक रूप से अर्हित हो, ऐसी सोसाइटी की सदस्यता के लिए कोई आवेदन करे, तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसे ऐसी सोसाइटी के कार्यालय में वह आवेदन प्राप्त होने की तारीख से ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है:

परन्तु रजिस्ट्रार या तो स्वप्रेरणा से किसी भी समय या सोसाइटी या किसी व्यथित व्यक्ति के ऐसे आवेदन पर, जो कि पूर्वोक्त तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर किया गया हो, तथा सोसाइटी या संबंधित व्यक्ति को युक्तियुकत अवसर देने के पश्चात्, उस तारीख से, जिसको कि रजिस्ट्रार को आवेदन प्राप्त हुआ हो, पैंतालिस दिन के भीतर, आदेश द्वारा उस व्यक्ति के संबंध में यह घोषित कर सकेगा कि वह उसमें (आदेश में) वर्णित कारणों से ऐसी सोसाइटी की सदस्यता का पात्र नहीं है.

(4) जहां कोई ऐसा विद्यार्थी, जो भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (क्र. 9 सन् 1872) की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम न हो, किसी ऐसी सोसाइटी का, जो अनन्यतः विद्यार्थियों के फायदे के लिये बनाई गई हो, सदस्य होने की वांछा करे, वहां किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिये उसके आवेदन या सदस्यता के लिये उसके आवेदन के साथ उस विद्यार्थी के संरक्षक का या अन्य व्यक्ति का, जो उक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिये सक्षम हो, एक ऐसा वचनबंध, जो सदस्य के रूप में उस विद्यार्थी के दायित्व के बारे में हो, विहित प्रारूप में संलग्न होगा.

(5) जहां किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रवेश देने से इंकार कर दिया जाय, वहां प्रवेश देने से इंकार करने संबंधी विनिश्चय, ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस सोसाइटी द्वारा उस व्यक्ति को संसूचित किया जायेगा.

(6) कोई भी सोसाइटी, पर्याप्त कारण के बिना, किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो कि इस अधिनियम के उपबंधों के तथा सोसाइटी की उपविधियों के अधीन सदस्यता प्राप्त करने के लिये सम्यक्‌रूपेण अर्हित हो, सदस्यता प्रदान करने से इंकार नहीं करेगी.

(7) उपधारा (5) या उपधारा (6) के अधीन व्यथित कोई भी व्यक्ति इंकार की तारीख से नब्बे दिन के भीतर रजिस्ट्रार को अपील कर सकेगा.

(8) अपील में रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा तथा रजिस्ट्रार अपना विनिश्चय उसकी (विनिश्चय की) तारीख से तीस दिन के भीतर पक्षकारों को संसूचित करेगा.

सदस्य की निरर्हताएं.

26. कोई भी व्यक्ति किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगा और कोई भी सदस्य किसी सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा यदि,—

(एक) वह अनुन्मोचित दिवालिया न्याय निर्णीत किये जाने के लिये आवेदक हो या अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(दो) वह किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, दण्डादिष्ट किया गया हो और दण्डादेश के अवसान की तारीख से पॉच वर्ष की कालावधि न बीत गई हो;

(तीन) वह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (1955 का सं. 22) के अधीन के किसी अपराध के लिये दण्डादिष्ट किया गया हो और दण्डादेश का अवसान होने की तारीख से छह वर्ष की कालावधि न बीत गई हो;

(चार) वह या उसके कुटुम्ब का कोई ऐसा सदस्य, जो कि उसके साथ सामान्य हित रखता है, ऐसा कारोबार करता हो जो कि सोसाइटी द्वारा किये जा रहे कारोबार के समरूप हो:

परन्तु खण्ड (दो) के उपबंध ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होंगे जो कि विमुक्त जातियों के उद्वार के लिये अनन्य रूप से बनाई गई या बनाई जाने वाली किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश चाहता हो.

(पांच) यदि वह इस अधिनियम की धारा 64 के अधीन निरर्हित है;

(छह) यदि वह ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी सहकारी संस्था की सेवा या सरकारी सेवा से हटा दिया गया है;

(सात) प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी की दशा में, वह कृषि भूमि धारित करने वाला भूमिस्वामी, मौरूसी कृषक या सरकारी पट्टेदार न हो:

(आठ) कोई भी व्यक्ति वनोपज, मत्स्य, बुनकर एवं अन्य पारंपरिक आजीविका आधारित सोसाइटी की दशा में सदस्यता हेतु अर्ह नहीं होगा, यदि उस संस्था के उद्देशित कार्य उसके आजीविका के मुख्य साधन ना हो एवं ना ही उसका पारंपरिक कार्य हो;

स्पष्टीकरण.– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये –

(एक) "विमुक्त जातियां" से अभिप्रेत है ऐसी जनजातियां जिन्हें राज्य सरकार, समय–समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस उपधारा के प्रयोजन के लिये विमुक्त जातियों के रूप में घोषित करे;

(दो) किसी व्यापारी द्वारा चलाये गये कारोबार, जिसके अंतर्गत साहूकारी का कारोबार आता है, के संबंध में यह समझा जायेगा कि वह उस कारोबार के समरूप है जो कि किसी विपणन सोसाइटी द्वारा चलाया जाता हो.

पश्चात्वर्ती निर्योग्यताओं का प्रभाव.

27. यदि कोई व्यक्ति जिसे किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में प्रवेश दिया गया हो, बाद में उन निर्र्हताओं में से, जो कि धारा 26 में विनिर्दिष्ट की गई है, किसी भी निरर्हता के अध्यधीन हो जाय, तो ऐसा व्यक्ति उस सोसाइटी का सदस्य नहीं रह जायगा तथा रजिस्ट्रार उसके स्थान को रिक्त घोषित करेगा.

सदस्यों का निष्कासन.

28. (1) समिति, निष्कासन के प्रयोजन के लिये किये गये सम्मिलन में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के तीन–चौथाई बहुमत से पारित किये गये संकल्प द्वारा किसी सदस्य को निष्कासित कर सकेगी, यदि वह,–

(क) कोई ऐसा कार्य, जिससे कि सोसाइटी की साख को क्षति पहुंचने की संभावना हो या जिससे उसकी कुख्याति होने की संभावना हो, साशय करता है; या

(ख) मिथ्या कथनों द्वारा सोसाइटी को जानबूझकर प्रवंचित करता है; या

(ग) कोई ऐसा कारोबार करता है जो सोसाइटी द्वारा किये गये कारोबार की प्रतिद्वन्दिता में आता हो या जिसके संबंध में यह संभावना हो कि वह सोसाइटी द्वारा किये गये कारोबार की प्रतिद्वन्दिता में आवेगा;

या

(घ) अपने शोध्यों का भुगतान करने में बार–बार व्यतिक्रम करता है या उपविधियों के किन्हीं भी उपबंधों का अनुपालन करने में चूक करता है:

परन्तु कोई भी ऐसा संकल्प तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि संबंधित सदस्य को उसे निष्कासित करने संबंधी प्रस्थापना की सात दिन की सूचना या तो व्यक्तिगत रूप से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा न दे दी गई हो और जब तक कि उसे अपने मामले के संबंध में समिति के समक्ष अभ्यावेदन करने का अवसर न दे दिया गया है.

(2) उपधारा (1) के अधीन समिति के संकल्प से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे संकल्प की संसूचना के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के समक्ष अपील कर सकेगा.

(3) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां रजिस्ट्रार को यह प्रतीत होता है कि सोसाइटी के हित में यह आवश्यक और वांछनीय है कि किसी सदस्य को इस कारण कि वह उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप में लिप्त है, सोसाइटी से निष्कासित कर दिया जाए, वहां वह ऐसे सदस्य और सोसाइटी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह, उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली कालावधि के भीतर, इस संबंध में स्पष्टीकरण दे कि ऐसे सदस्य को सोसाइटी से निष्कासित क्यों न कर दिया जाए. यदि वह सदस्य या सोसाइटी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने में असफल रहती है या स्पष्टीकरण पर, यदि प्राप्त हुआ हो, विचार करने के पश्चात्, रजिस्ट्रार उस सदस्य को सोसाइटी से निष्कासित करने का आदेश पारित कर सकेगा.

(4) कोई व्यक्ति जिसे निष्कासित कर दिया गया है, ऐसे निष्कासन की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक किसी भी सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश प्राप्त करने के लिये पात्र नहीं होगा.

(5) किसी सोसाइटी से किसी सदस्य के निष्कासन में, उस सदस्य द्वारा ऐसी सोसाइटी में धारित अंशों का समपहरण अंतर्वलित हो सकेगा.

नाममात्र के सदस्य.

29. धारा 25 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सोसाइटी किसी भी व्यक्ति को नाममात्र के सदस्य के रूप में प्रवेश दे सकेगी जिसका या तो सोसाइटी के प्रबंध में या

उसके लाभों में कोई अंश नहीं होगा और वह उस सोसाइटी के परिसमापन की दशा में किसी भी योगदायी दायित्व के अध्यधीन नहीं होगा.

जब तक सम्यक् संदाय न कर दिये जाये सदस्यता के अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा.

30. कोई भी सदस्य, सदस्य के अधिकारों का तब तक प्रयोग नहीं करेगा जब तक कि उसने सदस्यता के संबंध में सोसाइटी को ऐसा संदाय न कर दिया हो या जब तक कि उसने सोसाइटी में ऐसा हित अर्जित न कर लिया हो जैसा कि विहित किया जाए या जैसा कि ऐसी सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट किया जाय.

सदस्यों के मत.

31 (1) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को सोसाइटी के कार्यकलापों में एक मत देने का अधिकार होगा.

(2) (क) संघीय सोसाइटी का मतदान संबंधी अधिकार इस प्रकार विनियमित किया जायेगा कि सदस्यों को, जो कि सोसाइटियां हो, ऐसी सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में मतों की कुल संख्या के चार पंचमांश से कम मत प्राप्त न हों;

(ख) संघीय सोसाइटी के मामले में, वैयक्तिक सदस्यों (जिस अभिव्यक्ति के अंतर्गत लोक न्यास, फर्म, कम्पनी या निगमित निकाय, छत्तीसगढ़ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटी तथा राज्य सरकार आवेगी किन्तु उसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी नहीं आयेगी) के मतदान संबंधी अधिकार ऐसी रीति में विनियमित किये जायेंगे जैसी कि विहित की जाय.

(3) प्रत्येक संबद्ध सहकारी सोसाइटी को उचित रूप से प्राधिकृत किये गये प्रतिनिधि के माध्यम से तथा उपधारा (2) के खण्ड (ख) मे निर्दिष्ट किये गये प्रत्येक प्रत्यायुक्त को साधारण सम्मिलन में एक मत देने का अधिकार होगा.

(4) जब तक कि किसी सोसाइटी की उपविधियों में अन्यथा उपबन्धित न हो, सम्मिलन के लिए गणपूर्ति सोसाइटियों के प्रत्यायुक्तों तथा प्रतिनिधियों की कुल संख्या के पंचमांश से होगी:

परन्तु सम्मिलन में किसी भी समय प्रत्यायुक्तों की संख्या सोसाइटियों के सदस्य–प्रतिनिधियों की संख्या के पंचमांश से अधिक नही होगी.

(5) प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन उन उपबंधों के अनुसार किये जायेंगे जो कि समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिये विहित किये गये हों.

(6) किसी प्रत्यायुक्त की कोई भी रिक्ति, जो सदस्यता की समाप्ति के कारण या अन्यथा हुई हो, उस समूह के, जिससे कि ऐसी रिक्ति संबंधित है, वैयक्तिक सदस्यों में से एक को सहयोजित करके प्रत्यायुक्तों द्वारा भरी जायेगी.

(7) जब तक कि किसी विशिष्ट सोसाइटी के संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाये, समिति में प्रत्यायुक्तों की संख्या किसी भी समय सोसाइटियों के प्रतिनिधियों की संख्या के एक–तिहाई से अधिक नहीं होगी (अपूर्णांकों पर ध्यान नहीं दिया जायेगा).

(8) मतो के बराबर–बराबर होने की दशा में सभापति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा.

मत का प्रयोग करने की रीति.

32. (1) किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य अपने मत का प्रयोग स्वयं करेगा और किसी भी सदस्य को परोक्षी द्वारा मत देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जायेगा:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए –

(एक) (क) कोई सोसाइटी, जो किसी अन्य सोसाइटी की सदस्य है, अपने सदस्यों में से एक सदस्य की प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति इस हेतु से कर सकेगी कि वह उसकी ओर से मत दे;

(ख) सोसाइटी द्वारा अपनी उपविधियों के अनुसार बनाया गया व्यष्टिक सदस्यों का कोई समूह, समूह के सदस्यों में से किसी एक सदस्य का प्रत्यायुक्त के रूप में निर्वाचन इस हेतु से कर सकेगा कि वह उनकी ओर से मत दे.

(दो) राज्य सरकार अपने अधिकारियों में से एक को उस सोसाइटी के, जिसका कि सदस्य ऐसी सोसाइटी या राज्य सरकार हो, कार्यकलापों में अपनी ओर से मत देने या अन्यथा भाग लेने के लिए नामनिर्देशित कर सकेगी;

(तीन) कोई लोक न्यास, जो कि किसी सोसाइटी का सदस्य हो, अपने न्यासियों में से किसी एक को अपनी ओर से मत देने के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगा;

(चार) कोई फर्म, जो किसी सोसाइटी की सदस्य हो, अपने वयस्क भागीदारों में से किसी एक को अपनी ओर से मत देने के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगी; और

(पांच) कोई कम्पनी या कोई अन्य निगमित निकाय, जो किसी सोसाइटी का सदस्य हो, अपने निदेशकों में से या अपने अधिकारियों में से किसी को अपनी ओर से मत देने के लिये लिखित में नियुक्त कर सकेगा/सकेगी.

(2) जहां कोई अंश एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से धारण किया जाता हो और–

(एक) उस दशा में जब कि ऐसे अंश के बारे में जहां सोसाइटी द्वारा अंश प्रमाणपत्र जारी किया गया हो, तो उस व्यक्ति को, जिसका कि नाम ऐसे अंश प्रमाण पत्र मे पहले आया हो; और-

(दो) उस दशा में जबकि ऐसे अंश के बारे में जहां सोसाइटी द्वारा कोई अंश प्रमाणपत्र जारी न किया गया हो तो उस व्यक्ति को, जिसका नाम ऐसी सोसाइटी द्वारा रखे गये सदस्यों के रजिस्टर में पहले आया हो

मत देने का अधिकार होगा.

किसी सदस्य द्वारा अंश पूंजी धारण करने पर निर्बन्धन.

33. किसी भी सोसाइटी में, राज्य सरकार या किसी अन्य सोसाइटी से भिन्न कोई भी सदस्य–

(क) सोसाइटी की कुल अंश–पूंजी के एक पंचमांश से अनधिक, उसके ऐसे भाग से अधिक धारण नहीं करेगा जैसा कि विहित किया जाय, या

(ख) सोसाइटी के अंशो में पचास हजार रूपये से अधिक का कोई हित नहीं रखेगा या उसका दावा नहीं करेगा:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सोसाइटियों के किसी वर्ग की बाबत् ऐसा अधिकतम परिमाण विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो यथास्थिति अंश–पूंजी के एक पंचमांश से या पचास हजार रूपये से अधिक होगा.

अंशों या हित के अन्तरण पर निर्बन्धन.

34. (1) किसी सदस्य के किसी ऐसे अंश या हित का, जो किसी सोसाइटी की अंशपूंजी में उसका हो, अन्तरण उन निर्बन्धनों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो कि अधिकतम अंश धारण के बारे में धारा 33 में विनिर्दिष्ट है.

(2) किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी में के अपने अंश या हित का कोई अन्तरण तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि,–

(क) वह सदस्य ऐसा अंश या हित कम से कम एक वर्ष तक धारण न कर चुका हो;

(ख) वह अन्तरण उस सोसाइटी को या उस सोसाइटी के

किसी सदस्य को न किया जाय; और

(ग) वह अन्तरण समिति द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय.

सदस्य की मृत्यु हो जाने पर हित का अन्तरण.

35. (1) किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर कोई सोसाइटी मृत सदस्य का अंश या हित उस व्यक्ति को अन्तरित कर सकेगी जिसे कि उन नियमों के अनुसार नामनिर्दिष्ट किया गया हो, जो कि इस संबंध में बनाये गये है, या, उस दशा में जबकि इस प्रकार नामनिर्देशित किया गया कोई व्यक्ति न हो तो ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि बारे में समिति को यह प्रतीत हो कि वह व्यक्ति उस मृत सदस्य का वारिस या विधिक प्रतिनिधि है, अन्तरित कर सकेंगी या यथास्थिति ऐसे नाम निर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को ऐसे सदस्य के हित के मूल्य के समतुल्य ऐसी राशि का, जैसी कि वह नियमों या उपविधियों के अनुसार अभिनिश्चित की गई हो, संदाय कर सकेगी.

(2) कोई सोसाइटी ऐसी समस्त अन्य धनों को, जो कि उस मृत सदस्य को उस सोसाइटी द्वारा शोध्य हों, यथास्थिति ऐसे नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को संदाय कर सकेगी.

(3) ऐसे समस्त अंतरण तथा संदाय, जो कि किसी सोसाइटी द्वारा इस धारा के उपबंधों के अनुसार किये गये हों, किसी भी ऐसी मांग के संबंध में विधिमान्य तथा प्रभावी होंगे जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस सोसाइटी पर की गई हो.

अंश या निक्षेप या हित कुर्की के दायित्वाधीन नहीं होगा.

36. धारा 50 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सोसाइटी की पूंजी या कामकाज–पूंजी में, या किसी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा जारी किये गये उधार स्टाक (लोन स्टाक) में, या किसी सोसाइटी द्वारा अपने सदस्यों से बचत निक्षेप के रूप में या मजदूरी में से उस सोसाइटी द्वारा की गई अनिवार्य कटौतियां करके या सदस्यों को किये गये माल के विकय या प्रदाय के मूल्य पर अधिभार के रूप में इकट्ठा की गई निधियों में का किसी सदस्य का अंश या हित या निक्षेप सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा उपगत किये गये किसी ऋण या दायित्व के कारण या के संबंध में किसी न्यायालय की डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की या विक्रय के दायित्वाधीन नहीं होगा और तद्नुसार प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 (क्र. 5 सन् 1920) के अधीन कोई प्रापक या तत्समय प्रवृत्त किसी तत्समय विधि के अधीन कोई ऐसा व्यक्ति या प्राधिकारी ऐसे अंश या हित या निक्षेप का हकदार नहीं होगा या ऐसे अंश या हित या निक्षेप के संबंध में कोई दावा नही रखेगा.

पुस्तकें आदि देखने के सदस्यों के अधिकार.

37. (1) प्रत्येक सोसाइटी,–

(एक) इस अधिनियम की प्रति;

(दो) नियमों की प्रति;

(तीन) सोसाइटी की उपविधियों की प्रति;

(चार)सदस्यों का रजिस्टर;

(पांच) अंतिम संपरीक्षित वार्षिक तुलनपंत्रक, लाभ और हानि खाता; और

(छह) साधारणं सम्मेलनों की कार्यवाही.

अपने सदस्यों के निःशुल्क निरीक्षण के लिये सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत पते पर समस्त युक्तियुक्त समयों पर उपलब्ध रखेगी.

(2) किसी सोसाइटी के समस्त रजिस्टर तथा अभिलेख, उन पुस्तकों तथा अन्य दस्तावेजों को छोड़कर, जो किसी सदस्य के स्वयं के लेखाओं से भिन्न लेखाओं से संबंधित हों, ऐसी फीस का, जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाय, संदाय किये जाने पर ऐसी सोसाइटी के किसी भी सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिये उस सोसाइटी के कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे.

(3) ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी फीस का संदाय कर दिया जाने पर जैसी कि उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाय, सोसाइटी, अपने किसी सदस्य द्वारा आवेदन किया जाने पर, उसे ऐसे अभिलेखों या रजिस्टरों की प्रमाणित प्रतिलिपि या उनके उद्धरण प्रदान करेगी.

भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की संपदा का दायित्व.

38. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सोसाइटी के उन ऋणों के लिये, जो कि,–

(क) किसी भूतपूर्व सदस्य के मामले में, उस तारीख को हों जिसको कि वह सदस्य न रह गया हो; और

(ख) किसी मृत सदस्य के मामले में, उसकी मृत्यु की तारीख को हो,

किसी सोसाइटी के किसी भूतपूर्व सदस्य का अथवा किसी सोसाइटी के मृत सदस्य की सम्पदा का दायित्व ऐसी तारीख से दो वर्ष की कालावधि तक बना रहेगा.

(2) जहां इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी सोसाइटी का परिसमापन किया जाने का आदेश दिया जाय, वहां किसी भूतपूर्व सदस्य का, जो कि परिसमापन के आदेश की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष के भीतर सदस्य न रह गया हो या किसी मृत सदस्य की, जो कि परिसमापन के आदेश की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दो वर्ष के भीतर मर गया हो, सम्पदा का दायित्व तब तक बना

रहेगा जब तक कि समापन की कुल कार्यवाहियां पूर्ण न हो जाय; किन्तु ऐसा दायित्व सोसाइटी के उन ऋणों तक ही विस्तारित होगा जो कि उस तारीख को हों जिसको कि वह यथास्थिति सदस्य न रह गया हो या उसकी मृत्यु हो गई हो.

सदस्यों का दिवाला.

39. प्राविन्शियल इन्सालवेन्सी एक्ट, 1920 (क्र. 5 सन् 1920) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सोसाइटी के किसी सदस्य के विरूद्व दिवाला विषयक किसी कार्यवाही में, उस सोसाइटी के शोध्यों को समस्त अन्य शोध्यों पर, सिवाय उन शोध्यों के जो कि सरकार को देय हों, पूर्विकता प्राप्त होगी.

चौथा अध्याय– सोसाइटियों के कर्त्तव्य, विशेषाधिकार, सम्पत्ति तथा निधियां

सोसाइटियां निगमित निकाय होंगी.

40. किसी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन उसे उस नाम से, जिसके कि अधीन वह रजिस्ट्रीकृत की गई है, एक ऐसा निगमित निकाय बना देगा जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी एक सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति धारण करने, संविदाएं करने, वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाहियां संस्थित करने तथा उनमें प्रतिरक्षा करने एवं ऐसी समस्त बातें, जो कि उन प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों जिनके लिये उसका गठन किया गया था, करने की शक्ति होगी.

सोसाइटी का पता तथा नाम का संप्रदर्शन.

41. (1) प्रत्येक सोसाइटी का नियमों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत किया गया एक पता होगा जिस पर कि समस्त सूचनाएं तथा संसूचनाएं भेजी जा सकेंगी और वह उस पते में होने वाली किसी भी तब्दीली की लिखित सूचना, ऐसी तब्दीली होने के तीस दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को भेजेगी.

(2) प्रत्येक सोसाइटी,–

(क) अपने प्रत्येक कार्यालय या स्थान पर, जहां पर वह कारबार करती है;

(ख) समस्त सूचनाओं और अन्य अधिकारित प्रकाशनों में;

(ग) अपनी समस्त संविदाओं पर, कारोबारी पत्रों, माल के लिए आदेशों में, बीजकों, लेखाओं की विवरणियों, प्राप्तियों और साख पत्रकों में; और

(घ) समस्त विनिमय पत्रों में, वचन पत्रों, पृष्ठांकनों, चेकों, और धन के आदेश, जिस पर वह हस्ताक्षर करती है, या जिन पर उसकी ओर से हस्ताक्षर किए जाते है,

अपना नाम और अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, और

शब्द "छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2006 के अधीन रजिस्ट्रीकृत" सुवाच्य अक्षरों में सहजदर्शनीय स्थान पर संप्रदर्शित करेगी.

(3) प्रत्येक सोसाइटी के नाम में शब्द "सहकारी" और "सीमित" या उसके समतुल्य शब्द राज्य की राजभाषा में अन्तर्विष्ट होंगे.

सदस्यों का रजिस्टर.

42. (1) प्रत्येक सोसाइटी अपने सदस्यों का एक रजिस्टर रखेगी और उसमें निम्नलिखित विशिष्टियों की प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात:–

(क) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा उसकी उपजीविका;
(ख) उस दशा में, जहां कोई सोसाइटी अंशपूंजी रखती है, के प्रत्येक सदस्य द्वारा धारित अंश;
(ग) वह तारीख जिसमें प्रत्येक व्यक्ति सदस्य के रूप में प्रविष्टि किया गया था;
(घ) वह तारीख जिसको कोई व्यक्ति सदस्य नहीं रह गया है; और
(ङ.) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं :

परन्तु जहां किसी सोसाइटी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी सदस्य को उसकी मृत्यु होने पर अपने अंश या हित, किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करने के लिये अनुज्ञात किया गया है वहां रजिस्टर में संबंधित सदस्य के सम्मुख उस व्यक्ति का नाम जो उस सदस्य के अंश या हित का हकदार होगा और वह तारीख जिस पर नामांकन अभिलिखित किया गया था, भी दर्शाई जाएगी.

(2) रजिस्टर उस तारीख के, जिसमें कोई व्यक्ति किसी सोसाइटी में सदस्य के रूप में प्रविष्ट किया गया था और उस तारीख के, जिसको वह सदस्य नहीं रह गया है संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य होगा.

सोसाइटी की पुस्तकों में की प्रविष्टियों का सबूत.

43. (1) किसी सोसाइटी की किसी ऐसी पुस्तक, जो कि उसके कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई हो, में की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, यदि वह ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, प्रमाणित हो, किसी भी वाद या विधिक कार्यवाहियों में या किन्हीं भी अन्य प्रयोजनों के लिये, ऐसी प्रविष्टि के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ली जायेगी और उसके अभिलिखित किये गए विषयों, संव्यवहारों तथा लेखकों की बाबत, साक्ष्य उसी रीति में तथा उसी सीमा तक ग्राह्य होंगी जिस सीमा तक कि मूल प्रविष्टि ग्राह्य होती है.

(2) किसी सोसाइटी द्वारा अपने कारबार के अनुक्रम में अभिप्राप्त की गई तथा रखी गई किसी दस्तावेज की अथवा ऐसी दस्तावेज में की किन्हीं प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां, जो कि ऐसी सोसाइटी द्वारा दी गई हों, यदि वे विहित रीति में प्रमाणित हों, किसी भी वाद या विधिक कार्यवाही में या किन्हीं भी अन्य प्रयोजन के लिये, साक्ष्य में उसी रीति में तथा उसी सीमा तक ग्राह्य होंगी जिस रीति में तथा जिस सीमा तक कि यथास्थिति मूल दस्तावेज अथवा उसकी प्रविष्टियां ग्राह्य होती हैं.

(3) किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को तथा किसी ऐसे अधिकारी को, जिसके कि कार्यालय में सोसाइटी की पुस्तकें समापन के पश्चात् निक्षिप्त की जाती है, किन्हीं भी ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें कि वह सोसाइटी या समापक पक्षकार न हो, सोसाइटी की किन्हीं भी ऐसी पुस्तकों या दस्तावेजों को, जिनकी कि विषय–वस्तु इस धारा के अधीन साबित की जा सकती है, पेश करने के लिये या उनमें अभिलिखित किये गये विषयों, संव्यवहारों तथा लेखाओं को साबित करने के लिये साक्षी के रूप में उपसंजात होने के लिये न्यायालय के, या मध्यस्थ के आदेश, जो कि विशेष कारण से किया गया हो, के अधीन ही विवश किया जाएगा अन्यथा नहीं.

सोसाइटी सदस्यों को पास–बुक देगी.

44. (1) कोई सोसाइटी जो अपने सदस्यों को उधार देती है या कोई सोसाइटी या सोसाइटियों का कोई वर्ग जिसे राज्य सरकार समय–समय पर राजपत्र में अधिसूचित करे, अपने प्रत्येक सदस्य को एक पास–बुक देगी जिसमें सदस्य के साथ हुए संव्यवहारों का लेखा जैसे कि संव्यवहार की तारीख, दिए गए उधार की रकम, ब्याज की दर, सदस्य द्वारा किया गया प्रतिसंदाय, शोध्य मूल तथा ब्याज की रकम और ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी की विहित की जाएं अंतर्विष्ट होगा. पासबुक में समय –समय पर आवश्यक प्रविष्टियां की जाएंगी, जिन पर सोसाइटी के ऐसे पदधारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसे समिति इस निमित्त प्राधिकृत करे. इस प्रयोजन के लिए, सदस्य इस बात के लिए बाध्य होगा कि ऐसे पदधारी को पासबुक प्रस्तुत करे और यदि पासबुक आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए कुछ समय तक रखी जाने के लिए अपेक्षित है, तो सदस्य को ऐसे पदधारी द्वारा उसकी एक रसीद प्रदान की जाएगी.

(2) पासबुक में सम्यकरूपेण की गई प्रविष्टियां, जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता है, सदस्य और सोसाइटी के बीच संव्यवहारों के लेखाओं का प्रथम दृष्टया साक्ष्य होंगी.

लिखतों के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण से छूट.

45. भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (क्र. 16 सन् 1908) की धारा 17 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) में की कोई भी बात,–

(क) किसी सोसाइटी के अंशों से संबंधित किसी लिखत को लागू नहीं होगी भले ही उस सोसाइटी की आस्तियां पूर्णतः या भागतः स्थावर संपत्ति से मिलकर बनी हो; या

(ख) ऐसी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए ऐसे ऋणपत्रों (डिबेन्चरों) पर लागू नहीं होगी जो स्थावर संपत्ति पर या ऐसी संपत्ति में कोई अधिकार, हक या हित सृजित, घोषित, समनुदेशित, परिसीमित या समाप्त नहीं करते हैं, उस सीमा तक के सिवाय, जहां तक कि वे धारक को उस प्रतिभूति के लिए हकदार बनाते हैं जो कि किसी ऐसी रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा की गई है जिसके द्वारा उस सोसाइटी ने अपनी संपूर्ण स्थावर सपत्ति या उसका कोई भाग या उसमें का कोई हित ऐसे ऋणपत्रों (डिबेन्चरों) के धारकों के फायदे के लिये न्यासियों को न्यास पर बन्धक कर दिया है, हस्तान्तरित कर दिया है या अन्यथा अन्तरित कर दिया है; या

(ग) किसी ऐसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये किसी ऋणपत्र (डिबेन्चर) पर के किसी पृष्ठांकन को या उसके अन्तरण को लागू नहीं होगी; या

(घ) किसी ऐसी घोषणा को, जो भूमि पर धारा 52 के अधीन कोई भार सृजित करने के हेतु किसी सदस्य द्वारा किसी सोसाइटी के पक्ष में की गई हो, तथा उसके ऐसे समनुदेशन को, जो कि उक्त सोसाइटी द्वारा उस वित्तदायी बैंक या संघीय सोसाइटी के, जिससे कि वह संबद्ध हो, पक्ष में किया गया हो, तथा ऐसे और समनुदेशन को, जो ऐसे वित्तदायी बैंक या ऐसी संघीय सोसाइटी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या किसी अन्य संघीय सोसाइटी द्वारा छत्तीसगढ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या किसी अन्य संघीय सोसाइटी के पक्ष में किया गया हो, लागू नहीं होगी.

स्पष्टीकरण :– इस धारा के प्रयोजनों के लिए वित्तदायी बैंक के अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, बैंकिंग कम्पनीज (एक्वीजीशन एण्ड ट्रांसफर ऑफ अण्डरटेकिंग्स) एक्ट, 1970 (क्र. 5 सन् 1970) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट तत्स्थानी नया बैंक तथा ऐसा अन्य बैंक जिसे राज्य सरकार,

समय–समय पर, अधिसूचना द्वारा, इस संबंध में विनिर्दिष्ट करे, आते हैं.

उधार लेना. 46. कोई सोसाइटी राज्य सरकार, राज्य में कार्य कर रहे किसी विधि के अधीन बैंक, वित्तीय निकायो, निगमित निकायों और व्यक्तियों से, सोसाइटी की उपविधियों के अधीन निक्षेप और उधार प्राप्त कर सकेगी. वह नाममात्र की सदस्यता प्रदान करके विशिष्ट करार या अनुमोदित परियोजना के अधीन अंशपूंजी के रूप में निधि भी प्राप्त कर सकेगी.

उधारों के दिये जाने पर निर्बन्धन. 47. (1) कोई भी सोसाइटी,–

(क) किसी ऐसे व्यक्ति को, जो सदस्य न हो;
(ख) किसी सदस्य को उसके स्वयं के अंशों की प्रतिभूति पर;
(ग) किसी सदस्य को किसी सदस्येत्तर व्यक्ति की प्रतिभूति पर उधार नही देगी:

परन्तु सोसाइटी, अपनी उपविधियों में उपबंधित किए गए अनुसार किसी अन्य सोसाइटी और/या नाममात्र के सदस्य को उधार दे सकेगी.

(2) अपने ऐसे सदस्यों को, जिन्हें कि छत्तीसगढ़ लेण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क. 20 सन् 1959) की धारा 114–ए के अधीन विहित की गई "भू अधिकार एवं ऋण–पुस्तिका" दी गई हो, उधार देने वाली सोसाइटी उधारों, अग्रिमों तथा उनकी वसूली के समस्त संव्यवहार पूर्वोक्त भू–अधिकार एवं ऋण–पुस्तिका में दर्ज करेगी.

(3) इस अधिनियम में, उसके अधीन बनाये गये नियमों में तथा सोसाइटियों की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में जब कि सोसाइटी के सदस्यों को दिये गये किसी उधार या अग्रिम की प्रविष्टि की जाने से छूट गई हो, यह उपधारणा की जायेगी कि कोई भी ऐसा उधार या अग्रिम नही दिया गया है परन्तु यह उपधारणा तब नही की जायगी जबकि सोसाइटी द्वारा अन्यथा साबित कर दिया जाय;

(4) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई सोसाइटी किसी निक्षेपकर्ता को उसके निक्षेप की प्रतिभूति पर उधार दे सकेगी.

(5) रजिस्ट्रार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग द्वारा जंगम संपत्ति की प्रतिभूति पर या स्थावर संपत्ति के बंधक पर धन के उधार दिये जाने को प्रतिबिद्ध या निर्बन्धित कर सकेगा.

(6) यदि किसी सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी, जिसे कि उधारों, अग्रिमों तथा उनकी वसूली की प्रविष्टि उपधारा (2) में निर्दिष्ट की गई "भू–अधिकार एवं ऋण–पुस्तिका" में करने का कार्य सौंपा गया हो, उक्त पुस्तिका में ऐसी प्रविष्टि करने से चूक जाय तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, उस पर पांच सौ रूपये से अनधिक किसी रकम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा. शास्ति अधिरोपित करने वाला आदेश धारा 130 के उपबन्धों के अनुसार प्रवर्तित किया जायेगा.

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से सोसाइटी मूल से अधिक ब्याज वसूल या प्राप्त नहीं करेगी.

48. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी करार या किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी सोसाइटी किसी ऐसे उधार के संबंध में, जो उसके द्वारा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को दिया गया हो और जो उसके दिये जाने की तारीख से दस वर्ष से अनधिक कालावधि के भीतर प्रतिसंदेय हो, उस दौरान, जब कि ऐसा उधार चालू रहे, कोई भी ऐसी राशि जो मूल से अधिक हो, उस पर (मूल पर) ब्याज के लेखे प्रभारित नहीं करेगी, वसूल नहीं करेगी या प्राप्त नहीं करेगी और मूल से अधिक प्रभारित की गई, वसूल की गई या प्राप्त की गई कोई भी राशि, यदि उधार शेष रह गया हो, तो वह मूल के प्रतिसंदाय के लेखे उसका पूरी तरह से प्रतिसंदाय होने तक समायोजित की जायेगी और किसी अन्य दशा में वह राशि ऋणी सदस्य को उस तारीख से साठ दिन के भीतर वापिस कर दी जायगी जिसको कि ब्याज के लेखे किया गया संदाय पूर्वोक्त सीमा से अधिक हो जाय:

परन्तु इस धारा की कोई भी बात किसी विकास बैंक या किसी नगरीय सहकारी बैंक द्वारा दिए गए उधारों को लागू नही होगी.

(2) उपधारा (1) के उपबंधों को कार्यान्वित करने में किसी सोसाइटी द्वारा उपगत् किए गए नुकसान को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पूरा किया जाएगा.

सदस्येतर व्यक्तियों के साथ अन्य संव्यवहारों पर निर्बन्धन.

49. धारा 46 तथा 47 में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सोसाइटी के वे संव्यवहार, जो सदस्यों से भिन्न व्यक्तियों के साथ किये जायें, ऐसे निर्बन्धनों के, यदि कोई हों, अध्यधीन रहते हुए होंगे जैसे कि विहित किये जायें.

सदस्यों के अंश या हित की बाबत भार एवं

50. किसी सोसाइटी का किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के पूंजी में के अंश या हित पर तथा उसके निक्षेपों पर तथा किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य को

मुजराई.

देय किसी लाभांश, बोनस या लाभों पर, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग, जो कि ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य की ओर से उस सोसाइटी को देय हो, के संबंध में भार होगा और वह किसी भी ऐसी राशि को, जो कि किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के नामे जमा की गई हो या उसको देय हो, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग के भुगतान में अथवा उसके लेखे मुजरा कर सकेगी:

परन्तु किसी वित्तदायी बैंक का किसी ऐसी राशि, जो किसी सोसाइटी द्वारा ऐसे बैंक में आरक्षित निधि के रूप में विनिहित की गई हो, पर उस दशा में कोई भार नहीं होगा जबकि ऐसा बैंक उस सोसाइटी का एकमात्र लेनदार न हो अथवा किसी ऐसी राशि, जो कि ऐसे बैंक में किसी भविष्य निधि से विनिहित की गई हों, पर उसका कोई भार नही होगा और न ऐसा बैंक किसी ऐसी राशि को, जो कि उस सोसाइटी के नामें जमा की गई हो या उसे देय हो, किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग के जो कि ऐसी सोसाइटी की ओर से ऐसे बैंक को देय हो, भुगतान में या उसके लेखे मुजरा करने का हकदार ही होगा.

कतिपय आस्तियों पर सोसाइटी का पूर्विक दावा.

51. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू–राजस्व के बाबत् या भू–राजस्व के बकाया की भांति वसूली योग्य किसी धन के बाबत राज्य सरकार के किसी पूर्विक दावे के अध्यधीन रहते हुए तथा विकास बैंक के किसी दावे के, जो कि छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्र. 20 सन् 2000) के अधीन किसी भी समय मंजूर किये गये उधार में से उद्भूत हो, अध्यधीन रहते हुए, किसी भी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सौसाइटी को देय कोई भी ऋण या शेष निकलने वाली मांग ऐसी फसलों या अन्य जंगम संपत्ति पर, जो कि ऐसे सदस्य, भूतपूर्व सदस्य की हो, या जो मृत सदस्य की सम्पदा का भाग हो, जैसी भी दशा हो, प्रथम भार होगी:

परन्तु जहां राज्य सरकार का कोई पूर्विक दावा लेण्ड इम्प्रूवमेंट लोन्स एक्ट, 1883 (क्र. 29 सन् 1883) या एग्रीकल्चरिस्ट्स् लोन्स एक्ट, 1894 (क्र.12 सन् 1894) के अधीन मंजूर किये गये उधार में से उद्भूत होता है और ऐसा उधार किसी सोसाइटी द्वारा उधार के मंजूर किये जाने के पश्चात् मंजूर किया गया हो, वहां सोसाइटी द्वारा मंजूर किये गये उधार को, उक्त अधिनियमितियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के ऐसे दावे पर पूर्विकता प्राप्त होगी.

(2) कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसी संपत्ति को, जो कि उपधारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन हो, उस सोसाइटी की, जो कि भार धारण करती हो, लिखित पूर्व अनुज्ञा से ही अन्तरित करेगा अन्यथा नहीं :

परन्तु किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के लिये यह सदैव विधिपूर्ण होगा कि वह छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्र. 20 सन् 2000) के अधीन किसी विकास बैंक के पक्ष में, उसके शोध्यों के लिये भार सृजित करें.

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी संपत्ति का कोई भी ऐसा अन्तरण, जो उपधारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो, सोसाइटी को देय किसी ऐसे ऋण या बकाया मांग जो कि उपधारा (1) के अधीन ऐसी संपत्ति पर प्रथम भार हो, की बाबत सोसाइटी के किसी भी दावे के विरूद्व शून्य होगा.

कतिपय आस्तियों पर सहकारी सोसाइटियों का प्रथम भार.

52. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु भू–राजस्व की बाबत या भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य किसी धन की बाबत राज्य सरकार के किसी पूर्विक दावे के अध्यधीन रहते हुए या किसी विकास बैंक के किसी दावे के, जो कि छत्तीसगढ़ सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1999 (क्र. 20 सन् 2000) के अधीन या छत्तीसगढ़ कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1972 (क्र. 32 सन् 1973) के अधीन किसी बैंक द्वारा किसी भी समय मंजूर किये गये किसी उधार में से उद्भूत होता हो, अध्यधीन रहते हुए, कोई भी ऋण या बकाया मांग, जो किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को देय हो,–

(क) उस भूमि पर, जो यथास्थिति ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य के स्वामित्व की हो या मृत सदस्य की संपदा की भाग रूप हो; और

(ख) अभिधारी के रूप में किसी भूमि में के उसके हित पर, यदि ऐसा सदस्य ऐसे हित का स्वामित्व रखता है;

जिसके कि विरूद्व ऐसा ऋण मंजूर किया गया था ऐसी बकाया मांग विद्यमान है, उस ऋण या बकाया मांग, जो कि उसके द्वारा देय हो, के लिये तथा वैसे ऋण या बकाया मांग की सीमा तक सोसाइटी के पक्ष में प्रथम भार होगी:

परन्तु जहां राज्य सरकार को कोई पूर्विक दावा भूमि

विकास उधार अधिनियम, 1883 (क्र.19 सन् 1883) के अधीन मंजूर किये गये उधार में से उद्भूत होता है और ऐसा उधार किसी सोसाइटी द्वारा किसी उधार के मंजूर किये जाने के पश्चात् मंजूर किया गया हो, वहां सोसाइटी द्वारा मंजूर किये गये उधार को अधिनियमिति में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार के ऐसे दावे पर पूर्विकता प्राप्त होगी.

(2) कोई भी सदस्य ऐसी संपूर्ण भूमि या उसके किसी भाग को या उसमें के हित को, जो कि उपधारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन हो, तब तक अन्य संक्रामण नहीं करेगा जब तक कि उस सदस्य द्वारा उधार ली गई, सम्पूर्ण रकम ब्याज सहित पूरी न चुका दी जाय:

परन्तु किसी सदस्य या किसी भूतपूर्व सदस्य के लिये यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसी भूमि या उसके किसी भाग को,–

(एक) किसी विकास बैंक; या

(दो) छत्तीसगढ़ कृषि उधार प्रवर्तन तथा प्रकीर्ण उपबन्ध (बैंक) अधिनियम, 1972 (क्र. 32 सन् 1973) के अधीन किसी बैंक; या

(तीन) राज्य सरकार,

के पक्ष में ऐसी भूमि या उसके भाग को किसी नहर से जल प्रदाय के लिये छत्तीसगढ़ इरिगेशन एक्ट,1931 (क्र. 3 सन् 1931) के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन बन्धकित करें.

(3) ऐसा अन्य संक्रामण, जो उपधारा (2) के उपबन्धों के उल्लंघन में किया गया हो, सोसाइटी के किसी भी ऐसे दावे के, जो इस धारा के अधीन उससे (सोसाइटी से) लिये गये उधार के संबंध में हो, विरूद्ध शून्य होगा.

(4) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के सोसाइटी को देय ऋण या बकाया मांग के ब्योरों के बारे में लिखित संसूचना विहित रीति में तहसीलदार को दी जायेगी और तहसीलदार ऐसी संसूचना के प्राप्त होने पर उसे अधिकार अभिलेख में दर्ज करवायेगा.

स्थावर संपत्ति का अर्जन तथा व्ययन करने का सोसाइटी का अधिकार.

53. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सोसाइटी को यह शक्ति होगी कि वह, उस कृषि का या उसमें के हित का या किसी भी स्थावर संपत्ति का, जो कि किसी सदस्य ने किसी ऐसी वित्तीय सहायता के संबंध में, जिसका कि उसके द्वारा उपभोग किया गया हो, सोसाइटी के पक्ष में भारित या बन्धकित कर दी/दिया हो, अर्जन करे, परन्तु यह तब जब कि वह उक्त भूमि का या उसमें के हित का या किसी अन्य स्थावर संपत्ति का

विक्रय लाफ नीलाम द्वारा किया जाना चाहा गया हो, और किसी भी व्यक्ति ने उसका क्रय उस कीमत पर करने की प्रस्थापना न की हो, जो कि सोसाइटी को उस धन का, जो कि उसे शोध्य हो, भुगतान करने के लिये पर्याप्त हो:

परन्तु भूमि या संपत्ति के केवल ऐसे भाग का विक्रय किया जायेगा जो कि ऋण और उस पर का ब्याज चुकाने के लिये युक्तियुक्त रूप से पर्याप्त हो.

(2) कोई सोसाइटी, जो उपधारा (1) के अधीन उसमें निहित की गई शक्ति का प्रयोग करते हुए, भूमि या उसमें के हित का यां किसी भी अन्य स्थावर संपत्ति का अर्जन करे, उसका व्ययन विक्रय द्वारा ऐसी कालावधि के भीतर कर सकेगी जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट की जायेगी.

(3) यदि सोसाइटी को उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा अर्जित की गई कोई भूमि, उपधारा (2) में उपदर्शित किये गये अनुसार उसका विक्रय होने तक के लिये पट्टे पर देनी है, तो पट्टे की कालावधि एक समय में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और पट्टेदार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किन्हीं प्रतिकूल उपबन्धों के होते हुए भी, उस भूमि या सपत्ति में कोई हित अर्जित नहीं करेगा.

(4) इस धारा के शब्दों में, भूमि का या उसमें के हित का किसी सोसाइटी द्वारा कोई विक्रय तत्सनय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उन उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए होगा जो कि अकृषकों द्वारा किये जाने वाले भूमि के क्रय पर या उच्चतम सीमा से अधिक भूमि के क्रय पर या भूमि के ऐसे क्रय पर, जिससे कि भूमि के खंड किसी विनिर्दिष्ट सीमा से कम के बनते हों, निर्बन्धन लगाते हों.

(5) इस धारा में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि वह सोसाइटी को इस बात के लिये सशक्त करती है कि वह किसी ऐसी आदिवासी जनजाति के, जिसे कि राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 165 की उपधारा (6) के अधीन अधिसूचना द्वारा आदिवासी जनजाति होना घोषित किया हो, किसी व्यक्ति की किसी भूमि का या उसमें के उसके हित का विक्रय किसी ऐसे व्यक्ति को करे जो कि ऐसी जनजाति का न हो.

(6) छत्तीसगढ़ सीलिंग आन एग्रीकल्चरल होल्डिंग्ज एक्ट, 1960 (क्र. 20 सन् 1960) में की कोई भी बात किसी ऐसी सोसाइटी को लागू नहीं होगी जो उपधारा (1) के अधीन भूमि का अर्जन करती हो और ऐसी भूमि को उस समय तक धारण किये रहती हो जब तक कि वह सोसाइटी उस भूमि को इस धारा में उपबंधित की गई रीति में या अन्यथा

ऐसी कीमत पर जो कि उसके शोध्यों के चुकारे के लिये पर्याप्त हो, बेचने की स्थिति में न हों.

कतिपय दशाओं में सोसाइटी के दावे की पूर्ति करने के लिये वेतन में से कटौती.

54. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सोसाइटी का कोई भी सदस्य ऐसी सोसाइटी के पक्ष में एक ऐसा करार निष्पादित कर सकेगा जिसमें यह उपबंध होगा कि उसका नियोजक इस बात के लिये सक्षम होगा कि वह उस वेतन या मजदूरी में से जो कि ऐसे नियोजक द्वारा उसे देय हो, उतनी रकम की कटौती कर ले जो कि उस करार में विनिर्दिष्ट की जाय, और इस प्रकार काटी गई रकम का उस सोसाइटी को भुगतान किसी ऐसे ऋण या मांग की तुष्टि के रूप में कर दे जो कि उस सदस्य की ओर से उस सोसाइटी को देय हो.

(2) ऐसे करार का निष्पादन कर दिया जाने पर, यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऋण या दावा किसी प्राधिकारी द्वारा न्यायनिर्णित कराया जाय, तथा नियोजक, यदि सोसाइटी द्वारा लिखित अध्यपेक्षा द्वारा ऐसी अपेक्षा की गई हो और जब तक कि सोसाइटी यह प्रज्ञापित न करे कि ऐसे संपूर्ण ऋण या मांग का भुगतान कर दिया गया है, उस करार के अनुसार कटौती करेगा और इस प्रकार काटी गई रकम सोसाइटी को संदत्त करेगा मानों कि वह रकम मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (क्र. 4 सन् 1936) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार उस दिन देय वेतन या मजदूरी का भाग हो.

(3) यदि, उपधारा (2) के अधीन की गई अध्यपेक्षा के प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियोजक, किसी भी समय अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट रकम की, कटौती संबंधित सदस्यों को देय वेतन या मजदूरी में से नहीं करता है, या काटी गई रकम उस सोसाइटी को विप्रेषित करने में व्यतिक्रम करता है तो वह सोसाइटी ऐसी रकम नियोजक से भू-राजस्व के बकाया के तौर पर वसूल करने की हकदार होगी और उस रकम को, जो कि नियोजक से इस प्रकार शोध्य है, नियोजक के दायित्व के संबंध में वही पूर्विकता प्राप्त होगी जो कि बकाया मजदूरी को प्राप्त होती है.

(4) इस धारा के उपबंध उपधारा (1) में निर्दिष्ट किये गये प्रकार के उन समस्त करारों को भी लागू होंगे जो कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से प्रवृत्त थे.

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात रेल्वे, खानों तथा तेल क्षेत्रों में नियोजित व्यक्तियों को लागू नहीं होगी.

(6) इस धारा के प्रयोजनों के लिये, आहरण तथा संवितरक अधिकारी को किसी सरकारी सेवक के संबंध में नियोजक

समझा जायगा.

निधियां तथा लाभ.

55. (1) किसी सोसाइटी की ऐसी निधियों का, जो शुद्ध लाभों से भिन्न हो, कोई भी भाग उसके सदस्यों को बोनस या लाभांश के रूप में संदत्त नहीं किया जायगा और न उसके सदस्यों में उसका अन्यथा वितरण ही किया जायगा:

परन्तु किसी सदस्य को, किन्हीं ऐसी सेवाओं, जो कि उसके द्वारा सोसाइटी के लिये की गई हों, के लिये पारिश्रमिक का भुगतान ऐसे मापमान से किया जा सकेगा जो कि उपविधियों द्वारा अधिकथित किया जाय.

(2) कोई सोसाइटी किसी वर्ष के अपने शुद्ध लाभों में से,—

(क) यदि रजिस्ट्रार ने, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, सोसाइटी को इस निमित्त भागतः या पूर्णतः छूट न दे दी हो तो ऐसी रकम आरक्षित निधियों में अन्तरित करेगी जो ऐसे लाभों के पच्चीस प्रतिशत से कम न हो;

(ख) छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित को तथा ऐसी अन्य संस्थाओं या संघों को, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किये जायें, ऐसे अभिदाय का भुगतान करेगी जो कि विहित किया जाय; और

(ग) ऐसी सोसाइटी, जिसमें सरकार की साधारण अंशपूंजी की भागीदारी है साधारण अंशपूंजी मोचन निधि में कम से कम बीस प्रतिशत राशि अंतरित करेगी.

(3) कोई भी सोसाइटी रजिस्ट्रार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने सदस्यों को पच्चीस प्रतिशत से अधिक की दर से लाभांश नहीं देगी.

(4) कोई भी सोसाइटी, रजिस्ट्रार की मंजूरी से, किसी वर्ष के शुद्ध लाभ का एक–चौथाई भाग आरक्षित निधि में रख दिया जाने के पश्चात् अवशिष्ट शुद्ध लाभों के पांच प्रतिशत से अनधिक भाग का अभिदाय किसी भी ऐसे प्रयोजन के लिये कर सकेगी जो कि सहकारिता आन्दोलन के विकास से संबंधित हो या पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (क्र. 6 सन् 1890) की धारा 2 में यथापरिभाषित, पूर्त प्रयोजन से संबंधित हो.

(5) कोई भी सोसाइटी किसी ऐसे संगठन में जिसका उद्देश्य किसी राजनैतिक दल या किसी धार्मिक आस्था को अग्रसर करना है न तो प्रत्यक्षतः और न अप्रत्यक्षतः धन के या वस्तु के रूप में अभिदाय करेगी.

लाभों का विनियोजन.

56. (1) लाभ अर्जित करने वाली कोई सोसाइटी वर्ष के सकल लाभों में से निम्नलिखित की कटौती करके शुद्ध लाभ की संगणना करेगी:—

(एक) उधार लेखाओं पर प्रोद्भूत समस्त अतिशोध्य ब्याज;

(दो) प्रबंध प्रभार;

(तीन) उधारों (लोन्स) तथा निक्षेपों पर देय ब्याज;

(चार) संपरीक्षा (आडिट) फीस;

(पांच) कामकाज संबंधी खर्चे जिसके अंतर्गत है मरम्मत, भाटक, कर;

(छह) अवक्षयण;

(सात) बोनस संदाय अधिनियम, 1965 (क्र. 21 सन् 1965) के अधीन कर्मचारियों को देय बोनस;

(आठ) आयकर के संदाय के लिये प्रावधान;

(नौ) राज्य/जिला सहकारी संघ, जो कि अधिसूचित किया जाय, को अभिदाय के भुगतान के लिये प्रावधान;

(दस) विकास निधि, डूबंत ऋण निधि, मूल्य उतार—चढ़ाव निधि, लाभांश समानीकरण निधि, विनिधान उतार—चढ़ाव निधि और ऐसी अन्य निधियों के लिये प्रावधान जो कि रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाये;

(ग्यारह) कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के लिये प्रावधान और उन सोसाइटियों की दशा में, जो उपभोक्ता माल का कारबार करती है, सदस्य को संदत्त किये जाने वाले क्रय रिबेट के लिये प्रावधान; और

(बारह) डूबत ऋण को और ऐसी हानियों को जो लाभों में से सृजित किसी भी निधि के प्रति समायोजित नहीं किये गये है, बट्टे खाते डाले जाने के लिये प्रावधान.

(2) तथापि, कोई भी सोसाइटी वर्ष के कुल लाभों से उस ब्याज को जोड़ सकेगी जो पूर्ववर्ती वर्षों में प्रोद्भूत हुआ है किन्तु वर्ष के दौरान वास्तव में वसूल किया गया है. इस प्रकार निकाले गये शुद्ध लाभ पूर्व वर्ष से आगे ले गये लाभों की रकम सहित धारा 55 के प्रयोजनों के लिये विनियोजित किये जाने हेतु उपलब्ध रहेंगे.

घाटे के लिए दायित्व.

57. (1) जहां किसी सोसाइटी को किसी वर्ष में परिचालन घाटा होता है, वहां समिति उसके कारणों को साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करेगी.

(2) साधारण निकाय, जहां सोसाइटी के कारबार के सामान्य अनुक्रम में घाटा हुआ है वहां उसके कारणों के परीक्षण करेगा और साधारण निकाय अपने परीक्षण के आधार पर परिचालन घाटे के उसके सदस्यों से और या आरक्षितियों से पूर्णतः या भागतः पूरा करने हेतु संकल्प कर सकेगा.

निधियों का विनियोजन.

58. (1) उपधारा (2) तथा (3) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई सोसाइटी अपनी निधियों को,–

(एक) सरकारी, बचत बैंकों में; या

(दो) किसी सहकारी बैंक में; या

(तीन) भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (क्र. 2 सन 1882) की धारा 20 में विनिर्दिष्ट की गई प्रतिभूतियों में से किसी प्रतिभूति में; या

(चार) उस संघीय सोसाइटी, जिसकी कि वह सदस्य हो, के पास या उसके अंशों के क्रय में; या

(पांच) रजिस्ट्रार के अनुमोदन से, परिसीमित दायित्व वाली किसी अन्य सोसाइटी के पास या उसके अंशों या प्रतिभूतियों या डिबेन्चरों के क्रय में; या

(छह) किसी ऐसे बैंक के पास, जो इस प्रयोजन के लिये रजिस्ट्रार के द्वारा अनुमोदित किया गया हो, और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जो उसके द्वारा इस निमित्त अधिकथित की जाएं;

विनिहित या निक्षिप्त कर सकेगी;

परन्तु खण्ड (चार) के अधीन रजिस्ट्रार का अनुमोदन उस दशा में आवश्यक नहीं होगा जबकि ऐसी सोसाइटी का सदस्य होने के लिये ऐसी सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार अंशों का क्रय किया जाना हो.

(2) सोसाइटी की आरक्षित निधि का विनिधान या उपयोग केवल ऐसी रीति में और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर किया जायगा जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में अधिकथित की जाय.

(3) गृह निर्माण सोसाइटी से भिन्न किसी सोसाइटी द्वारा विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए सृजित निधियों से भिन्न अपनी निधियों में से किसी निधि का स्थावर संपत्ति में विनिधान, रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा.

(4) निक्षेप प्रतिग्रहित करने वाली कोई सोसाइटी, ऐसे निक्षेपों की रक्षा राशि के रूप में संपरिवर्ती संसाधनों को ऐसी सीमा तक तथा ऐसी रीति में बनाये रखेगी जैसा कि रजि

द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय.

सोसाइटियों को राज्य सहायता का मंजूर किया जाना.

59. (1) कोई ऐसी सोसाइटी, जो अंशपूंजी के प्रति अभिदाय से भिन्न किसी रूप में राज्य सहायता प्राप्त करना चाहती हो, ऐसी राज्य सहायता चाहने के लिये कारण कथित करते हुए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर या अन्यथा, रजिस्ट्रार, यदि उसका यह समाधान हो जाये कि ऐसी सहायता उस सोसाइटी के हित में आवश्यक है, ऐसी सहायता मंजूर की जाने के लिये राज्य सरकार को सिफारिश कर सकेगा. राज्य सरकार तदुपरि उस सोसाइटी को ऐसी सहायता, जैसी कि वह ठीक समझे, ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर मंजूर कर सकेगी जैसी कि विहित की जाय.

कर्मचारियों की भविष्य निधि.

60. (2) कोई सोसाइटी अपने कर्मचारियों के फायदे के लिये एक अभिदायी भविष्य निधि की स्थापना कर सकेगी जिसमें ऐसे समस्त अभिदाय जमा किये जायेंगे जो कि उस सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार कर्मचारियों तथा सोसाइटी द्वारा किये गये हों.

(2) किसी सोसाइटी द्वारा उपधारा (1) के अधीन स्थापित की गई अभिदायी भविष्य निधि,-

(क) उस सोसाइटी के कारबार के उपयोग में नहीं लाई जायेगी;

(ख) उस सोसाइटी की आस्तियों का भागरूप नही होंगी;

(ग) कुर्क किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी या किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी की किसी अन्य आदेशिका के अध्यधीन नहीं होगी; और

(घ) ऐसी रीति में प्रशासित की जायगी जैसी कि विहित की जाय.

संघीय सोसाइटी से सम्बद्ध किये जाने के निदेश देने की शक्ति.

61. राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर स्थित समस्त सोसाइटियां या उनमें से कोई सोसाइटी छत्तीसगढ़ सहकारी संघ से या किसी जिला सहकारी संघ से या किसी अन्य संघ से ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों पर संबद्ध की जाय जैसी कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे.

शीर्ष सोसाइटी.

62. शीर्ष सोसाइटी अपने संघटकों की सेवा के लिए और अपनी उपविधियों के अनुसार निम्नलिखित कृत्यों का पालन कर सकेगी:-

(एक) सहकारी सिद्धान्तों का पालन हो, इसके सुरक्षा उपाय करना;

(दो) सहकारी सोसाइटियों को संप्रवर्तित करना और इस

प्रयोजन के लिए आदर्श उपविधियां विरचित करना और सोसाइटियों के विचारण हेतु विभिन्न विनियम और नीतियां बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाना;

(तीन) सहकारिता के प्रशिक्षण, शिक्षण और जानकारी की व्यवस्था करना और सहकारी सिद्धान्तों का प्रचार करना;

(चार) अनुसंधान और मूल्यांकन करना तथा सदस्य सोसाइटियों के लिए भावी विकास योजनाओं को तैयार करने में सहायता करना;

(पांच) सदस्य सोसाइटियों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करना;

(छह) सदस्य सोसाइटियों के बीच आपस में के तथा सोसाइटी और उसके सदस्यों के बीच के विवादों को निपटाने में सहायता करना;

(सात) सदस्य सोसाइटियों के हितों का प्रतिनिधित्व करना और सोसाइटियों के अनुकूल नीतियों और विधान के लिए अभिमत प्राप्त करने के प्रयास करना;

(आठ) अपने सदस्यों की ओर से कारबारी सेवाएं हाथ में लेना;

(नौ) बोर्ड के सम्मिलनों में जिनमें सदस्य सोसाइटियां आमंत्रित की जाती हैं, में भाग लेने के साथ ही सदस्य सोसाइटियों को सहयोग/एवं प्रबंधकीय विकास संबंधी सेवाएं प्रदान करना;

(दस) सदस्य सोसाइटियों में यथासमय वार्षिक संपरीक्षा का संचालन सुनिश्चित करना;

(ग्यारह) सदस्य सोसाइटियों के यथासमय निर्वाचन का संचालन सुनिश्चित करना;

(बारह) सदस्य सोसाइटियों के साधारण सम्मिलनों के नियमित संचालन हेतु सहायता करना;

(तेरह) सदस्य सोसाइटियों के पालन हेतु आचार संहिता विकसित करना;

(चौदह) सदस्य सोसाइटियों की सक्षमता के मापदण्ड विकसित करना;

(पंद्रह) सदस्य सोसाइटियों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान करना;

(सोलह) सदस्य सोसाइटियों के हित में कोई भी अन्य सेवा प्रदान करना.

पांचवा अध्याय
सोसाइटियों का प्रबन्ध

सोसाइटी में अंतिम प्राधिकार.

63. (1) किसी सोसाइटी में, अन्तिम प्राधिकार सदस्यों के निकाय में निहित होगा;

परन्तु साधारण निकाय की शक्तियों का या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिये जो कि सोसाइटी की उपविधियों में विनिर्दिष्ट की जाये, किसी सोसाइटी की उपविधियों में एक ऐसे छोटे निकाय के गठन के लिये उपबंध हो सकेगा जिसमें ऐसी उपविधियों के अनुसार निर्वाचित किये गये प्रत्यायुक्त होंगे.

(2) उपधारा (1) के अध्यधीन रहते हुए, प्रत्येक सोसाइटी का प्रबंध इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के या सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार गठित की गयी समिति में निहित होगा तथा वह समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगी जो कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों द्वारा क्रमशः उसे प्रदत्त की जाय या उस पर अधिरोपित किये जायें.

(3) (क) प्राथमिक सोसाइटी की समिति में सदस्यों की संख्या यथा सम्भव उसी अनुपात में आरक्षित होगी जो उस सोसाइटी में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन दिनांक पर मतदान के लिए पात्र सदस्यों की कुल संख्या होगी.

परंतु यह कि समिति में प्रत्येक ऐसे आरक्षित वर्ग के कम से कम एक सदस्य होंगे यदि ऐसे वर्ग में वांछित संख्या में सदस्य उपलब्ध हों;

स्पष्टीकरण:— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक एक प्राथमिक सोसाइटी समझी जाएगी

(ख) केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटियों की समिति अथवा ऐसी वर्ग की केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के लिए यथा संभव उतने स्थान आरक्षित रखे जाएंगे जो कि, उससे संबद्ध समस्त प्राथमिक सोसाइटियों में इन वर्गों की कुल सदस्य संख्या के अनुपात में होगी.

(ग) किसी सोसाइटी द्वारा अपेक्षित संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने में असफल रहने पर या खण्ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में सदस्यों का निर्वाचन करने की दशा में समिति के सदस्य अपेक्षित संख्या में सदस्यों का सहयोजन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेंगे जो ऐसे प्रतिनिधित्व के पात्र है, और समिति द्वारा ऐसा करने में असफल रहने की दशा में रजिस्ट्रार अपेक्षित संख्या में सदस्यों का नामनिर्देशन ऐसी सोसाइटी के उन सदस्यों में से करेगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के लिये पात्र है.

(4) संसाधन सोसाइटी में एक अध्यक्ष/सभापति और दो उपाध्यक्ष/उप सभापति होंगे. उपाध्यक्षों/उपसभापतियों के दो पदों में से—

(एक) एक पद स्त्री सदस्य द्वारा धारित किया जाएगा; और
(दो) एक पद, यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग से निर्वाचित न हो तो इनमें से किसी वर्ग के व्यक्ति द्वारा और अन्यथा किसी भी वर्ग के व्यक्ति द्वारा धारित किया जाएगा;

परन्तु, अनुसूचित क्षेत्र में संचालित नागरिक सहकारी बैंक या नगरीय सहकारी साख सोसाइटी से भिन्न ऐसी संसाधन सोसाइटी की दशा में अध्यक्ष या सभापति का निर्वाचन केवल अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों में से किया जाएगा.

(5) उपभोक्ता सोसाइटी में एक अध्यक्ष या सभापति और एक उपाध्यक्ष या उप सभापति होगा जिनमें से एक महिला होगी.

(6) किसी संसाधन सोसाइटी में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो उधार न लेने वाला सदस्य है, समिति के सदस्य के रूप में, प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होगा और न ही वह ऐसी सोसाइटी की समिति, उसके प्रत्यायुक्त या प्रतिनिधि के किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा.

स्पष्टीकरण.— उधार न लेने वाला सदस्य वह होगा, जिसने ऐसे किसी बैंक या किसी सोसाइटी से, जिसमें कि वह सदस्य है, पिछले दस वर्ष में कम से कम एक बार उधार न लिया हो,

परन्तु इस उपधारा के उपबंध सोसाइटी को उस तारीख से लागू होंगे जिसको वह उधार देने की संक्रियाएं

प्रारंभ करती है:

परन्तु यह और भी कि इस उपधारा के उपबंध सोसाइटी को, जहां तक उसकी प्रथम अनन्तिम समिति/नामनिर्दिष्ट समिति का संबंध है, लागू नहीं होंगे.

(7) किसी संसाधन सोसाइटी की दशा में, कोई भी ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष पद धारण नहीं करेगा, यदि वह अथवा उसके परिवार के सदस्य, जो कि उसके द्वारा सामान्य हित रखता है, विक्रय कर रजिस्ट्रेशन धारित करता हो अथवा किसी उद्योग अथवा ट्रांसपोर्ट या ठेकेदारी व्यवसाय से जुड़ा हो.

(8) किसी सोसाइटी की समिति में किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए अर्हित नहीं होंगे.

स्पष्टीकरण :– उपधारा (7) एवं (8) में वर्णित परिवार से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति, उसका पति या उसकी पत्नी और उस पर आश्रित उनकी संतान;

(9) कोई भी व्यक्ति जो किसी गृह निर्माण सहकारी सोसाइटी का सदस्य है तथा जिसके नाम पर सोसाइटी में प्लाट या मकान न हो, वह उस सोसाइटी के निर्वाचन में भाग लेने का पात्र नही होगा.

(10) इस अधिनियम एवं उसके अधीन बनाये गए नियम में अर्न्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी किसी सहकारी बैंक की समिति में बैंकिंग क्षेत्र का जानकार एक संचालक सहयोजित किया जाएगा। ऐसा करने में असफल रहने पर ऐसा संचालक रजिस्ट्रार द्वारा नामांकित किया जावेगा और ऐसा सहयोजित/नामांकित संचालक ऐसी मानदेय पाने का हकदार होगा जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाए;

परन्तु उपरोक्त संचालक को निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा.

(11) कोई व्यक्ति जो साक्षर नही है वह सोसाइटी की समिति की सदस्यता हेतु अर्ह नहीं होगा;

परन्तु उपधारा (11) की कोई भी बात 31 दिसम्बर 1970 को अथवा उसके पूर्व जन्म लेने वाले व्यक्ति पर लागू नहीं होगा.

विनिर्दिष्ट पद धारण करने के लिए निरर्हताएं.

64. (1) कोई भी व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक सोसाइटी का विनिर्दिष्ट पद धारण नही करेगा:

(2) यदि कोई व्यक्ति, जो एक शीर्ष सोसाइटी, एक केन्द्रीय

सोसाइटी तथा एक प्राथमिक सोसाइटी में कोई विनिर्दिष्ट पद धारण कर रहा है, किसी अन्य शीर्ष सोसाइटी या केन्द्रीय सोसाइटी या प्राथमिक सोसाइटी के ऐसे विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित या नियुक्त हो जाता है, तो वह लिखित पत्र द्वारा जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित और रजिस्ट्रार को संबोधित होगा, किसी विनिर्दिष्ट पद पर, अपने निर्वाचित या नियुक्त हो जाने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर, यथा स्थिति एक शीर्ष सोसाइटी तथा या एक केन्द्रीय सोसाइटी तथा या एक प्राथमिक सोसाइटी के सिवाय ऐसी अन्य सभी शीर्ष सोसाइटियों, केन्द्रीय सोसाइटियों तथा प्राथमिक सोसाइटियों के विनिर्दिष्ट पद से त्याग पत्र दे सकेगा.

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन त्यागपत्र देने के लिये अपेक्षित कोई व्यक्ति, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर त्यागपत्र देने में असफल रहता है, तो ऐसी कालावधि का अवसान हो जाने पर उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि उसने यथास्थिति एक शीर्ष या केन्द्रीय या प्राथमिक सोसाइटी, जिसमें वह ऐसे पश्चात्वर्ती निर्वाचन या नियुक्ति के पूर्व पहले से ही विनिर्दिष्ट पद धारण किए हुए था, के सिवाय अन्य सभी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटियों या प्राथमिक सोसाइटियों के विनिर्दिष्ट पद से त्यागपत्र दे दिया है.

(4) कोई भी व्यक्ति जो संसद अथवा विधान सभा का सदस्य, ग्राम पंचायत का सरपंच, जनपद पंचायत का अध्यक्ष, जिला पंचायत का अध्यक्ष, नगर पालिका के अध्यक्ष या सभापति हो, किसी सोसाइटी में विनिर्दिष्ट पद धारण करने की पात्रता नहीं होगी;

परन्तु यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी पद पर निर्वाचित, सहयोजित अथवा नामनिर्दिष्ट होता है, तो ऐसे निर्वाचन, सहयोजन अथवा नामनिर्दिष्ट होने के जैसे भी स्थिति हो, तीस दिनों के अन्दर किसी भी एक पद से त्यागपत्र देगा. यदि वह ऐसा करने में असफ़ल रहता हो तो, विनिर्दिष्ट पद रिक्त माना जावेगा.

(5) विनिर्दिष्ट पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति दो कार्यकाल अथवा 11 वर्ष, जो भी पहले हो, से अधिक विनिर्दिष्ट पद धारण नहीं करेगा;

परंतु यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी कारणवश कार्यकाल से पहले विनिर्दिष्ट पद छोड़ता है, जो भी हो ऐसे प्रयोजन हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण किया गया माना जायेगा;

परंतु यह और भी कि इस उपधारा के प्रावधान शासकीय नाम-निर्देशितियों के लिए लागू नहीं होंगे.

प्रतिनिधि एवं प्रत्यायुक्त.

65. (1) प्रत्येक सोसाइटी की समिति, सभापति या उपसभापति के निर्वाचन के समय ऐसे प्रतिनिधि को भी निर्वाचित करेगी जो उसका प्रतिनिधित्व अन्य सोसाइटियों में करेंगे और समिति द्वारा ऐसे निर्वाचित प्रतिनिधि को तब तक वापस नहीं बुलाया जाएगा, जब तक कि समिति का आगामी चुनाव नहीं हो जाता है;

परंतु अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष अपनी सोसाइटी का प्रतिनिधित्व किसी अन्य सोसाइटी में करते हुए उस सोसाइटी जिमसें वह प्रतिनिधित्व कर रहा हो के विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचित, सहयोजित अथवा नाम निदेर्शित किया जाता है तो वह दोनो सोसाइटी, में एक ही समय पर विनिर्दिष्ट पद धारण करने का पात्र नही होगा;

परन्तु यह और भी कि इस प्रकार निर्वाचित, सहयोजित अथवा नामनिर्दिष्ट होने पर ऐसे अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को किसी एक सोसाइटी में विनिर्दिष्ट पद तीस दिवस के भीतर रिक्त करना होगा, यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो बाद में विनिर्दिष्ट पद पर निर्वाचन, सहयोजन अथवा नामनिर्देशन शून्य होगा.

(2) (क) किसी सोसाइटी में जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम आधे सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं, वहां ऐसा प्रतिनिधि केवल ऐसी जातियों या जनजातियों के सदस्यों में से होगा; और

(ख) किसी सोसाइटी में जहां सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो तिहाई सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग के है, वहां ऐसा प्रतिनिधि ऐसे वर्ग के सदस्यों में से होगा.

(3) यदि किसी सोसाइटी की उपविधियों में उसके साधारण निकाय का गठन प्रत्यायुक्तों के निर्वाचन द्वारा किए जाने का उपबन्ध है, तो वह सोसाइटी साधारण निकाय में अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए स्थानों का आरक्षण ऐसी रीति से करेगी कि प्रत्येक प्रवर्ग के लिए इस प्रकार आरक्षित स्थान, जहां तक संभव हो, उसी अनुपात में हो जो प्रत्येक प्रवर्ग से सदस्यों का, उस सोसाइटी की, कुल सदस्य संख्या के साथ है;

परन्तु प्रत्यायुक्त के तैंतीस प्रतिशत पद समस्तर और प्रभागवार महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे.

समिति की शक्तियां.

66. किसी सोसाइटी का बोर्ड या समिति को उसकी उपविधियां के अनुसार निम्नानुसार शक्ति होगी :–

(क) सदस्यता स्वीकृत एवं समाप्त करना;

(ख) सभापति एवं अन्य पदधारियों को निर्वाचित करना;

(ग) सभापति एवं पदधारियों को पद से हटाना;

(घ) रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृन्द की संख्या नियत करना;

(ड.) निम्नलिखित के संबंध में नीतियां बनाना :–

(एक) सदस्यों को सेवाएं देने के लिए संगठन एवं उपबंध करना;

(दो) रजिस्ट्रार के अनुमोदन से कर्मचारी वृन्द की अर्हताएं, भर्ती, सेवा शर्तें और कर्मचारी वृन्द से संबंधित अन्य विषय;

(तीन) निधि की अभिरक्षा और विनिधान का ढंग;

(चार) लेखाओं के रखे जाने की रीति;

(पांच) निधियों का संचालन, उपयोग एवं विनिधान;

(छह) फाइल की जाने वाली कानूनी विवरणियां के सहित सूचना प्रणाली की निगरानी और प्रबंध;

(च) साधारण निकाय के अनुमोदन हेतु वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक वित्तीय विवरण, योजना एवं बजट प्रस्तुत करना;

(छ) संपरीक्षा तथा अनुपालन रिपोर्ट पर विचार करना और उन्हें साधारण निकाय के समक्ष प्रस्तुत करना; और

(ज) ऐसे अन्य समस्त कृत्य करना जो उपविधियों में विनिर्दिष्ट है.

वार्षिक साधारण सम्मिलन

67. (1) प्रत्येक सोसाइटी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व तीन मास के भीतर अपने सदस्यों का साधारण सम्मिलन निम्नलिखित प्रयोजन के लिए बुलाएगी :–

(क) सोसाइटी के क्रियाकलापों के कार्यक्रम का, जो कि समिति द्वारा आगामी वर्ष के लिए तैयार किया गया हो, अनुमोदन करने के लिए;

(ख) समिति के सदस्यों का निर्वाचन, यदि वो कराया जाना अपेक्षित हो गया है;

स्पष्टीकरण. :– समिति का निर्वाचन अपेक्षित हो गया है यह तब समझा जाएगा जबकि समिति की अंवधि वार्षिक साधारण सम्मिलन की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर समाप्त हो जाए.

(ग) संपरीक्षा रिपोर्ट, यदि प्राप्त हुई हो, तथा वार्षिक रिपोर्ट पर विचार करने के लिए;

(घ) शुद्ध लाभ के व्ययन के लिए;

(ड.) किसी अन्य विषय पर, जो कि उपविधियों के अनुसार उपस्थापित किया जाय, विचार करने के लिए; और

(च) अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट पेश करने के लिए:

परन्तु रजिस्ट्रार इस सम्मिलन के सिवाय, जिसमें कि निर्वाचित समिति के कार्यकाल का, जो कि उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट किया गया है, अवसान होने पर किए जाने है, ऐसा सम्मिलन करने की कालावधि को तीन मास से अनधिक और कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा;

परन्तु यह और भी कि जहां किसी सोसाइटी के संबंध में धारा 102 के अधीन समापन का आदेश जारी किया गया है तो वहां वार्षिक साधारण सम्मिलन बुलाया जाना आवश्यक नहीं होगा.

(2) समिति के सदस्यों, सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रतिनिधियों के यदि कोई हों, निर्वाचन का संचालन रिटर्निंग आफिसर द्वारा विहित रीति में किया जाएगा.

(3) ऐसे सम्मिलन की सूचना उस जिले के, जिसमें कि सोसाइटी स्थित हो, संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार को, सम्मिलन की तारीख से कम से कम पूरे चौदह दिन पूर्व भेजी जायगी.

(4) संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार ऐसे सम्मिलन में स्वयं हाजिर हो सकेगा या अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उसमें हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा.

(5) संयुक्त/उप/सहायक रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उपधारा (1) के खन्ड (क), (ग), (घ) तथा (च) में

विनिर्दिष्ट किए गए विषयों से संबंधित किसी भी मामले के बारे में सम्मिलन को सम्बोधित करे.

(6) यदि साधारण सम्मिलन, उपधारा (1) के अधीन उसके लिए विहित की गई कालावधि के भीतर बुलाने या उपधारा (1) की अपेक्षा का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया गया हो, तो रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, किसी ऐसे अधिकारी या समिति के सदस्य, को, जिसका की ऐसा सम्मिलन बुलाने का या उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने का कर्त्तव्य था और जिसने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना पूर्वोक्त उपधारा के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का अनुपालन करने में चूक की हो, पद के लिए निर्वाचित होने या पद पर रहने के तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक के लिए जिसे की वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, निरर्हित घोषित कर सकेगा और उस अधिकारी पर, यदि वह अधिकारी सोसाइटी का कर्मचारी हो, पांच हजार रूपये से अनधिक किसी भी रकम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नही किया जाएगा जब तक संबंधित व्यक्ति को सहकारी सोसाइटियों के उप रजिस्ट्रार की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी अधिकारी द्वारा सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर नहीं दे दिया जाता.

(7) यदि किसी सोसाइटी की उपविधियां समिति के समस्त या कुछ सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रीय (टेरीटोरियल) आधार पर किया जाने का उपबंध करती हो, तो समिति के ऐसे सदस्य क्षेत्र में से, साधारण सम्मिलन के पूर्व की किसी तारीख को उपविधियों को उपबंधों के अनुसार उस क्षेत्र के सदस्यों के किसी सम्मिलन में, निर्वाचित किए जायेंगे, उसके परिणाम सोसाइटी के सूचना फलक पर तथा वार्षिक साधारण सम्मिलन की कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पूर्व साधारण सम्मिलन के स्थान पर भी लगाए जायेंगे.

(8) किसी भी सोसाइटी के प्रत्येक वार्षिक साधारण सम्मिलन में समिति, सोसाइटी के सामने एक विवरण रखेगी जिसमें समिति के सदस्यों के, उनके कुटुम्ब के सदस्यों के नाम पूर्ववर्ती वर्षो के दौरान बकाया उधारों या अग्रिमों, यदि कोई हों, के ब्यौरे दर्शाये गये हों.

(9) (एक) समिति का कार्यकाल उस तारीख से, जिसको समिति का प्रथम सम्मिलन किया जाता है, पांच वर्ष होगा:

(दो) सोसाइटी की समितिं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल उस सोसाइटी के, जिसके लिए ऐसा प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया है, कार्यकाल की समाप्ति के साथ समाप्त होगा.

परन्तु यह कि, समिति का प्रतिनिधि उस समिति की जिसका कि वह सदस्य है अवधि समाप्त होने तक अपने पद पर बना रहेगा.

(10) किसी सोसाइटी की समिति या किसी वर्ग की सोसाइटी का निर्वाचन समिति के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व कराया जावेगा;

परंतु राज्य सरकार, जहाँ प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो यथा प्राकृतिक आपदायें, लोक सभा या विधान सभा का निर्वाचन होने पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कार्यकाल को छः मास से अनधिक की कालावधि के लिए बढ़ा सकेगी;

परंतु यह और भी कि, प्रत्येक निचले स्तर की सोसाइटी के समितियों के निर्वाचन उपरांत उससे उपर के स्तर की सोसाइटी की समितियों का निर्वाचन आगामी तीन मास के भीतर कराया जावेगा.

(11) यदि उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट कार्यकाल का अवसान होने के पूर्व निर्वाचन नहीं होते हैं, तो समिति के समस्त सदस्यों के संबंध में यह समझा जायेगा कि सभी सदस्यों ने अपने पद रिक्त कर दिये है और समिति की शक्तियाँ रजिस्ट्रार में निहित हो गई है और यथासंभव शीघ्र निर्वाचन कराया जायगा.

परन्तु रजिस्ट्रार इस उपधारा के अधीन उसमें निहित समिति की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए किसी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार प्राधिकृत किया गया उक्त अधिकारी ऐसे प्राधिकृत किये जाने की तारीख से ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा.

(12) (क) प्रत्येक सोसाइटी प्रत्येक साधारण सम्मिलन और उसकी समिति के समस्त अन्य सम्मिलनों के समस्त कार्यवृत्त को, कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित करेगा;

(ख) ऐसा कार्यवृत्त सम्मिलन में आमंत्रित समस्त व्यक्तियों को सम्मिलन की समाप्ति के 30 दिन के भीतर परिचालित किया जाएगा.

(ग) इस प्रकार अभिलिखित किया गया कार्यवृत्त उक्त सम्मिलन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा.

समिति की कार्यवाहियों का उत्तराधिकारी समिति द्वारा बातिलीकरण.

68. इस अधिनियम में, उसके अधीन बनाये गये नियमों में या किसी सोसाइटी की उपविधियों में, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी समिति द्वारा पारित किया गया कोई भी संकल्प, रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना, उत्तराधिकारी समिति द्वारा उपान्तरित या बातिल नहीं किया जाएगा.

लोकहित आदि में निदेश देने की सरकार की शक्ति.

69 (1) यदि राज्य सरकार का, रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह संमाधान हो जाता है कि लोकहित में या सरकार द्वारा अनुमोदित या हाथ में लिए गए सहकारी उत्पादन और अन्य विकास कार्यक्रमों का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए, या साधारणतः सोसाइटी के कामकाज का समुचित प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए, या सोसाइटी के कार्यकलापों का संचालन उसके सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं या लेनदारों के हितों के लिए अपायकर रीति में किये जाने का निवारण करने के लिए यह आवश्यक है कि साधारणतः सोसाइटी के कामकाज का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिए, या सोसाइटी के कार्यकलापों का संचालन उसके सदस्यों या निक्षेपकर्ताओं या लेनदारों के हितों के लिए अपायकर रीति में किये जाने का निवारण करने के लिए यह आवश्यक है कि साधारणतः किसी वर्ग की सोसाइटियों को या विशिष्टतः किसी सोसाइटी या किन्हीं सोसाइटियों को निर्देश जारी किये जाएं तो राज्य सरकार उन्हें समय–समय पर निर्देश जारी कर सकेगी और यथास्थिति सभी सोसाइटियां या संबंधित सोसाइटियां ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी.

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी किये गये किन्हीं निर्देशों को उपान्तरित या रद्द कर सकेगी, और ऐसे निर्देशों को उपान्तरित या रद्द करने में ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगी जो वह ठीक समझे.

(3) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति या समिति, उपधारा (1) या (2) के अधीन किसी सोसाइटी को जारी किये गये किन्हीं निर्देशों या उपान्तरित निर्देशों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी थी ऐसे निर्देशों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण या औचित्य के बिना असफल रहती है या रहता है, वहां रजिस्ट्रार:—

(एक) किसी समिति के मामले में, ऐसी समिति के विरूद्ध कार्यवाही धारा 79 के उपबंधों के अनुसार कर सकेगा; और

(दो) किसी व्यक्ति के मामले में यदि वह व्यक्ति सोसाइटी की समिति का सदस्य है या सोसाइटी का कोई कर्मचारी है, ऐसे व्यक्ति के विरूद्व कार्यवाही यथास्थिति धारा 81 के उपबंधों के अनुसार या धारा 84 की उपधारा (1) के अधीन विरचित नियमों के अनुसार कर सकेगा;

परन्तु ऐसे निर्देश जिनमें सोसाइटी की वित्तीय हानि अंतर्वलित है, ऐसी सोसाइटी की समिति की है, और जहां आवश्यक हो वहां राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की पूर्व सहमति से ही, और साथ ही साथ ऐसी हानियों का पूरी तरह से प्रतिकार करने हेतु सम्यक् रूप से उपबंध और अग्रिम आबंटन करने के पश्चात् ही दिये जाएंगे.

विनियम बनाने के निदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

70. (1) यदि रजिस्ट्रार की यह राय है कि सोसाइटी की वित्तीय स्थिति और उसमें सरकार के वित्तीय हित को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि उसके व्यापार या कामकाज करने की रीति का विनियमन किया जाए तो वह, इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी सोसाइटी को निर्देश दे सकेगा कि वह उस निमित्त विनियम बनाए और उन्हें अनुमोदन हेतु उसके पास भेजे.

(2) सोसाइटी द्वारा बनाये गये विनियमों के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार उन्हें उपान्तरणों सहित या उपान्तरणों के बिना अनुमोदित कर सकेगा. ऐसे विनियमों के अनुमोदित हो जाने पर, वह सोसाइटी अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार करेगी.

(3) यदि कोई सोसाइटी, रजिस्ट्रार द्वारा उपधारा (1) के अधीन निदेशित किये जाने पर, से विनियम उस तारीख से, जिसको ऐसा निदेश दिया गया है, तीन मास की कालावधि के भीतर रजिस्ट्रार को भेजने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसे विनियम बनाएगा या बनवाएगा और उस सोसाइटी से यह अपेक्षा करेगा कि वह अपना कामकाज ऐसे विनियमों के अनुसार करे और तदुपरि वह सोसाइटी ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगी.

कतिपय परिस्थितियों में प्रबंध संचालक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति.

71. (1) (क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी शीर्ष सोसाइटी के लिए, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंशपूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है, प्रथम वर्ग के अधिकारी की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी का एक प्रबंध संचालक होगा जिसका चयन राज्य स्तर पर गठित एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त, शीर्ष सोसाइटी का अध्यक्ष, रजिस्ट्रार सहकारी सोसाइटी और शीर्ष सोसाइटी के बोर्ड द्वारा या नामनिर्दिष्ट एक संचालक होगा;

परन्तु यदि समिति, प्रबंध संचालक का चयन सर्वसम्मति से करने में असफल रहती है तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा;

(ख) प्रबंध संचालक समिति का पदेन सदस्य होगा.

(2) (क) प्रत्येक केन्द्रीय सोसाइटी के लिए इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां राज्य सरकार ने उसकी अंशपूंजी में अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या उधारों डिबेंचरों या अग्रिमों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है या किसी अन्य रूप में अनुदान दिये हैं, वहां द्वितीय श्रेणी अधिकारी की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी का एक प्रबंध संचालक या महाप्रबंधक होगा जो सोसाइटी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और समिति का पदेन सदस्य होगा;

(ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति.—

(एक) धारा 83 के अधीन संधारित संवर्ग के अधिकारियों में से की जाएगी, यदि ऐसा संवर्ग सृजित किया गया है;

(दो) अन्य दशाओं में,रजिट्रार के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी:

(ग) मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो विहित की जाएं.

विशेष साधारण सम्मिलन.

72. (1) समिति, किसी भी समय, सोसाइटी का विशेष साधारण सम्मिलन बुला सकेगी और वह रजिस्ट्रार के या सदस्यों की कुल संख्या के एक दशमांश सदस्यों से लिखित अध्यपेक्षा प्राप्त होने के पश्चात् एक मास के भीतर ऐसा सम्मिलन बुलायेगी.

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट की गई अध्यपेक्षा के अनुसार किसी सोसाइटी का विशेष साधारण सम्मिलन नहीं बुलाया जाय तो रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह ऐसा सम्मिलन बुलाये और उस सम्मिलन के संबंध में यह समझा जायगा कि वह समिति द्वारा बुलाया गया सम्मिलन है.

(3) जहां कोई ऐसा अधिकारी या समिति के सदस्य जिसका कि इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या उपविधियों के उपबंधों के अनुसार ऐसा सम्मिलन बुलाने का कर्त्तव्य था, युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना ऐसा सम्मिलन बुलाने में चूक करे, वहां रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा, समिति के सदस्य होने की दशा में ऐसे सदस्य को समिति का सदस्य होने के लिए सात वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि तक के लिये, जिसे कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करे, निरर्हित घोषित कर सकेगा और सोसाइटी का अधिकारी होने की दशा में, ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा पांच हजार रूपये से अधिक न हों:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं दिया जायगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(4) किसी विशेष साधारण सम्मिलन के समक्ष के विषयों में, धारा 67 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त विषय या उनमें से कोई विषय सम्मिलित हो सकेगा.

सोसाइटी की समिति या प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के निर्वाचन में अभ्यर्थी या मतदाता होने के लिए निर्हरता.

73. (1) कोई भी व्यक्ति समिति के सदस्य, प्रतिनिधि या प्रत्यायुक्त के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिए अर्हित नहीं होगा, यदि वह उस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति, किसी ऐसे उधार या अग्रिम के लिए जो उसने ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में लिया है, बारह माह से अधिक कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहता है.

(2) कोई भी व्यक्ति, प्रतिनिधि, प्रत्यायुक्त या समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी होने के लिये अर्हित नहीं होगा, यदि उसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो.

(3) उपधारा (2) में उल्लेखित पद पर निर्वाचित कोई व्यक्ति ऐसा पद धारण करने से निरर्हित हो जाएगा यदि 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् एक संतान का जन्म हो जाता है जिससे उसकी संतान की संख्या दो से अधिक हो जाती है.

(4) कोई भी व्यक्ति समिति, सोसाइटी के प्रतिनिधियों या प्रत्यायुक्तों के किसी निर्वाचन में मत देने के लिए हकदार नहीं होगा यदि वह उस सोसाइटी या किसी अन्य सोसाइटी के प्रति, किसी ऐसे उधार या अग्रिम के लिए जो उसने ऐसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में लिया है, बारह मास से अधिक कालावधि के लिए व्यतिक्रमी रहता है.

समिति की सदस्यता के लिए और प्रतिनिधित्व के लिए निर्हरता.

74. (1) कोई भी व्यक्ति सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए पात्र नहीं होगा और उस रूप में अपने पद पर नहीं रह जायेगा, यदि वह ऐसी निरर्हता से ग्रस्त है जो विहित की जाये, कोई भी सोसाइटी किसी सदस्य को किसी अन्य सोसाइटी की समिति में अपने प्रतिनिधि के रूप में या अन्य सोसाइटी में सोसाइटी का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित नहीं करेगी, यदि वह ऐसी निरर्हता से ग्रस्त है, जो कि विहित की जाए;

परंतु यदि कोई सदस्य इस धारा के अधीन विहित निरर्हताओं में से किसी निरर्हता से ग्रस्त है तो—

(एक) सोसाइटी की समिति के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह यह बात उसकी जानकारी में आने की तारीख से दो मास के भीतर, ऐसे सदस्य को, जहाँ वह उस सोसाइटी का सदस्य होने के नाते समिति के सदस्य रूप में निर्वाचित हो जाता है, उसे [illegible]

का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात वह पद धारण करने से निरर्हित कर दे;

(दो) यदि वह सदस्य, प्रतिनिधि के रूप में अपने कार्यों के कारण, उच्च स्तरीय सोसाइटी में निरर्हता उपगत कर लेता है तो ऐसी उच्च स्तरीय सोसाइटी उसे उच्च स्तरीय सोसाइटी में पद धारण करने के लिए निरर्हित करने हेतु कार्यवाही करेगी;

(2) यदि सोसाइटी कार्यवाही करने में असफल रहती है तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात, उसे ऐसा पद धारण करने से, लिखित आदेश द्वारा निरर्हित कर देगा;

परन्तु यदि किसी सोसाइटी की समिति का कोई सदस्य जो शासकीय नामनिर्दिष्ट से भिन्न हो विधिवत सूचना के बावजूद, समिति की लगातार तीन बैठकों से बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और ऐसे सदस्य को इसकी सूचना ऐसे सोसाइटी द्वारा दी जावेगी.

निर्वाचन. 75. (1) (क) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन ऐसी रीति से जैसी की विहित किया जाए करेगी, और किसी अधिकारी को, जो राज्य शासन का सचिव से अनिम्न पद का होगा, राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त करेगी और ऐसे आयुक्त की सहायता करने के लिए ऐसे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारी की नियुक्त कर सकेगी जो वह उचित समझे;

(ख) राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग, जिसे इसके पश्चात आयोग कहा गया है, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन निर्वाचनों के संचालन करने के लिए स्वतंत्र एजेंसी होगी;

(ग) राज्य सहकारी निर्वाचन आयुक्त की सेवा की निबंधन एवं शर्तें राज्य निर्वाचन आयुक्त के समान ही होगी;

(घ) आयोग ऐसे अधिकारियों को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा जैसा कि वह उचित समझे और ऐसे अधिकारी आयोग द्वारा सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन के लिए आयोग के प्रति उत्तरदायी होंगे;

(2) इस अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी आयोग, सोसाइटियों की समितियों के निर्वाचनों का संचालन ऐसी रीति से करेगा जैसी कि विहित किया जाये;

(3) (क) इस धारा की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक सोसाइटी के मुख्यकार्यपालक अथवा अध्यक्ष के लिए आबद्वकर होगा कि समिति के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए विद्यमान समिति की अवधि की समाप्ति के छः मास पूर्व ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, लिखित अनुरोध आयोग को भेजे;

(ख) उपधारा (3) (क) के अधीन अनुरोध प्राप्त होने पर आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि निर्वाचन, विद्यमान समिति की अवधि के अवसान के पूर्व संचालित कर लिया जाये;

(ग) किसी सोसाइटी की समिति का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि समस्त जानकारी, पुस्तकें और अभिलेख, जिनकी आयोग निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे, अद्यतन है और आयोग या इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को समय पर उपलब्ध करवा दिये गये है;

(घ) सोसाइटी की समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि सोसाइटी आयोग को ऐसी समस्त सहायता उपलब्ध कराएगी जिसके निर्वाचन के संचालन के लिए उसके द्वारा अपेक्षा की जाए;

(ड.) किसी सहकारी सोसाइटी के निर्वाचन की प्रकिया एक बार प्रारंभ होने के पश्चात प्राकृतिक आपदा या कानून और व्यवस्था के भंग होने की परिस्थिति को छोड़कर किसी भी कारण से रोकी या मुल्तबी नहीं की जायेगी.

(4) आयोग किसी सोसाइटी की समिति के निर्वाचन का संचालन करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त कर सकेगा;

परन्तु संबंधित सोसाइटी के किसी भी सदस्य या कर्मचारी को रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त नही किया जाएगा.

(5) किसी सोसाइटी की समिति का निर्वाचन करवाने के लिए समस्त व्यय संबंधित सोसाइटी द्वारा वहन किये जायेंगे.

(6) आयोग किसी भी समिति या उसके सदस्यों को ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो स्वतंत्र, उचित और निष्पक्ष निर्वाचन संचालन करने के लिए युक्तियुक्त समझे जाए एवं आयोग द्वारा इस धारा के अधीन जारी किए गए अनुदेश उन पर वैध रूप से आबद्वकारी होंगे.

कार्यों का विधिमान्यकरण.

76. किसी सोसाइटी या किसी समिति या किसी अधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण से कि उस सोसाइटी या समिति की प्रक्रिया में या उसके गठन में या ऐसे अधिकारी या समिति का सदस्य की नियुक्ति या निर्वाचन में कोई त्रुटि विद्यमान हैं, अथवा इस आधार पर कि ऐसा अधिकारी या समिति का सदस्य अपनी नियुक्ति के लिए निरर्हित था, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा.

सरकारी नामनिर्देशितियों को नियुक्त करने की शक्ति.

77. (1) जहां राज्य सरकार ने.—

(क) किसी सोसाइटी की अंशपूंजी के प्रति अभिदाय किया हो; या

(ख) किसी सोसाइटी को अंशपूंजी का गठन करने में या उसकी अंशपूंजी में वृद्वि करने में धारा 59 में उपबंधित किये गये अनुसार परतः सहायता की हो; या

(ग) मूलधन के प्रतिसंदाय को तथा किसी सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों पर ब्याज के संदाय को प्रत्याभूत किया हो; या

(घ) मूलधन के प्रतिसंदाय को तथा किसी सोसाइटी को दिये गये ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज के संदाय को प्रत्याभूत किया हो;

वहां राज्य सरकार को या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किये गये किसी प्राधिकारी को ऐसी सोसाइटी की समस्त समितियों में या उनमें से किसी समिति में दो से अनधिक उतने शासकीय अधिकारी को, जितने कि वह ठीक समझे, नाम निर्दिष्ट करने का अधिकार होगा;

परन्तु इस उपधारा के अधीन जिला स्तर, संघीय एवं शीर्ष सहकारी सोसाइटियों के समिति में अथवा समितियों में द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारी से अनिम्न कोई भी शासकीय अधिकारी तथा अन्य सहकारी सोसाइटियों की समिति अथवा समितियों में तृतीय श्रेणी कार्यपालक से अनिम्न श्रेणी का शासकीय अधिकारी नाम निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी सोसाइटी की समिति में नामनिर्दिष्ट किया गया कोई व्यक्ति ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसी शर्तों पर, जैसी की विहित की जाय/जायें पद धारण करेगा.

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को, जिसे किसी सोसाइटी की समिति में उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया हो, ऐसी समिति में एक मत देने का अधिकार होगा:

परन्तु नामनिर्दिष्ट व्यक्ति सोसाइटी की समिति के पदाधिकारियों के किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार नहीं होगा.

(4) जब सरकार ने किसी सोसाइटी की अंशपूंजी में अभिदाय किया हो या उस सोसाइटी को तीन लाख रूपये या उससे अधिक के दियें गये उधारों तथा अग्रिमों के मूलधन के प्रतिसंदाय तथा उस पर के ब्याज के संदाय को प्रत्याभूत किया हो और सोसाइटी ने अपने स्वामित्व की पूंजी के पच्चीस प्रतिशत या उससे अधिक की हानि उठाई हो, तो राज्य सरकार इस अधिनियम, उसके अधीन बनाये गये नियमों या सोसाइटी की उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये सदस्यों में से एक सदस्य को सोसाइटी की समिति के सभापति के रूप में नामनिर्दिष्ट कर सकेगी तथा नामनिर्दिष्ट किए गये सदस्यों में से एक को सोसाइटी के प्रबंध निदेशक/ महाप्रबंधक/प्रबंधक के रूप में भी नियुक्त कर सकेगी.

समिति में महिला सदस्यों का प्रतिनिधित्व.

78. किसी सोसाइटी की समिति में महिला सदस्यों की संख्या, समिति के निर्वाचित होने वाले कुल सदस्यों की संख्या के तैंतीस प्रतिशत से कम नहीं होगी;

परंतु सोसाइटी के अपनी समिति में अपेक्षित संख्या में महिला सदस्य निर्वाचित करने में असफल रहने से या ऐसी संख्या से कम संख्या में महिला सदस्यों को निर्वाचित करने की दशा में समिति के शेष सदस्य, ऐसी सोसाइटी के उन महिला सदस्यों में से जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार है, अपेक्षित संख्या में महिला सदस्यों को सहयोजित करेंगे, और अपेक्षित संख्या में महिला सदस्यों को सहयोजित करने में समिति के असफल रहने की दशा में, रजिस्ट्रार ऐसे सोसाइटी के महिला सदस्यों में से, जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार है, अपेक्षित संख्या में महिला सदस्यों को नाम निर्देशित करेगा.

समिति का अतिष्ठान.

79. (1) यदि, रजिस्ट्रार की राय में, किसी सोसाइटी की समिति,–

(क) इस अधिनियम या उस सोसाइटी की उपविधियों द्वारा या उनके अधीन या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी विधिपूर्ण आदेश द्वारा उस पर अधिरोपित किए

गए कर्त्तव्यों का पालन करने में उपेक्षावान है या ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए रजामन्द नहीं है; या

(ख) ऐसे कार्य करती है जो उस सोसाइटी या उसके सदस्यों के हित के प्रतिकूल हैं; या

(ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों का या रजिस्ट्रार द्वारा पारित किसी आदेश का अतिक्रमण करती है;

तो रजिस्ट्रार, लिखित आदेश द्वारा, उस समिति को हटा सकेगा और ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो प्रथमतः दो वर्ष से अधिक नही होगी किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों को इस हेतु से नियुक्त कर सकेगा कि वे उस सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करें:

परन्तु सहकारी बैंक के मामले में, अतिष्ठान का आदेश रिजर्व बैंक से पूर्व परामर्श किये बिना नहीं दिया जायेगा:

परन्तु यह और भी कि यदि कोई ऐसी संसूचना, जिसमें कि प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के विचार अन्तर्विष्ट हों, उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, उस बैंक को प्राप्त होने के पैंतालिस दिन के भीतर प्राप्त न हो, तो यह उपधारणा की जाएगी कि भारतीय रिजर्व बैंक प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है तथा रजिस्ट्रार ऐसा आदेश, जैसा कि उचित समझा जाय, पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा.

परन्तु यह और भी की सहकारी बैंक के मामले में, यदि रिजर्व बैंक लोकहित में ऐसा अपेक्षित करे या सहकारी बैंक के क्रियाकलापों का ऐसी रीति में संचालित किया जाना निवारित करने के लिए जो निक्षेपकर्त्ताओं के हितों के लिए अपायकर हो, या किसी सहकारी बैंक का प्रबंध उचित रीति में किया जाना सुनिश्चित करने के लिए रजिस्ट्रार, उसकी समिति या प्रबंध निकाय के, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, अतिष्ठान के लिए तथा उसके लिए कुल मिलाकर पांच वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जो समय-समय पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जाय, प्रशासक की नियुक्ति के लिए आदेश पारित करेगा और ऐसी नियुक्ति होने पर उपधारा (4), (5), (6) तथा (8) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों कि आदेश उपधारा (1) के अधीन पारित किये गये हों.

परन्तु यह भी कि यदि किसी प्राथमिक सोसाइटी की समिति में किसी अशासकीय व्यक्ति को नियुक्त किया जाता

है तो वह उस सोसाइटी के उन सदस्यों में से होगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के हकदार हैं और केन्द्रीय या शीर्ष सोसाइटी की दशा में, यदि कोई व्यक्ति ऐसी सोसाइटी की समिति में नियुक्त किया जाता है तो वह उसकी संबद्ध सोसाइटियों में से किसी सोसाइटी का ऐसा सदस्य होगा जो ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए हकदार हो.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जायेगा जब तक कि उस समिति को अभिकथनों, दस्तावेजों तथा उसके विरूद्व लगाए गए आरोपों के समर्थन में साक्षियों की एक सूची तथा प्रस्थापित आदेश के विरूद्व कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो.

(3) उपधारा (1) के अधीन आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि, रजिस्ट्रार के विवेकानुसार, समय–समय पर बढ़ाई जा सकेगी.

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश कुल मिलाकर तीन वर्ष से अधिक के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा.

(4) इस प्रकार नियुक्त किए गए व्यक्ति या व्यक्तियों को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के तथा ऐसे अनुदेशों के, जो वह समय–समय पर दे, अध्यधीन रहते हुए, समिति की या सोसाइटी के किसी अधिकारी को समस्त शक्तियों का या उनमें से किसी शक्ति का प्रयोग करने तथा उसके समस्त कृत्यों या उनमें से किसी कृत्य का निर्वहन करने और समस्त ऐसी कार्यवाहियां, जो सोसाइटी के हित में अपेक्षित हैं, करने की शक्ति होगी.

(5) रजिस्ट्रार वह पारिश्रमिक नियत कर सकेगा जो इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों को देय हों, ऐसे पारिश्रमिक की रकम तथा उस सोसाइटी के प्रबन्ध में किये गये अन्य खर्चे यदि कोई हो, उसकी निधियों में से देय होंगे.

(6) इस प्रकार नियुक्त किया गया/किये गये व्यक्ति, अपनी नियुक्ति की कालावधि का अवसान हो जाने के पूर्व उस सोसाइटी की उपविधियों के अनुसार नवीन समिति के गठन के लिए व्यवस्था करेगा/करेंगे.

(7) किसी वित्तदायी बैंक के संबंध में या किसी ऐसी सोसाइटी, जो किसी वित्तदायी बैंक की ऋणी हो, के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई करने के पूर्व, रजिस्ट्रार, पूर्वकथित मामले में, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित से और,

पश्चात् कथित मामले में, संबंधित वित्तदायी बैंक से ऐसी कार्यवाही के संबंध में परामर्श करेगा. यदि यथास्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या वित्तदायी बैंक अपने विचार उस निवेदन के, जिसमें कि परामर्श चाहा गया हो, ऐसे बैंक को प्राप्त होने के पैंतालिस दिन के भीतर संसूचित न करे, तो यह उपधारणा की जायगी कि यथास्थिति छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित या संबंधित वित्तदायी बैंक प्रस्तावित कार्रवाई से सहमत है.

(8) धारा 63, 67 तथा 72 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी मामले में सोसाइटी के साधारण निकाय तथा उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किये गये व्यक्ति या व्यक्तियों के बीच कोई मतभेद हो तो वह मामला विनिश्चय के लिए रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जायगा और उस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु यदि रजिस्ट्रार, साधारण निकाय के सम्मिलन के तीन मास के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है तो सोसाइटी के साधारण निकाय का विनिश्चय अन्तिम होगा.

(9) इस धारा में की किसी बात के संबंध में यह नहीं समझा जायगा कि वह सोसाइटी के परिसमापन का निदेश देने की रजिस्ट्रार की शक्ति पर प्रभाव डालती है.

(10) सूचना के जारी किये जाने तथा समिति को हटाये जाने के आदेश पारित किये जाने के बीच की कालावधि के दौरान, रजिस्ट्रार द्वारा समिति से यह अपेक्षा की जा सकेगी कि वह ऐसे प्राधिकारी के, जिसे कि रजिस्ट्रार इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, पर्यवेक्षण के अधीन तथा उसके अनुमोदन से कृत्य करे और समिति द्वारा किया गया कोई भी आदेश या पारित किया गया संकल्प या किया गया कोई अन्य कार्य तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाय;

परन्तु जहां उपधारा (2) के अधीन कार्रवाई करने के लिए अग्रसर होते हुए रजिस्ट्रार की यह राय हो कि कार्यवाही की कालावधि के दौरान समिति का निलंबन सोसाइटी के हित में आवश्यक है, तो वह समिति को निलंबित कर सकेगा, जो (समिति) तदुपरांत कार्य करने से परिविरत हो जायगी, और ऐसा इन्तजाम कर सकेगा जैसा कि उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही पूरी होने तथा आदेश जारी होने तक सोसाइटी को कामकाज के प्रबंध के लिए वह उचित समझे:

परन्तु यह और भी कि निलम्बन की कालावधि छह मास से अधिक नहीं होगी और उक्त कालावधि का अवसान हो जाने पर समिति का निलम्बन प्रतिसंहृत हो जायगा;

परन्तु यह भी कि यदि इस प्रकार निलम्बित समिति का अतिष्ठान ऊपर वर्णित कार्यवाहियों के किए जाने के पश्चात् नहीं किया जाता तो उसे पुनः स्थापित किया जाएगा और उस कालावधि की, जिसके दौरान वह निलम्बित रही है, गणना उसके कार्यकाल के प्रति नहीं की जाएगी.

परन्तु यह भी कि कोई निलम्बन आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सोसाइटी की समिति को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(11) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार,, केन्द्रीय सहकारी बैंकों, नगरीय सहकारी बैंकों तथा जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के मामले में, यदि निरन्तर तीन वित्तीय वर्षों में वसूली मांग के 60 प्रतिशत से कम है या अतिशोध्य (ओवरड्यूज) 40 प्रतिशत से अधिक है, उस बैंक की समिति या प्रबन्ध समिति के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, हटाये जाने के लिए तथा कुल मिलाकर पांच वर्ष के अनधिक ऐसी कालावधि या कालावधियों के लिए, जैसी कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय, उसके हेतु किसी प्रशासक की नियुक्ति के लिए आदेश देगा तथा ऐसी नियुक्ति होने पर उपधारा (4), (5) तथा (6) के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानों कि आदेश उपधारा (1) के अधीन दिया गया था:

परन्तु कोई भी ऐसा आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि समिति को प्रस्थापित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किये गये अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो.

(12) जब किसी सोसाइटी की समिति को उपधारा (1) के अधीन अतिष्ठित कर दिया गया है तो उस समिति का कोई सदस्य, इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों या उस सोसाइटी की उपविधियों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी सात वर्ष की कालावधि तक उस सोसाइटी की समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचन लड़ने के लिए पात्र नहीं होगा और न ही उसमें सहयोजन या नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा;

परन्तु इस उपधारा की कोई भी बात किसी सोसाइटी की समिति के सदस्य को लागू नहीं होगी जो कि समिति के ऐसे विनिश्चय का जिससे उसका अधिक्रमण हुआ हो पक्षकार नहीं था.

(13) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किसी सोसाइटी की, उपविधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सोसाइटी की समिति किसी न्यायालय के आदेश के कारण या अन्यथा कार्य करने से परिविरत हो जाय, तो रजिस्ट्रार उस समय तक के लिये किसी व्यक्ति को या तीन से अनधिक व्यक्तियों की समिति को अस्थायी रूप से नियुक्त कर सकेगा जब तक कि न्यायालय का आदेश बातिल न कर दिया जाय या नवीन निर्वाचन न हो जाय तथा समिति कार्यभार ग्रहण न कर लें.

कार्य भार ग्रहण किया जाना.

80. (1) यदि,—

(एक) किसी सोसाइटी की समिति, धारा 67 के अधीन सोसाइटी के साधारण सम्मिलन में पुनर्गठित की जाती है; या

(दो) किसी सोसाइटी की समिति के कार्यकाल का धारा 67 की उपधारा (9) के अधीन अवसान हो जाती है; या

(तीन) किसी सोसाइटी की समिति, धारा 79 के अधीन हटा दी जाती है या निलंबित कर दी जाती है या कृत्य करने से परिविरत हो जाती है; या

(चार) सोसाइटी की धारा 102 के अधीन परिसमापन किये जाने का आदेश किया जाता हैं,

तो यथास्थिति समिति सोसाइटी का कार्यभार प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति या व्यक्तिगण द्वारा कार्यभार.—

(क) ऊपर (एक) की दशा में, साधारण सम्मिलन में समिति के निर्वाचन की तारीख से;

(ख) ऊपर (दो) की दशा में, धारा 67 की उपधारा (9) के अधीन सोसाइटी की समिति का कार्यकाल के अवसान की तारीख से;

(ग) ऊपर (तीन) की दशा में, रजिस्ट्रार के उस आदेश की तारीख से जिसके द्वारा उसे/उन्हें सोसाइटी के कार्यकलापों का प्रबंध करने के लिए नियुक्त किया गया है; और

(घ) ऊपर (चार) की दशा में, रजिस्ट्रार के उस आदेश की तारीख से जिसके द्वारा परिसमापक नियुक्त किया गया है;

ग्रहण करेगा/करेंगे और समिति के बहिर्गामी सदस्यों के लिये यह आबद्धकर होगा कि वे सोसाइटी के अभिलेखों और सम्पत्ति का प्रभार, ऐसे कार्यभार ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को इसमें उपबंधित तारीख को सौंप दें.

(2) उपधारा (1) के अधीन यथास्थिति समिति या सोसाइटी का कार्यभार प्राप्त करने के लिए हकदार व्यक्ति के संबंध में यह समझा जायगा कि उसने अपने पद का कार्यभार उपधारा (1) में वर्णित तारीख से ग्रहण कर लिया है, चाहे ऐसा कार्यभार वस्तुतः सौंपा गया हो या न सौंपा गया हो.

कतिपय परिस्थितियों में किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी को हटाने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

81. (1) यदि रजिस्ट्रार की राय में, सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी या समिति के सदस्य ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों या किसी सोसाइटी की उपविधियों द्वारा उनके/उसके अधीन अधिरोपित किये गये अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में घोर उपेक्षा की है या अपने कपटपूर्ण कार्य द्वारा सोसाइटी को वित्तीय हानि पहुंचाई है, तो रजिस्ट्रार, किसी भी ऐसी अन्य कार्यवाई पर, जो कि उसके विरूद्व की जाय या की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस अधिकारी एवं सोसाइटी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात ऐसे कारणों से जो कि अभिलिखित किए जायेंगे तथा संबंधित अधिकारी या समिति के सदस्य को संसूचित किये जायेंगे उस अधिकारी या समिति के सदस्य को पद या समिति से हटा सकेगा, या हटाने के साथ ही साथ उस आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि जो पॉच वर्ष से अधिक न हो तक के लिए उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण करने के लिए निर्हरित कर सकेगा अथवा रजिस्ट्रार अधिनियम की धारा 84 (1) के अधीन विरचित नियमों के तहत कार्रवाई कर सकेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन हटाया गया अधिकारी या समिति के सदस्य उस आदेश के संसूचित किये जाने की तारीख से उस पद का धारणकर्ता नहीं रह जायेगा और यदि वह निरर्हित कर दिया गया हो तो वह इस बात के लिए पात्र नहीं होगा कि वह, उस आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के लिए, उस सोसाइटी के अधीन कोई पद धारण करे.

समिति की रिक्तियों की पूर्ति में विलंब के लिए शास्ति.

82. यदि सोसाइटी की समिति के किसी निर्वाचित सदस्य के पद में हुई रिक्तियों की पूर्ति, ऐसी रिक्तियाँ होने के छः महीने के भीतर समिति द्वारा नही कराई जाती है, तो ऐसी स्थिति में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् रजिस्ट्रार ऐसी समिति के सदस्य/सदस्यों या अधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, प्राथमिक सोसाइटी की दशा

में रूपये एक हजार, केन्द्रीय सोसाइटी की दशा में रूपये दस हजार तथा संघीय एवं शीर्ष सोसाइटी की दशा में रूपये पच्चीस हजार की सीमा तक शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जिसे ऐसे सदस्य/सदस्यों/अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाएगा.

प्रबंधकों, सचिवों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति.

83. (1) कोई भी सोसाइटी किसी प्रबंधक, सचिव, लेखापाल या किसी भी अन्य वैधानिक अधिकारी को तब तक नियुक्त नहीं करेगी जब तक कि वह ऐसी अर्हताएं न धारण करता हो जैसी कि विहित की जाय.

(2) शीर्ष सोसाइटियां तथा केन्द्रीय सोसाइटियां अधिकारियों तथा अन्य सेवकों के ऐसे संवर्ग (काडर) बनाये रखेंगी जिसका कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे और ऐसे संवर्ग के सदस्यों की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी कि रजिस्ट्रार, आदेश द्वारा अवधारित करे.

(3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन सोसाइटियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो कि उपधारा (2) के अधीन शीर्ष सोसाइटियों या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा बनाये गये ऐसे संवर्गों में से, जैसे कि उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किये जायं, अधिकारियों को नियोजित करेंगी और उन सोसाइटियों के वर्ग के लिए यह बाध्यताकारी होगा कि वह ऐसे संवर्ग के अधिकारियों को जब कभी शीर्ष या केन्द्रीय सोसाइटियों द्वारा उन्हें प्रतिनियुक्त किया जाय, स्वीकार करे तथा उन्हें उन संवर्ग पदों पर नियुक्त करें.

सोसाइटियों में के नियोजनों की शर्तों का अवधारण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

84. (1) रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी में के या किसी वर्ग की सोसाइटियों में के नियोजन के निबन्धनों तथा शर्तों को शासित करने वाले नियम समय-समय पर बना सकेगा और वह सोसाइटी या उस वर्ग की सोसाइटियां जिनको/जिसको कि नियोजन के ऐसे निबंधन तथा शर्तें लागू होती हों, उस आदेश का पालन करेंगी/करेगी जो कि उस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाय.

(2) जहां कोई ऐसा विवाद, जिसमें नियोजन, के निबंधनों, कामकाज की शर्तें तथा किसी सोसाइटी द्वारा की गई अनुशासनिक कार्यवाही से संबंधित विवाद है, किसी सोसाइटी तथा उसके कर्मचारियों के बीच उठे, वहां उस विवाद का विनिश्चय एक वर्ष के भीतर रजिस्ट्रार या ऐसे किसी अन्य अधिकारी द्वारा, जो सहायक रजिस्ट्रार से निम्न पद श्रेणी का न हो, किया जायगा और उसका विनिश्चय उस सोसाइटी तथा उसके कर्मचारियों को आबद्धकर होगा.

यदि निर्धारित कालावधि में विनिश्चय नही किया जाता है तो रजिस्ट्रार अभिलिखित किए जाने वाले कारणों सहित शासन को प्रतिवेदन प्रेषित करेगाः

परन्तु रजिस्ट्रार या ऊपर निर्दिष्ट किया गया अधिकारी उस विवाद को तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि वह (विवाद) उस आदेश को, जिसका कि आक्षेप किया जाना चाहा गया है, तारीख से तीस दिन के भीतर उसके समक्ष पेश न किया जायः

परन्तु यह और कि पूर्ववर्ती परन्तुक के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने में, आदेश की प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिये अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा.

बाध्यता का पालन कराने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

85. (1) प्रत्येक सोसाइटी ऐसे अभिलेख, रजिस्टर तथा लेखा–पुस्तकें बनाये रखेगी तथा रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां देगी जिनकी कि उसके द्वारा समय–समय पर अपेक्षा की जाय.

(2) प्रत्येक सोसाइटी किसी अधिकारी या कर्मचारी या समिति के सदस्य पर इस बात का विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व निरोपित करेगी कि वह ऐसे अभिलेख, रजिस्टर तथा लेखा–पुस्तकें बनाये रखे और रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार आदेश द्वारा समय–समय पर अपेक्षित करे, ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की गई कालावधि के भीतर दे.

(3) यदि सोसाइटी का कोई ऐसा अधिकारी या कर्मचारी या समिति का सदस्य, जिस पर कि विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्व उपधारा (2) के अधीन निरोपित किया गया हो, अभिलेख, रजिस्टर तथा लेखा–पुस्तकें नहीं बनाये रखता है और रजिस्ट्रार को ऐसी जानकारी तथा ऐसी विवरणियां, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षा करे, विनिर्दिष्ट समय के भीतर नहीं देता है, तो रजिस्ट्रार आदेश द्वारा, ऐसे समिति के सदस्य के बारे में यह घोषित कर सकेगा कि वह तीन वर्ष से अनधिक ऐसी कालावधि के दौरान जैसी कि वह ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट करें, समिति का सदस्य होने के लिए निरर्हित रहेगा और यदि वह अधिकारी सोसाइटी का कर्मचारी है तो उस पर ऐसी शास्ति जो पांच हजार रूपये से अधिक न हों, अधिरोपित कर सकेगाः

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय.

अभिलेखों आदि के अभिग्रहण करने की रजिस्ट्रार की शक्ति.

86. (1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि—

(क) किसी सोसाइटी के अभिलेखों, रजिस्टरों या लेखा—पुस्तकों का बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना संभाव्य है तथा किसी सोसाइटी की निधियों एवं संपत्ति का दुर्विनियोग या दुरूपयोजन किया जाना संभाव्य है; या

(ख) उस दशा में, जब कि किसी सोसाइटी की समिति उस सोसाइटी के साधारण अधिवेशन में पुनर्गठित की गई हो अथवा सोसाइटी की समिति रजिस्ट्रार द्वारा धारा 79 के अधीन हटा दी गई हो अथवा धारा 102 के अधीन सोसाइटी का समापन कर दिया जाने का आदेश दिया गया हो, समिति के बहिर्गामी सदस्य सोसाइटी के अभिलेख तथा उसकी संपत्ति का भार उन व्यक्तियों को, जिन्हें कि ऐसा भार लेना हो या जो ऐसा भार प्राप्त करने के लिए हकदार है, सौंपने से इन्कार करते है;

वहां रजिस्ट्रार उस व्यक्ति को, जो कि उसके द्वारा लिखित में सम्यकरूपेण प्राधिकृत किया गया हो उस सोसाइटी की ऐसी पुस्तकों तथा अभिलेखों, निधियों एवं सम्पत्ति को अभिग्रहीत करने तथा कब्जे में लेने का निदेश देते हुए, आदेश जारी कर सकेगा और उस सोसाइटी का वह अधिकारी या समिति के सदस्य, जो ऐसी पुस्तकों, अभिलेखों, निधियों तथा संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हों, उनका परिदान उस व्यक्ति को, जो इस प्रकार प्राधिकृत किया गया हो, कर देगा/देंगे.

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, रजिस्ट्रार ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा और पुलिस बल को सम्मिलित करते हुए, ऐसे न्यूनतम बल का उपयोग कर सकेगा या करवा सकेगा जैसा कि आवश्यक समझा जाय.

अभिलेख तथा संपत्ति का कब्जा लेना.

87. (1) जहां रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाय कि किसी सोसाइटी की पुस्तकों तथा अभिलेखों का दबा दिया जाना, बिगाड़ा जाना या नष्ट किया जाना, या किसी सोसाइटी की निधियों तथा संपत्ति का दुर्विनियोग या दुरूपयोजन किया जाना संभाव्य है, वहां रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, जिसकी कि अधिकारिता के भीतर सोसाइटी कार्य कर रही हो, सोसाइटी के अभिलेखों तथा संपत्ति का अभिग्रहण करने

तथा कब्जा लेने के लिए आवेदन कर सकेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, वह मजिस्ट्रेट उप–निरीक्षक की पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत कर सकेगा कि वह किसी ऐसे स्थान में, जहां कि वे अभिलेख तथा सम्पत्ति रखी हुई हो या जहां कि उन अभिलेखों तथा सम्पत्ति को रखा जाना संभाव्य हो, प्रवेश करे, और उसकी तलाशी ले तथा उनका अभिग्रहण करके उनका कब्जा यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति को सौंप दें.

छठवां अध्याय – संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण

संपरीक्षा तथा संपरीक्षा फीस.

88. (1) रजिस्ट्रार प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार प्रत्येक सोसाइटी के लेखाओं की संपरीक्षा करेगा या किसी ऐसे व्यवित द्वारा, जिसे उसने, साधारणतया विशेष आदेश द्वारा, लिखित में इस निमित्त प्राधिकृत किया हो, करवायेगा और ऐसी सोसाइटी से ऐसी फीस वसूल करेगा, जो कि विहित की जाय ;

परन्तु.–

(एक) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले कारणों से, सोसाइटियों के किसी वर्ग, को छूट दे सकेगी;

(दो) रजिस्ट्रार, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से, किसी सोसाइटी को इस उपधारा के अधीन फीस या उसके भाग के भुगतान से छूट दे सकेगा.

(तीन) प्रत्येक सोसाइटी का यह उत्तरदायित्व होगा कि, रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि में प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार अपने लेखाओं की संपरीक्षा कराएगी. यदि सोसाइटी वर्ष में एक बार ऐसा संपरीक्षा कराने में असफल रहती है तो ऐसी सोसाइटी के अध्यक्ष एवं मुख्यकार्यपालक, व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रार के आदेश से पॉच हजार रूपये से अनधिक की अर्थदण्ड के शास्ति के उत्तरदायी होंगे;

परन्तु ऐसी शास्ति अधिरोपित करने के पूर्व रजिस्ट्रार सोसाइटी के अध्यक्ष या मुख्यकार्यपालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा;

परन्तु यह और भी कि कोई केन्द्रीय सोसाइटी या कोई शीर्ष सोसाइटी या कोई नगरीय सहकारी बैंक अपने लेखाओं की संपरीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से करवा सकेगी.

परन्तु यह भी कि यदि वहां संपरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण होने या जारी होने के पश्चात्, कोई वित्तीय अनियमितता या गबन की शिकायत होती है तो रजिस्ट्रार, इस प्रयोजन के लिए विशेष संपरीक्षा हेतु आदेश दे सकेगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन की संपरीक्षा में लेखाओं की तथा अतिशोध्य ऋणों की, यदि कोई हो, परीक्षा, रजिस्ट्रार द्वारा इस अधिनियम, उसके अधीन बनाए गए नियमों और सोसाइटी की उपविधियों के अधीन दिए गए अनुदेशों तथा आदेशों का अनुपालन की परीक्षा रोकड़ बाकी तथा प्रतिभूतियों का सत्यापन तथा सोसाइटियों की आस्तियों तथा दायित्वों का मूल्यांकन एवं ऐसी अन्य मदें जो कि रजिस्ट्रार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, सम्मिलित हैं.

(3) रजिस्ट्रार या प्राधिकृत व्यक्ति की समस्त समयों पर सोसाइटी की या उसकी अभिरक्षा में की समस्त पुस्तकों, लेखाओं, दस्तावेजों, कागज–पत्रों, प्रतिभूतियों, रोकड़ तथा अन्य सम्पत्तियों तक पहुंच होगी और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसके कि कब्जे में कोई ऐसे पुस्तक, लेखे, दस्तावेजें, कागज–पत्र, प्रतिभूतियां, रोकड़ या अन्य सम्पत्तियां हो, या जो उनकी अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी हो, उन्हें उस सोसाइटी के मुख्यालय के या उसकी किसी शाखा पर के किसी स्थान पर पेश करने के लिए समन कर सकेगा.

(4) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो किसी सोसाइटी का अधिकारी या कर्मचारी या समिति का सदस्य हो अथवा किसी समय रह चुका हो, तथा किसी सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य तथा भूतपूर्व सदस्य उस सोसाइटी के संव्यवहारों एवं कार्यकरण के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसी की रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति अपेक्षित करे.

संपरीक्षा बोर्ड. 89 किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के वर्ग की संपरीक्षा तथा उसके पर्यवेक्षण का संचालन करने के प्रयोजन से, राज्य सरकार एक संपरीक्षा बोर्ड का गठन कर सकेगी जो रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे और इन शक्तियों का प्रयोग संपरीक्षा बोर्ड, रजिस्ट्रार को अपवर्जित करते हुए करेगा.

किसी सोसाइटी को हुए नुकसान को पूरा करने के लिए प्रकिया.

90. (1) इस अधिनियम या नियमों में या किसी सोसाइटी की उप विधियों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां उसकी अंशपूंजी में राज्य सरकार ने अभिदाय किया है या उधार या वित्तीय सहायता दी है या किसी अन्य रूप में दिए गए उधारों, डिबेंचरों या अग्रिमों के प्रतिदाय की प्रत्याभूति दी है या किसी अन्य रूप में अनुदान दिया है और यदि किसी सोसाइटी की संपरीक्षा, जांच, निरीक्षण या परिसमापन के दौरान या अन्यथा यह पाया जाए कि किसी ऐसे व्यक्ति ने, जिसे ऐसी सोसाइटी के संगठन या प्रबंध का कार्य सौंपा गया है, या सौंपा गया था, या समिति के किसी मृत, भूतपूर्व या वर्तमान सदस्य, सोसाइटी के अधिकारी या कर्मचारी ने इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों के या किसी सोसाइटी की उपविधियों के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भुगतान किया है या घोर उपेक्षा या अवचार द्वारा कोई कमी घटित की है या कोई हानि पहुंचाई है या ऐसी सोसाइटी के किसी धन या अन्य संपत्ति का दुर्विनियोग किया है या उस धन या अन्य सम्पत्ति को कपटपूर्वक रख छोड़ा है, तो रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या समिति, समापक या किसी लेनदार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति के आचरण की जांच यथास्थिति, संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण की रिपोर्ट की तारीख के दो वर्ष के भीतर स्वयं कर सकेगा या अपने द्वारा प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति को इस संबंध में लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के आचरण की जांच, यथास्थिति संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण या परिसमापन की रिपोर्ट की तारीख के दो वर्ष के भीतर करे:

परन्तु किसी व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी जांच तब तक संस्थित नही की जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन की गई जांच पर, रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाए कि इस उपधारा के अधीन आदेश देने के लिए पर्याप्त आधार है तो वह, ऐसे व्यक्ति से या, किसी मृत व्यक्ति की दशा में, उसके विधिक प्रतिनिधि से जो कि उसकी सम्पदा विरासत में प्राप्त करे, यह अपेक्षा करते हुए आदेश कर सकेगा कि वह ऐसी दर से, जैसी कि रजिस्ट्रार न्यायसंगत तथा सम्यक् समझें, संगणित किये गये ब्याज सहित उस धन या संपत्ति या उसके किसी भाग का प्रतिसंदाय या प्रत्यावर्तन करे या अभिदाय खर्चो का प्रतिकर या भुगतान ऐसी सीमा तक करे जैसी कि रजिस्ट्रार न्यायसंगत तथा साम्यिक समझें:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नही दिया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उस मामले में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया जाय:

परन्तु यह और भी कि मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस सम्पत्ति, जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई हो, की सीमा तक ही होगा.

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे आदेश संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकेगा:

परन्तु परिसीमाकाल की संगणना करने में, उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जाएगा.

(4) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन किया गया कोई आदेश धारा 130 के उपबंधों के अनुसार प्रवर्तित किया जाएगा.

(5) यदि शपथ पत्र या जांच के आधार पर या अन्यथा रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे आदेश के, जो इस धारा के अधीन उसके विरूद्ध किया जा सकता है, प्रवर्तन में विलम्ब करने या बाधा पहुंचाने के आशय से.—

(क) अपनी सम्पूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने वाला है; या

(ख) अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता से हटाने वाला है.

तो वह, जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी गई हो, उक्त संपत्ति की या उसके ऐसे भाग की, जिसे वह आवश्यक समझे, सशर्त कुर्की का आदेश दे सकेगा.

जांच. 91. (1) रजिस्ट्रार.—

(एक) किसी ऐसी सोसाइटी, जिससे कि सोसाइटी संबद्ध है; या

(दो) किसी ऐसे लेनदार, जिसकी सोसाइटी ऋणी है; या

(तीन) समिति के कम से कम एक–तिहाई सदस्यों; या

(चार) सोसाइटी के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक–दशमांश सदस्यों; या

(पांच) किसी प्रभावित व्यक्ति;

के आवेदन पर या आवेदन पत्र में उठाए गए सोसाइटी के गठन, कार्यकरण और वित्तीय स्थिति के संबंध में विनिर्दिष्ट विषयों के बारे में जांच कर सकेगा या जांच करवा सकेगा.

(2) रजिस्ट्रार, आवेदक या आवेदकों से आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर केवल ऐसी फीस, जो विहित की जाए और जो जांच को संचालित करने के खर्च की पूर्ति के लिए पर्याप्त समझी जाए, प्राप्त होने के पश्चात् ही किसी जांच के आदेश करेगा.

(3) ऐसी जांच, जांच के आदेश होने की तारीख से यथा संभव शीघ्र चार मास की कालावधि के भीतर पूरी की जाएगी.

(4) रजिस्ट्रार, जांच पूरी होने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर, जांच की रिपोर्ट.—

(एक) संबंधित सोसाइटी को;

(दो) आवेदकों या ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है;

(तीन) सोसाइटी के किसी सदस्य को;

(चार) ऐसे परिसंघ को, जिसकी कि सोसाइटी सदस्य है;

(पांच) लेनदार को;

उसके द्वारा विहित फीस का संदाय किये जाने पर, संसूचित करेगा.

जांच में सहायता करने का कतिपय व्यक्तियों का कर्त्तव्य.

92. (1) सोसाइटी के समस्त अधिकारी, सदस्य या भूतपूर्व सदस्य और समिति के सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, जिनके कि संबंध में जांच की जा रही हो, तथा कोई अन्य व्यक्ति जो जांच करने वाले अधिकारी की राय में, सोसाइटी से संबंधित जानकारी, पुस्तकों तथा कागज—पत्रों का कब्जा रखे हुए हों, जांच करने वाले अधिकारी को ऐसी जानकारी, जो कि उनके कब्जे में हो, देंगे तथा सोसाइटी से संबंधित समस्त पुस्तकें एवं कागज—पत्र, जो उनकी अभिरक्षा में हों तथा उनकी शक्ति के अधीन हों, पेश करेंगे तथा जांच के संबंध में अन्य प्रकार से वह समस्त सहायता देंगे जो कि वे युक्तियुक्त रूप से दे सकते हों.

(2) यदि ऐसा व्यक्ति रजिस्ट्रार के समक्ष या किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष जो कि रजिस्ट्रार द्वारा धारा 91 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किया गया हो, कोई ऐसी पुस्तक या कोई ऐसे कागज—पत्र, जिन्हें पेश करना उपधारा (1) के अधीन उस व्यक्ति का कर्त्तव्य है, पेश करने से इन्कार करे या किसी ऐसे प्रश्न का जो कि उससे रजिस्ट्रार या उसके द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यक्ति द्वारा किया जाय, उत्तर देने से इन्कार करे, तो रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा प्राधिकृत किया गया व्यक्ति उस इन्कार को प्रमाणित कर सकेगा और रजिस्ट्रार कोई ऐसा कथन, जो कि प्रतिवाद में दिया जाय, सुनने के पश्चात् व्यतिक्रमी को शास्ति से, जो

एक हजार रूपये से अधिक नहीं होगी, दण्डित कर सकेगा. इस धारा के अधीन शास्ति के रूप में अधिरोपित की गई कोई राशि, अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाने पर, मजिस्ट्रेट द्वारा उसी प्रकार वसूली होगी मानों कि वह स्वयं उस मजिस्ट्रेट द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो.

सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण.

93. (1) रजिस्ट्रार स्वप्रेरणा से या किसी सोसाइटी के लेनदार का आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर, सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण कर सकेगा या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, सोसाइटी की पुस्तकों का निरीक्षण करने के लिए निर्देश दे सकेगा:

परन्तु कोई भी ऐसा निरीक्षण, लेनदार के आवेदन–पत्र पर से तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक.–

(क) रजिस्ट्रार का यह समाधान न कर दे कि ऋण वह राशि है जो तभी शोध्य है और यह कि उसने उसके भुगतान की मांग की है तथा युक्तियुक्त समय के भीतर चुकारा प्राप्त नहीं किया है; और

(ख) प्रस्थापित निरीक्षण के खर्चे के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि, जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करे रजिस्ट्रार के पास निक्षिप्त न कर दे.

(2) रजिस्ट्रार किसी ऐसे निरीक्षण के परिणाम.–

(क) जहां वह निरीक्षण उसकी स्वप्रेरणा से किया गया हो, वहां सोसाइटी को; और

(ख) जहां निरीक्षण किसी लेनदार के आवेदन पर किया गया हो, वहां उस लेनदार को तथा सोसाइटी को संसूचित करेगा.

त्रुटियों की परिशुद्धि.

94. (1) यदि धारा 88 के अधीन की गई संपरीक्षा या धारा 91 के अधीन की गई किसी जांच या धारा 93 के अधीन किये गये किसी निरीक्षण के परिणामस्वरूप किसी सोसाइटी के गठन, कार्यकरण या उसकी वित्तीय स्थिति या उसकी लेखा पुस्तकों में कोई त्रुटियां प्रकट हों तो रजिस्ट्रार ऐसी त्रुटियां उस सोसाइटी की जानकारी में ला सकेगा और यदि वह सोसाइटी किसी अन्य सोसाइटी से सम्बद्ध हो तो उस अन्य सोसाइटी की जानकारी में भी ला सकेगा.

(2) रजिस्ट्रार ऐसी सोसाइटी या उसके अधिकारियों को या उस सोसाइटी को, जिससे कि वह सम्बद्ध हो, यह निदेश देते

हुए आदेश कर सकेगा कि वह उन त्रुटियों का, जो कि संपरीक्षा, जांच या निरीक्षण में प्रकट हुई हो, उपचार करने के लिए ऐसी कार्यवाही, जो कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे समय के भीतर करे, जो कि उस आदेश में उल्लिखित हो.

जांच के खर्चे. 95. जहां धारा 91 के अधीन कोई जांच की जाय या लेनदार के आवेदन पर से धारा 93 के अधीन कोई निरीक्षण किया जाय, वहां रजिस्ट्रार खर्चे या खर्चों का ऐसा भाग, जैसा कि वह उचित समझे, उस सोसाइटी के, जिससे कि संबंधित सोसाइटी सम्बद्ध हो, संबंधित सोसाइटी के जांच या निरीक्षण की, मांग करने वाले सदस्यों या लेनदारों के, तथा सोसाइटी के अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों के बीच प्रभाजित कर सकेगा:

परन्तु.—

(क) खर्चों के प्रभाजन को कोई आदेश इस धारा के अधीन तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि उस सोसाइटी या उस व्यक्ति को, जिसे कि उसके (आदेश के) अधीन खर्चों का संदाय करने के लिए दायी बनाना चाहा गया है, सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर न मिल चुका हो;

(ख) रजिस्ट्रार उन आधारों को, जिन पर कि खर्चों का प्रभाजन किया गया हो, लिखित में कथित करेगा.

कार्यवाहियों आदि पर व्यय. 96. सोसाइटी की निधियों में से कोई व्यय, रजिस्ट्रार द्वारा अध्याय 5 या अध्याय 6 के अधीन किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी आदेश के विरूद्व सोसाइटी के किसी अधिकारी या समिति द्वारा किसी न्यायालय में फाइल या संस्थित की गई किसी कार्यवाही के खर्चों का चुकारा करने के प्रयोजन के लिए उपगत नहीं किया जायगा:

परन्तु जहां मामला यथास्थिति अधिकारी या समिति के पक्ष में अंतिम रूप से विनिश्चित किया जाता है वहां ऐसे खर्च की, जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाए, सोसाइटी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी.

सातवां अध्याय— विवाद तथा माध्यस्थम

विवाद. 97. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सोसाइटी के गठन, प्रबन्ध या कारबार से या किसी सोसाइटी के समापन से संबंधित कोई विवाद. विवाद के पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार द्वारा रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जायगा यदि उसके पक्षकार निम्नलिखित में से हो :—

(क) कोई सोसाइटी, उसकी समिति, कोई भूतपूर्व समिति, कोई भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, कोई भूतपूर्व या वर्तमान समिति के सदस्य, कोई भूतपूर्व या वर्तमान अभिकर्ता, कोई भूतपूर्व या वर्तमान सेवक या नाम निर्देशिती, सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत सेवक का कोई नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि या सोसाइटी का समापक;

(ख) कोई सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या किसी सोसाइटी के या किसी ऐसी सोसाइटी के, जो उस सोसाइटी के सदस्य हो; किसी सदस्य भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के मार्फत दावा करने वाला कोई व्यक्ति;

(ग) किसी सोसाइटी के सदस्य से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सोसाइटी द्वारा उधार मंजूर किया गया हो या जिसके साथ सोसाइटी के कारोबारी संव्यवहार हों या थे तथा ऐसे व्यक्ति के मार्फत् दावा करने वाला कोई व्यक्ति;

(घ) किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, मृत सदस्य का या किसी सदस्य से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति का, जिसे सोसाइटी द्वारा उधार मंजूर किया गया हो, प्रतिभू चाहे ऐसा प्रतिभू सोसाइटी का सदस्य हो या न हो;

(ङ.) कोई अन्य सोसाइटी या ऐसी किसी सोसाइटी का समापक; और

(च) किसी सोसाइटी का लेनदार;

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, विवाद के अन्तर्गत निम्नलिखित आयेंगे :—

(एक) किसी सोसाइटी द्वारा किसी ऐसे ऋण या ऐसी मांग के लिए, जो किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि द्वारा उस सोसाइटी को शोध्य हो, कोई दावा, चाहे ऐसे ऋण या मांग को स्वीकार किया जाय या नहीं;

(दो) किसी प्रतिभू द्वारा मूल ऋणी के विरूद्व उस दशा में कोई दावा जबकि सोसाइटी ने किसी ऐसे ऋण या मांग की बाबत, जो की मूल ऋणी के व्यतिक्रम के परिणाम—स्वरूप मूल ऋणी द्वारा सोसाइटी को शोध्य हो, कोई रकम प्रतिभू से वसूल कर ली हो, चाहे ऐसे ऋण या मांग को स्वीकार किया जाय या नहीं;

(तीन) किसी ऐसी हानि के लिए, जो कि किसी सोसाइटी के किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य, किसी अधिकारी या समिति का सदस्य, भूतपूर्व अधिकारी या समिति का सदस्य, मृत अधिकारी या समिति का सदस्य, किसी अभिकर्ता, भूतपूर्व अभिकर्ता या मृत अभिकर्ता, या किसी सेवक, भूतपूर्व सेवक या मृत सेवक, या उसकी भूतपूर्व या वर्तमान समिति द्वारा पहुंचाई गई हो, उस सोसाइटी द्वारा कोई दावा, चाहे ऐसी हानि को स्वीकार किया जाय या नहीं;

(चार) अधिकारों आदि के बारे में कोई प्रश्न जिसमें किसी गृह निर्माण सोसाइटी तथा उसके अभिधारियों या ऐसी सोसाइटी और उसके सदस्यों के बीच अभिघृति अधिकार सम्मिलित है; और

(पांच) सोसाइटी के किसी समिति के सदस्य के निर्वाचन के संबंध में या सोसाइटी के या संयुक्त सोसाइटी के प्रतिनिधि के निर्वाचन के संबंध में उठने वाला कोई विवाद:

परन्तु रजिस्ट्रार उस कालावधि के, जो कि निर्वाचन कार्यक्रम के आख्यापन से प्रारम्भ होकर परिणामों की घोषणा तक की हो, दौरान इस खण्ड के अधीन कोई भी विवाद ग्रहण नहीं करेगा.

(3) यदि कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत हो कि क्या रजिस्ट्रार को निर्देशित किया गया कोई विवाद, विवाद है तो उस पर रजिस्ट्रार का विनिश्चय अन्तिम होगा तथा उसे किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा.

परिसीमा. 98. (1) परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का संख्यांक 36) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में किए गए विनिर्दिष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उन विवादों को, जो कि नीचे वर्णित है, धारा 97 के अधीन रजिस्ट्रार को निर्देशित करने के लिए परिसीमा कालावधि,

(क) जब विवाद किसी सोसाइटी को उसके किसी सदस्य द्वारा शोध्य किसी राशि, जिसके कि अन्तर्गत उस पर का ब्याज भी आता है, की वसूली के संबंध में हो, तब उस तारीख से, जिसको जिसके कि ऐसे सदस्य की मृत्यु हो जाय या जिसको कि वह उस सोसाइटी का सदस्य न रह जाय, छह वर्ष होगी;

(ख) जब विवाद किसी सोसाइटी या उसकी समिति के तथा किसी भूतपूर्व समिति, किसी भूतपूर्व या वर्तमान अधिकारी, या भूतपूर्व या वर्तमान अभिकर्ता, या भूतपूर्व या वर्तमान सेवक या सोसाइटी के किसी मृत अधिकारी, मृत अभिकर्ता या मृत सेवक के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि, या किसी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य, या किसी मृत सदस्य के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि के बीच हो और जब विवाद, विवाद के किसी भी पक्षकार की ओर से किये गये किसी कार्य या कार्यलोप के संबंध में हो, तब उस तारीख से छः वर्ष होगी जिसको कि वह कार्य या कार्यलोप, जिसके कि संबंध में विवाद उद्भूत हुआ है, हुआ हो;

(ग) जब विवाद किसी ऐसी सोसाइटी , जिसका कि धारा 102 के अधीन परिसमापन किया जाने का आदेश किया जा चुका हो या जिसके कि संबंध में किसी नामनिर्दिष्ट समिति या व्यक्ति या व्यक्तियों की नियुक्ति धारा 79 के अधीन कर दी गई हो, के गठन, प्रबंध या कारबार से संबंधित किसी मामले के बारे में हो, तब यथास्थिति धारा 102 तथा धारा 79 के अधीन जारी किए गए आदेश की तारीख से छह वर्ष होगी;

(घ) जब विवाद किसी सोसाइटी के किसी समिति के सदस्य- निर्वाचन के संबंध में हो, तब ऐसे निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से पैंतालिस दिन होगी.

(2) उपधारा (1) में वर्णित विबादों को छोड़कर जिनका रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाना धारा 97 के अधीन अपेक्षित है, किसी भी अन्य विवाद की दशा में परिसीमा काल परिसीमा अधिनियम 1963 (1963 का संख्यांक 36) के उपबंधों द्वारा इस प्रकार विनियमित होगा मानो वह विवाद एक वाद है और रजिस्ट्रार सिविल न्यायालय है.

(3) उपधारा (1) तथा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी विवाद को परिसीमा कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् भी ग्रहण कर सकेगा यदि आवेदक रजिस्ट्रार का यह समाधान कर देता है कि उस विवाद को ऐसी कालावधि के भीतर निर्देशित न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था.

विवाद का निपटारा.

99\. (1) रजिस्ट्रार, धारा 97 के अधीन विवाद का निर्देश प्राप्त होने पर, उस विवाद को स्वयं विनिश्चित कर सकेगा अथवा निपटाये जाने के हेतु उसे किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को, जो कि रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया जाएगा, अन्तरित कर सकेगा.

(2) जहां कोई विवाद किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी बोर्ड द्वारा निपटाये जाने के लिए उपधारा (1) के अधीन अन्तरित कर दिया गया हो, वहां रजिस्ट्रार, लेखबद्व किये जाने वाले कारणों से, उस विवाद को ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड से किसी भी समय प्रत्याहृत कर सकेगा और उस विवाद को स्वयं विनिश्चित कर सकेगा अथवा विनिश्चय के हेतु उसे अपने द्वारा नियुक्त किये गये किसी अन्य नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को पुनः अन्तरित कर सकेगा.

(3) किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड का, जिसको कि कोई विवाद विनिश्चय के हेतु इस धारा के अधीन अन्तरित किया गया हो विनिश्चय इस धारा के प्रयोजनों के लिए, रजिस्ट्रार का विनिश्चय समझा जाएगा.

विवादों के निपटारे के लिए प्रक्रिया तथा रजिस्ट्रार, उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड की शक्ति.

100\. (1) रजिस्ट्रार या उसके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के बोर्ड को अन्तर्वर्ती आदेश करने, जिसके कि अन्तर्गत अस्थायी व्यादेश का दिया जाना आता है, की शक्ति होगी. इस शक्ति का प्रयोग करने में, यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों का बोर्ड उस प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो कि ऐसे आदेश करने तथा व्यादेश देने के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का संख्यांक 5) में अधिकथित की गई है.

(2) विवाद की सुनवाई में किसी विधि व्यवसायी द्वारा किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड की अनुज्ञा से ही किया जाएगा अन्यथा नहीं :

परन्तु जहां इस प्रकार अनुज्ञा दे दी जाती है, वहां विवाद का दूसरा पक्षकार इस बात का हकदार होगा कि उसका प्रतिनिधित्व विधि व्यवसायी द्वारा किया जाय.

(3) यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उसका नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, उन पक्षकारों और साक्षियों के, जो हाजिर होते हैं, साक्ष्य का टिप्पण हिन्दी में अभिलिखित करेगा और इस प्रकार अभिलिखित किए गए साक्ष्य पर दोनों में से किसी भी

पक्षकार द्वारा पेश किए गये किसी दस्तावेजी साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात, यथास्थिति विनिश्चय या अधिनिर्णय देगा जो लेखबद्ध किया जाएगा. यदि सम्यक्‌रूप से समन किया गया आवेदक अनुपस्थित रहता है तो मामला व्यतिक्रम के कारण खारिज़ किया जा सकेगा. यदि अनावेदक अनुपस्थित रहता है तो मामला एक पक्षीय रूप से विनिश्चित किया जा सकेगा. उन मामलों में जहां तीन नामनिर्दिष्ट व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं, बहुसंख्या की राय अभिभावी होगी:

परन्तु जहां कोई विवाद, व्यतिक्रम के कारण किसी पक्षकार के विरूद्व विनिश्चत किया गया है और ऐसा पक्षकार ऐसे व्यतिक्रम की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार का यह समाधान कर देता है कि उसके उपसंजात न होने के लिए पर्याप्त हेतुक था, वहां रजिस्ट्रार, एकपक्षीय पारित आदेश को अपास्त करते हुए आदेश करेगा और मामले में आगे प्रकरण की सुनवाई करेगा.

(4) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा नाम निर्देशित या नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों का बोर्ड जो अधिनियम की धारा 99 के अधीन नियुक्त किया गया हो ऐसे विवादो का विनिश्चय निर्देशित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर करेगा. यदि निर्धारित कालावधि में विनिश्चय नही किया जाता है तो रजिस्ट्रार अभिलिखित किए जाने वाले कारणों सहित शासन को प्रतिवेदन प्रेषित करेगा.

अधिनिर्णय के पूर्व कुर्की.

101. जहां यथास्थिति रजिस्ट्रार, किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के किसी बोर्ड का, जो धारा 99 के अधीन कार्य कर रहा है, शपथपत्र या जांच के आधार पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी निर्देश का कोई पक्षकार किसी ऐसे अधिनिर्णय के, जो कि किया जा सकता है, निष्पादन में विलम्ब करने या बाधा पहुंचाने के आशय से,–

(क) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को व्ययनित करने वाला है; या

(ख) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार की अधिकारिता से हटाने वाला है,

तो रजिस्ट्रार, कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों का बोर्ड, जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी गई हो उक्त संपत्ति की या उसके ऐसे भाग की, जिसे वह आवश्यक समझे, सशर्त कुर्की अपने द्वारा प्राधिकृत किए गये ऐसे अभिकरण, जिसे वह उचित समझे द्वारा की जाने का निर्देश दे सकेगा और ऐसी कुर्की का इसी प्रकार प्रभाव होगा मानो वह सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गई हो,

आठवां अध्याय— समापन

सोसाइटियों का परिसमापन.

102. (1) यदि, धारा 91 के अधीन जांच की जा चुकने या धारा 93 के अधीन निरीक्षण किया जा चुकने के पश्चात् या किसी सोसाइटी के कम से कम तीन—चौथाई सदस्यों द्वारा किये गये आवेदन के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार की यह राय हो कि सोसाइटी का परिसमापन कर दिया जाना चाहिये, तो वह उसका परिसमापन कर दिया जाने का निदेश देते हुए आदेश जारी कर सकेगा.

(2) रजिस्ट्रार, स्वप्रेरणा से, किसी सोसाइटी का परिसमापन किये जाने का निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा.—

(क) जहां उस सोसाइटी ने अपने रजिस्ट्रीकरण के युक्तियुक्त समय के भीतर कार्य करना प्रारंभ नहीं किया हो अथवा जहां उस सोसाइटी ने कार्य करना बन्द कर दिया हो; या

(ख) जहां रजिस्ट्रार की राय में वह सोसाइटी मुख्यतः किसी व्यक्ति के या व्यक्तियों के या समूह के हित को न कि साधारणतः सदस्यों के हित को संप्रवर्तित करने के लिए कार्य करती रही हो; या

(ग) जहां उस सोसाइटी ने इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन की किन्हीं ऐसी शर्तों का, जो रजिस्ट्रीकरण या प्रबंध के बारे में हों, अनुपालन करना बन्द कर दिया हो या

(घ) जहां कोई प्राथमिक उधार सोसाइटी सदस्यों से अपनी पूरी अतिशोध्य मांग लगातार तीन वित्तीय वर्षों तक वसूल न करके व्यतिक्रम करती रहे तथा अतिष्ठान के पश्चात् भी वह सोसाइटी पूरी अतिशोध्य मांग वसूल करने में असफल रहे.

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जायगा जब तक कि प्रस्थापित आदेश के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर संबंधित सोसाइटी को न दे दिया गया हो और उसके द्वारा किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न कर लिया गया हो.

(4) रजिस्ट्रार, किसी सोसाइटी के परिसमापन संबंधी किसी आदेश को, उस सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण रद्द होने के पूर्व किसी भी समय, उस दशा में रद्द कर सकेगा जबकि, उसकी राय में, उस सोसाइटी का अस्तित्व में बना रहना

आवश्यक है.

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी भी सहकारी बैंक का परिसमापन रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की लिखित पूर्व मंजूरी से ही किया जायगा अन्यथा नहीं.

सहकारी बैंक का परिसमापन.

103. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, रजिस्ट्रार किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश करेगा, यदि डिपाजिट इन्श्योरेन्स एण्ड क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) की धारा 13 डी में वर्णित परिस्थितियों में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाय.

बीमाकृत बैंक के मामले में डिपांजिट इन्शोरेन्स कारपोरेशन की प्रतिपूर्ति.

104. जहां किसी ऐसे सहकारी बैंक का, जो कि डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) के अर्थ के अन्तर्गत बीमाकृत बैंक हो, परिसमापन कर दिया गया हो या जो समापनाधीन कर दिया गया हो और डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन बीमाकृत बैंक के निक्षेपकर्ताओं के प्रति, उस एक्ट की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन दायित्वाधीन हो गया हो, वहां डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन को उन परिस्थितियों में प्रतिपूर्ति उस सीमा तक तथा उस रीति में की जायेगी जो कि डिपाजिट इन्श्योरेन्स कारपोरेशन एक्ट, 1961 (क्रमांक 47 सन् 1961) की धारा 21 में उपबंधित है.

समापक की नियुक्ति.

105. (1) जहां रजिस्ट्रार ने किसी सोसाइटी के परिसमापन के लिए धारा 102 के अधीन कोई आदेश किया हो, वहां वह उस प्रयोजन के लिए एक समापक नियुक्त कर सकेगा तथा उसका पारिश्रमिक नियत कर सकेगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो समापक के रूप में नियुक्त किया गया हो, किसी भी समय हटा भी सकेगा और उसके स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा:

परन्तु किसी ऐसे सहकारी बैंक के संबंध में, जिसका कि रिजर्व बैंक की अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर परिसमापन किया जाने के लिए आदेश दिया गया हो, समापक को रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी के बिना न तो नियुक्त किया जाएगा और न हटाया जाएगा.

(2) कोई समापक, नियुक्त हो जाने पर, ऐसी समस्त सम्पत्ति, चीजबस्त तथा उन अनुयोज्य दावों को, जिनके लिए कि सोसाइटी हकदार हो या हकदार प्रतीत होती हो, अपनी अभिरक्षा में या अपने नियंत्रण में ले लेगा और ऐसी सम्पत्ति, चीजबस्त तथा दावों की हानि या उनके क्षय या उनको होने वाले नुकसान को रोकने के लिए ऐसे उपाय

करेगा जैसे कि वह आवश्यक या समीचीन समझे.

(3) जहां कोई अपील धारा 113 के अधीन की जाय, वहां किसी सोसाइटी के परिसमापन का धारा 102 के अधीन किया गया आदेश तत्पश्चात तब तक प्रवर्तित नहीं किया जायगा जब तक कि आदेश की पुष्टि अपील में न कर दी जाय:

परन्तु समापक उपधारा (2) में वर्णित सम्पत्ति, चीजबस्त तथा अनुयोज्य दावों के अभिरक्षा में रखे रहेगा या उन पर नियंत्रण बनाये रखेगा और उसे वे उपाय करने का प्राधिकार होगा जो कि उस उपधारा में विनिर्दिष्ट किये गये है.

(4) जहां किसी सोसाइटी के परिसमापन का कोई आदेश अपील में अपास्त कर दिया जाय, वहां उस सोसाइटी की सम्पत्ति, चीजबस्त तथा अनुयोज्य दावे उस सोसाइटी में पुनर्निहित हो जायेंगे.

समापक का नियंत्रण.

106. समापक की नियुक्ति के पश्चात्, किसी सोसाइटी की समिति की समस्त- शक्तियां चाहे वह निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट हो, समाप्त हो जाएगी और इसके पश्चात्, सोसाइटी के कर्मचारी, समापक के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे.

समापक की शक्तियां.

107. (1) इस निमित्त में बनाये गये किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसी सोसाइटी की, जिसकी कि बाबत परिसमापन का आदेश कर दिया गया है, समस्त आस्तियां धारा 105 की अधीन नियुक्त किये गये समापक में उस तारीख से निहित हो जायगी जिसको कि वह आदेश प्रभावशील हो और समापक को यह शक्ति होगी कि वह ऐसी आस्तियां विक्रय द्वारा या अन्यथा वसूल करे.

(2) ऐसे समापक को, रजिस्ट्रार के नियंत्रण के अध्यधीन रहते हुए निम्नलिखित शक्तियां भी होंगी.–

(क) सोसाइटी की ओर से वाद एवं अन्य विधिक कार्यवाहियां अपने पदनाम से संस्थित करना तथा वादों एवं अन्य विधिक कार्यवाहियों में सोसाइटी की ओर से प्रतिरक्षा अपने पदनाम से करना;

(ख) सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों द्वारा या मृत सदस्यों की सम्पदाओं या उनके नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों, वारिसों या विधिक प्रतिनिधियों द्वारा या किन्हीं अधिकारियों या भूतपूर्व अधिकारियों द्वारा

सोसाइटी की आस्तियों के प्रति किये जाने वाले या किये जाने के लिए शेष रहे अभिदाय (जिसके अन्तर्गत शोध्य ऋण आते हैं) का समय–समय पर अवधारण करना:

(ग) उन समस्त दावों का, जो सोसाइटी के विरूद्व हों, अन्वेषण करना तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, पूर्विकता के उन प्रश्नों को, जो दावेदारों के बीच उद्‌भूत हो, विनिश्चित करना;

(घ) सोसाइटी के विरूद्व दावों का, जिनमें समापन की तारीख तक का ब्याज सम्मिलित है, उनकी पूर्विकता, यदि कोई हो, के अनुसार पूर्णतः या अनुपाततः जैसी किसी सोसाइटी की आस्तियों में गुंजाइश हो भुगतान करना दावों का भुगतान करने के पश्चात् बचा हुआ अधिशेष, यदि कोई हो, समापक के आदेश के तारीख से ब्याज के भुगतान में उपयोजित किया जायगा जो ऐसी दर से होगा जो रजिस्ट्रार द्वारा नियत की जाए किन्तु जो किसी भी दशा में संविदा दर से अधिक न होगा:

(ड.) यह अवधारित करना कि समापन के खर्चों का वहन किन व्यक्तियों द्वारा तथा किस अनुपात में किया जाना है;

(च) यह अवधारित करना कि क्या कोई व्यक्ति सदस्य, भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति है;

(छ) सोसाइटी की आस्तियों के संग्रहण तथा वितरण के बारे में ऐसे निर्देश देगा जो कि सोसाइटी के कामकाज का परिसमापन करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों;

(ज) सोसाइटी का कारबार उस सीमा तक चलाना जहां तक कि वह उसके फायदाप्रद परिसमापन के लिए आवश्यक है;

(झ) लेनदारों के साथ या उन व्यक्तियों के, जो लेनदार होने का दावा करते हों या जो कोई ऐसा वर्तमान या भावी दावा, जिसके कि द्वारा सोसाइटी को दायी बनाया जा सकता हो, रखते हों या वह अभिकथित करते हों कि वे ऐसा दावा रखते हैं, साथ कोई समझौता या ठहराव करना; और

(ञ) समस्त मांगों या मांगों तथा ऋणों के दायित्वों का और ऋणों में परिणित होने योग्य दायित्वों

का, तथा वर्तमान या भावी, निश्चित या समाश्रित, समस्त ऐसे दावों का, जो सोसाइटी तथा किसी अभिदायी या अभिकथित अभिदायी या अन्य ऋणी या ऐसे व्यक्ति, जो सोसाइटी के प्रति अपना दायित्व समझता है के बीच अस्तित्व में है या जिनका अस्तित्व में होना माना जाता है और ऐसे समस्त प्रश्नों का, जो सोसाइटी की आस्तियों या उसके परिसमापन से किसी भी रूप में संबंधित है या जो उन पर प्रभाव डालने वाले हैं, समझौता ऐसे निबंधनों पर करना जैसे कि तय पाये जाएं, तथा किसी ऐसी मांग, दायित्व ऋण या दावे के उन्मोचन के लिए कोई प्रतिभूति लेना और उसकी बाबत पूर्ण उन्मोचन करना :

परन्तु कोई समापक किसी सदस्य या किसी भूतपूर्व सदस्य से या किसी मृत सदस्य के नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि से वसूल किये जाने वाले अभिदाय, ऋण या शोध्यों का तब तक अवधारण नहीं करेगा जब तक कि ऐसे सदस्य या भूतपूर्व सदस्य को या ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर न दे दिया गया हो.

(3) जब किसी सोसाइटी के कामकाज का परिसमापन कर दिया गया हो तब समापक रंजिस्ट्रार को रिपोर्ट करेगा और सोसाइटी के अभिलेख ऐसे स्थान पर जमा करेगा जैसा कि रजिस्ट्रार निर्देशित करें.

समापित सोसाइटियों की अधिशेष आस्तियों का व्ययन.

108. किसी परिसमापित सोसाइटी के समस्त दायित्वों की, जिनके कि अन्तर्गत समादत्त अंशपूंजी है, पूर्ति हो जाने के पश्चात् अधिशेष रही आस्तियां, उसके सदस्यों में विभाजित नहीं की जायेंगी अपितु वे किसी ऐसे उद्देश्य, जो कि सोसाइटी की उपविधियों में वर्णित हो, के लिए उपयोजित की जायेंगी और कोई उद्देश्य इस प्रकार वर्णित न हो तब किसी ऐसे लोकोपयोगी उद्देश्य, जो कि सोसाइटी के साधारण सम्मिलन द्वारा अवधारित किया जाय तथा रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया जाय, के लिए उपयोजित की जायगी या वे उनके परामर्श से रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी के भी लिए या तो सम्पूर्णतः या भागतः समनुदेशित की जा सकेंगी.–

(क) कोई लोकोपयोगी उद्देश्य या स्थानीय या नागरिक हित का कोई उद्देश्य; या

(ख) छत्तीसगढ़ सहकारी संघ मर्यादित या कोई अन्य संस्था या संघ; या

(ग) किसी केन्द्रीय सहकारी बैंक में उतने समय तक के

लिए निक्षिप्त रखी जा सकेगी जब तक कि वैसी ही शर्तों सहित कोई नवीन सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत न हो जाय और तब ऐसा अधिशेष, रजिस्ट्रार की सम्मति से, ऐसी नवीन सोसाइटी की रक्षित निधि में निक्षिप्त किया जा सकेगा;

(घ) पूर्त विन्यास अधिनियम, 1890 (1890 का अधिनियम सं. 6) की धारा 2 में यथा परिभाषित कोई पूर्त प्रयोजन; या

(ड.) प्रत्येक विद्यमान सदस्य को उसकी समादत्त अंशपूंजी के अनुपात में.

नवां अध्याय – अपराध तथा शास्तियां

शब्द "सहकारी" के प्रयोग का प्रतिषेध.

109. (1) कोई भी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई किसी सोसाइटी से तथा किसी ऐसे व्यक्ति या उसके हित उत्तराधिकारी से, जिसका कि नाम या अभिधान वह है जिसके कि अधीन वह इस अधिनियम के प्रवृत्त होने की तारीख को व्यापार या कारबार करता रहा हो, राज्य सरकार की मंजूरी के बिना, किसी ऐसे नाम या अभिधान से, जिसका भागरूप शब्द "सहकारी" या किसी भारतीय भाषा में उसका पर्यायवाची शब्द हो, कृत्य नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा या कारबार नहीं करेगा.

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो धारा 14 की उपधारा (2) के उल्लंघन में बनाई गई किसी सोसाइटी का सदस्य है तथा प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, जुर्माने से, जो दो सौ रूपये तक का हो सकेगा, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसको कि ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् ऐसे अपराध चालू रहता है, पांच रूपये अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा.

अपराध.

110. इस अधिनियम के अधीन अपराध होगा यदि.–

(क) कोई समिति या उसका कोई अधिकारी या समिति का सदस्य या सदस्य जानबूझकर कोई मिथ्या रिपोर्ट करता है या मिथ्या जानकारी देता है या लेखे रखने में बेईमानी से चूक करता है या मिथ्या लेखे बेईमानी से रखता है; या

(ख) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति उस अंशदान को, उसकी प्राप्ति से चौदह दिन के भीतर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, केन्द्रीय सहकारी बैंक, किसी

नगरीय सहकारी बैंक या किसी डाकघर बचत बैंक में जमा नहीं करता है; या

(ग) किसी निर्माणाधीन सोसाइटी के लिए अंशदान संग्रह करने वाला कोई व्यक्ति इस प्रकार एकत्रित की गई निधियों का उपयोग, रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली किसी सोसाइटी के नाम से करता है या अन्यथा कोई कारोबार करने में या व्यापार करने में करता है; या

(घ) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या समिति का सदस्य अपने स्वयं के उपयोग या फायदे के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसमें कि वह हितबद्ध है, उपयोग या फायदे के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के नाम उधार की जानबूझकर सिफारिश करता है या उसे उधार मंजूर करता है; या

(ङ) कोई अधिकारी या समिति का सदस्य, कोई सदस्य किन्हीं पुस्तकों, कागजपत्रों या प्रतिभूतियों को नष्ट करता है, विकृत करता है, परिवर्तित करता है, उनका मिथ्याकरण करता है या उनको गुप्त रखता है या उनको नष्ट किये जाने, विकृत किये जाने, परिवर्तित किये जाने, उनका मिथ्याकरण किया जाने या उनके गुप्त रखे जाने, में संसर्गी है या सोसाइटी के किसी रजिस्टर, लेखा पुस्तक या दस्तावेज में कोई मिथ्या या कपटपूर्ण प्रविष्टि करता है या ऐसा किया जाने में संसर्गी है; या

(च) कोई अधिकारी या समिति का सदस्य या कोई सदस्य, जिसके पास जानकारी, पुस्तकें तथा अभिलेख हों, ऐसी जानकारी जानबूझ कर नहीं देता या ऐसी पुस्तकें तथा कागजपत्र पेश नहीं करता है या रजिस्ट्रार द्वारा धारा 79, 88, 91, 93, 100 तथा 105 के अधीन नियुक्त या प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति की सहायता नही करता है; या

(छ) कोई अधिकारी या समिति का सदस्य उस सोसाइटी की, जिसका कि वह अधिकारी है, पुस्तकों अभिलेखों, नगदी, प्रतिभूति तथा अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षण धारा 79 या 105 के अधीन नियुक्त किये गये किसी व्यक्ति को जानबूझकर नहीं सौंपता है; या

(ज) कोई सदस्य ऐसी सम्पत्ति का, जिस पर कि सोसाइटी का पूर्विक दावा है, कपटपूर्ण व्ययन करता है या कोई सदस्य या अधिकारी या समिति का सदस्य या कर्मचारी या कोई व्यक्ति विक्रय, अन्तरण, बंधक, दान द्वारा या अन्यथा अपनी सम्पत्ति का

व्ययन सोसाइटी के शोध्यों का अपवंचन करने के कपटपूर्ण आशय से करता है; या

(झ) कोई नियोजक तथा ऐसे नियोजक की ओर से कार्य करने वाला समिति का सदस्य, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी या अभिकर्ता धारा 54 की उपधारा (2) के उपबंधों का अनुपालन करने में पर्याप्त कारण के बिना चूक करता है; या

(ञ) कोई व्यक्ति किसी ऐसी सम्पत्ति का, जो धारा 51 की उपधारा (1) के अधीन भार के अध्यधीन है, अर्जन करता है या उसके अर्जन में दुष्प्रेरण करता है; या

(ट) किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी या सदस्य या समिति का सदस्य या कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है या ऐसे कार्य लोप का दोषी है जो नियमों द्वारा अपराध घोषित किया गया है.

स्पष्टीकरण.– इस धारा के प्रयोजन के लिए, ऐसे अधिकारी या सदस्य के, जो कि इस धारा में निर्दिष्ट किया गया है, अंतर्गत यथास्थिति भूतपूर्व अधिकारी या भूतपूर्व सदस्य भी आवेगा.

अपराधों के लिए शास्तियां.

111. यदि किसी सोसाइटी का कोई अधिकारी, समिति का सदस्य, समिति, भूतपूर्व अधिकारी, समिति का भूतपूर्व सदस्य, सोसाइटी का सदस्य अथवा भूतपूर्व सदस्य या कर्मचारी अथवा भूतपूर्व कर्मचारी अथवा अन्य व्यक्ति अपराध करता है तो तत्समय् प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उसके विरूद्व की जा सकने योग्य कार्यवाही के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डित किया जायेगा, जो,–

(क) जुर्माने की राशि, 2000 रूपये से अधिक नहीं होगी, यदि उसे धारा 110 (क),(घ), (ड.) और (ज) के अधीन दण्डनीय अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो;

(ख) जुर्माने की राशि, 1000 रूपये से अधिक नहीं होगी, यदि उसे धारा 110 (ख),(ग) और (ञ) के अधीन दण्डनीय अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो;

(ग) जुर्माने की राशि, 500 रूपये से अधिक नहीं होगी, यदि उसे धारा 110 (झ) के अधीन दण्डनीय अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो;

(घ) जुर्माने की राशि, 200 रूपये से अधिक नहीं होगी, यदि उसे धारा 110 (च),(छ) और (ट) के अधीन दण्डनीय अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो.

अपराधों का संज्ञान.

112. (1) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन के किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी अभियोजन रजिस्ट्रार की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जायगा और ऐसी मंजूरी संबंधित व्यक्ति को अपना मामला अभ्यावेदित करने का अवसर दिये बिना नहीं दी जायगी.

दसवां अध्याय– अपील, पुनर्विलोकन एवं अधिकरण का गठन

रजिस्ट्रार तथा अधिकरण के समक्ष अपीलें.

113. (1) जहां इसके संबंध में अन्यथा उपबंधित है उसे छोड़कर इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन पारित किये गये प्रत्येक मूल ओदश की अपील,–

(क) रजिस्ट्रार को उस दशा में होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार के अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी द्वारा, जो अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न हो, पारित किया गया हो, चाहे आदेश पारित करने वाला अधिकारी रजिस्ट्रार की शक्तियों से विनिहित हो या न हो;

(ख) अधिकरण को उस दशा में होगी जबकि ऐसा आदेश रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया हो;

(2) प्रथम अपील में रजिस्ट्रार द्वारा पारित किये गये किसी आदेश के विरूद्व द्वितीय अपील अधिकरण को निम्नलिखित आधारों में से किसी भी आधार पर होगी, न कि अन्य आधारों पर, अर्थात्:–

(एक) यह कि आदेश विधि के प्रतिकूल है; या

(दो) यह कि आदेश में विधि के कतिपय तात्विक विवादक का अवधारण नहीं हो पाया है; या

(तीन) यह कि इस अधिनियम द्वारा यथाविहित प्रकिया में ऐसी सारवान गलती या त्रुटि हुई है जिससे कि गुणागुण पर मामले का विनिश्चय करने में गलती या त्रुटि हो सकती है.

(3) प्रत्येक अपील विहित रीति में संबंधित अपील प्राधिकारी को उस तारीख के जिसको कि वह आदेश, जिसके कि विरूद्व अपील की गई है, उस आदेश से प्रभावित हुए पक्षकार को संसूचित किया गया था, तीस दिन के भीतर पेश की जायेगी;

परंतु इस उपधारा के अधीन परिसीमा काल की संगणना करने मे उस आदेश की जिसके कि विरूद्व अपील

की गई है, प्रतिलिपि अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय अपवर्जित कर दिया जायेगा

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण.

114. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के नाम से ज्ञात होने वाले एक अधिकरण का गठन इस प्रयोजन से करेगी की वह अधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगा जो कि अधिकरण को इस अधिनियम और छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 (क्रमांक 2 सन् 2000) द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किये जाए या उस पर अधिरोपित किये जाए;

(2) अधिकरण में एक सदस्य होगा;

(3) कोई भी व्यक्ति अधिकरण का सदस्य होने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि वह उच्च न्यायालय का न्यायाधीश का पद धारण न कर चुका हो या जिला न्यायाधीश के वरिष्ठ समय वेतनमान का पद धारण न कर चुका हो या राज्य शासन का सचिव सहकारिता का पद धारण न कर चुका हो या राज्य शासन के सचिव श्रेणी के साथ रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटियां का पद धारण न कर चुका हो.

(4) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जब कि वह किसी सोसाइटी के साधारण निकाय से भिन्न किसी सोसाइटी की समिति का, सदस्य हो.

(5) (क) अधिकरण का सदस्य सामान्यतः तीन वर्ष की कालावधि तक के लिए, पद धारण करेंगे;

(ख) कोई व्यक्ति जिसने खण्ड (क) में उल्लिखित की गई कालावधि तक के लिये सदस्य के रूप में पद धारण किया हो, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

(ग) अधिकरण का सदस्य किसी भी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा;

(घ) अधिकरण का सदस्य राज्य सरकार की अनुज्ञा से कोई ऐसा अन्य पद, नियुक्ति या नियोजन धारण कर सकेगा जो कि अधिकरण में की उसकी स्थिति से असंगत न हो;

(6) उपधारा (4) में अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार सदस्य की नियुक्ति को किसी भी समय समाप्त कर सकेगी यदि उसकी राय में, ऐसा सदस्य अपने पद के कर्तव्यों का पालन करते रहने के लिए असमर्थ या अयोग्य

हो;

परन्तु कोई भी नियुक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक समाप्त नहीं की जायगी जब तक कि उस व्यक्ति को, जिसकी की नियुक्ति का समाप्त किया जाना प्रस्तावित है, ऐसी समाप्ति के विरूद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो.

(7) यदि सदस्य का पद छुट्टी, अनुपस्थिति, प्रतिनियुक्ति, मृत्यु, पद त्याग, नियुक्ति की अवधि के अवसान, नियुक्ति की समाप्ति के कारण या किसी भी अन्य कारण से रिक्त हो जाए तो ऐसी रिक्ति ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति द्वारा भरी जायगी जो इस धारा के अधीन नियुक्ति के लिए अर्हित हो;

(8) अधिकरण का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किया जाय.

(9) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के अध्यधीन रहते हुए अधिकरण, अपनी प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए तथा अपने कामकाज के निपटारे के लिए, इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से संगत विनियम विरचित करेगा.

(10) उपधारा (9) के अधीन बनाये गये विनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे.

(11) इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनर्विलोकन में अधिकरण द्वारा पारित किया गया आदेश अंतिम तथा निश्चायक होगा और वह किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायगा.

(12) इस अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाला अधिकरण उन समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा जो कि किसी अपील न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) की धारा 97 तथा उस संहिता की प्रथम अनूसूची के आदेश 41 द्वारा प्रदत्त की गयी है.

अधिकरण सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा.

115. (1) अधिकरण को इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय, निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त होगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (क्रमांक 5 सन् 1908) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है, अर्थात्:—

(क) शपथ पत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत;

(ख) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ग) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण या उसे पेश किये

जाने के लिए विवश करना, और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिये कमीशन जारी करना.

(2) किसी ऐसे शपथ पत्र की दशा में, कोई भी ऐसा अधिकारी जो अधिकरण द्वारा इस संबंध में नियुक्त किया गया हो अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा।

पुनर्विलोकन

116. अधिकरण, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अथवा रजिस्ट्रार किसी हितबद्व पक्षकार का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर, किसी भी मामले में अपने स्वयं के आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेंगे और उसके संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेंगे, जैसा कि वह न्यायसंगत समझे;

परंतु हितबद्व पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी आवेदनपत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा और न ही किसी मामले को स्वप्रेरणा से लिया जायेगा, जब तक यथा–स्थिति अधिकरण या रजिस्ट्रार का यह समाधान न हो जाय कि साक्ष्य की नई तथा महत्वपूर्ण ऐसी बात का पता लगा लिया गया है, जो कि सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के पश्चात् भी उनकी या आवेदक की जानकारी में नहीं थी या वह उसके द्वारा उस समय प्रस्तुत नहीं की जा सकी थी जबकि उसका आदेश किया गया था, या यह कि कोई ऐसी भूल या गलती हुई हैं जो अभिलेख के देखने से ही प्रकट हो जाती है, या यह कि कोई अन्य पर्याप्त कारण रहा है;

परंतु ऐसा आदेश तब तक फेरफारित, संशोधित या पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा जब तक कि हितबद्व पक्षकारों को उपसंजात होने के लिए सूचना न दे दी गई हो और ऐसे हितबद्व पक्षकारों को सुना न गया हो।

परंतु यह और कि, किसी हितबद्व पक्षकार द्वारा किसी आदेश के पुनर्विलोकन का आवेदन तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि वह आवेदन उस आदेश के पारित किये जाने के नब्बे दिवस के भीतर फाइल न किया गया हो.

कतिपय मामलों मे कोई अपील नहीं होगा.

117. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, जहॉ भारतीय रिजर्व बैंक की लिखित पूर्व मंजूरी से या उसकी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर,–

(एक) किसी सहकारी बैंक के परिसमापन के लिए आदेश किया गया हो; या

(दो) समझौता या ठहराव की अथवा पुनर्निर्माण या पुनर्गठन या संविलियन की कोई स्कीम बनाई गई हो या प्रभावशील की गई हो; या

(तीन) किसी सहकारी बैंक की समिति के, चाहे वह किसी भी नाम से पुकारी जाती हो, अतिष्ठान या निलम्बन के लिए आदेश किया गया हो तथा उसके प्रबन्ध के लिए प्रभारी अधिकारी आदि की नियुक्ति की गई हो,

वहां उसके विरूद्व कोई अपील या पुनर्विलोकन नहीं होगा या अनुज्ञेय नही होगा और भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा आदेश या मंजूरी या अध्यपेक्षा प्रश्नगत किये जाने के दायित्वाधीन नहीं होगी,

कतिपय मामलो में अपील प्राधिकारी द्वारा परिसीमाकाल का बढ़ाया जाना

118. उन समस्त मामलों में, जिनमें इस अधिनियम के अधीन यह उपबंध किया है कि किसी भी विनिश्चय या आदेश के विरूद्व, अपील किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर फाइल की जा सकेगी, अपील प्राधिकारी ऐसी कालावधि का अवसान होने के पश्चात अपील ग्रहण कर सकेगा यदि अपीलार्थी अपील प्राधिकारी का यह समाधान कर दे कि ऐसी कालावधि के भीतर अपील न करने के लिए उसके पास पर्याप्त कारण था,

मामलों का अन्तरण या प्रत्याहरण.

119. धारा 113 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, रजिस्ट्रार, अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उद्भूत होने वाले किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को विनिश्चय के लिए अपने अधीनस्थ किसी ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले, या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चिय करने के लिए सक्षम हो, अपनी स्वयं की फाइल में से अंतरित कर सकेगा या वह किसी भी ऐसे अधिकारी से किसी मामले या किसी वर्ग के मामलों को प्रत्याहृत कर सकेगा या उन्हें अपने अधीनस्थ किसी अन्य ऐसे अधिकारी को, जो ऐसे मामले या ऐसे वर्ग के मामलों को विनिश्चित करने के लिए सक्षम हो, निर्दिष्ट कर सकेगा,

अन्तर्वर्ती आदेश करने की शक्ति.

120. जहां कोई अपील या पुनर्विलोकन या कोई अन्य आवेदन इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार या रजिस्ट्रार को किया गया हो, वहां यथास्थिति राज्य सरकार या रजिस्ट्रार, न्याय के उद्देश्यों को विफल होने से रोकने के लिए, यथास्थिति अपील या पुनर्विलोकन के आवेदन–पत्र पर विनिश्चय लंबित रहने की अवधि में ऐसे अन्तर्वर्ती आदेश कर सकेगा जो कि उसे न्यायसंगत एवं सुविधापूर्ण प्रतीत हो, या ऐसे आदेश कर सकेगा जो न्याय के उद्देश्यों के लिए या उसकी प्रकिया के दुरूपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो;

आदेशों के निष्पादन का रोका जाना.

121. (1) धारा 3 के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी जिसने कोई आदेश पारित किया हो या उसका पद–उत्तरवर्ती, अपील के लिए विहित की गई कालावधि का अवसान होने के, पूर्व,

किसी भी समय, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे आदेश का निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जो अपील फाइल करने तथा अपील प्राधिकारी से रोक आदेश (स्टे आर्डर) अभिप्राप्त करने के लिए अपेक्षित हो;

(2) वह प्राधिकारी, जो धारा 113 या धारा 116 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो, यह निदेश दे सकेगा कि उस आदेश का, जो अपील या पुनर्विलोकन के अधीन है, निष्पादन उतने समय तक के लिए रोक दिया जाए जैसा कि वह उचित समझे,

(3) किसी आदेश का निष्पादन रोक दिए जाने का निदेश देने वाला अधिकारी या प्राधिकारी ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा या ऐसी प्रतिभूति दिए जाने का आदेश दे सकेगा जैसा कि वह उचित समझे.

लंबित मामलों का अंतरण. 122. इस अधिनियम के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अधिकरण के गठन के तत्काल पूर्व में लंबित प्रत्येक अपील या कोई अन्य कार्यवाही अधिकरण को अंतरित हो जाएगी.

राज्य शासन की शक्तियों का प्रत्यायोजन 123. कोई अधिकारी या कोई प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन राज्य सरकार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियों का प्रयोग ऐसे क्षेत्रों में तथा ऐसे प्रकरणों में करेंगे, जैसा कि राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा निदेशित करे

ग्यारहवां अध्याय– प्रकीर्ण

सरकार को शोध्य राशियों की वसूली. 124. (1) वे समस्त राशियां, जो किसी सोसाइटी या किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी या समिति के सदस्य या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या किसी मृत सदस्य द्वारा उस हैसियत में राज्य सरकार को शोध्य हों, जिनके अन्तर्गत कोई ऐसे खर्चे भी आते हैं जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन सरकार को दिलवाये गये हों, रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये प्रमाण पत्र पर, उसी रीति में वसूल किये जा सकेंगे जिस रीति में कि भू–राजस्व के बकाया वसूल किये जाते हैं.

(2) वे राशियां, जो किसी सोसाइटी द्वारा राज्य सरकार को शोध्य हों तथा उपधारा (1) के अधीन वसूली योग्य हों,–

(क) प्रथमतः, सोसाइटी की सम्पत्ति से;

(ख) द्वितीयतः, किसी ऐसी सोसाइटी की दशा में, जिसके कि सदस्यों का दायित्व सीमित हो, सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से, या मृत सदस्यों की सम्पदाओं से, उनके दायित्व की सीमा के अध्यधीन रहते हुए,

वसूल की जा सकेगी:

परन्तु मृतक के किसी विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस सम्पत्ति की सीमा तक ही होगा जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि के हाथ में आई हो; और

(ग) तृतीयतः, अन्य सोसाइटियों की दशा में, सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से या मृत सदस्यों की संपदाओं से वसूल की जा सकेगी :

परन्तु भूतपूर्व सदस्यों का या मृत सदस्यों की संपदा का दायित्व समस्त मामलों में धारा 38 के उपबंधों के अध्यधीन होगा.

सहकारी सोसाइटी के व्यतिक्रमी सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही करने की किसी वित्तदायी बैंक की शक्ति.

125. (1) यदि कोई सहकारी सोसाइटी अपने ऋण उस वित्तदायी बैंक को, जिससे कि उसने वे ऋण लिए है, चुकाने में इस कारण असमर्थ हो कि उसके सदस्यों ने उनके द्वारा शोध्य धन का भुगतान करने में व्यतिक्रम किया है, तो वह वित्तदायी बैंक ऐसी सोसाइटी की समिति को निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे सदस्यों के विरूद्व धारा 97 के अधीन कार्यवाही करके अग्रसर हो.

(2) यदि सहकारी सोसाइटी की समिति वित्तदायी बैंक से ऐसा निदेश प्राप्त होने की तारीख से नब्बे दिन की कालावधि के भीतर अपने व्यतिक्रमी सदस्यों के विरूद्व कार्यवाही न करे, तो वित्तदायी बैंक स्वयं ऐसे व्यतिक्रमी सदस्यों के विरूद्व कार्यवाही कर सकेगा और उस दशा में इस अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाये गये नियम तथा उपविधियां उसी प्रकार लागू होंगी/होंगे मानों कि उक्त उपबंधों, नियमों तथा उपविधियों में सोसाइटी या उसकी समिति के प्रति किये गये समस्त निर्देश वित्तदायी बैंक के प्रति निर्देश हों.

(3) जहां किसी वित्तदायी बैंक ने अपनी ऋणी किसी सोसाइटी के विरूद्व कोई डिक्री या अधिनिर्णय अभिप्राप्त किया हो, वहां बैंक ऐसे धनों को उस सोसाइटी की आस्तियों से उन ऋणों की सीमा तक जो कि सोसाइटी द्वारा शोध्य हों, वसूल करने की कार्यवाही कर सकेगा.

न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.

126. (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सिविल या राजस्व न्यायालय को निम्नलिखित के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी.—

(क) किसी सोसाइटी का या उपविधियों का या किसी उपविधि के किसी संशोधन का रजिस्ट्रीकरण;

(ख) किसी समिति का हटाया जाना तथा इस प्रकार हटाये जाने के पश्चात् सोसाइटी का प्रबंध;

(ग) कोई ऐसा विवाद जिसका कि रजिस्ट्रार को या उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति को या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड को निर्देशित किया जाना अपेक्षित हो;

(घ) किसी सोसाइटी के परिसमापन तथा उसके विघटन से संबंधित कोई मामला.

(2) जब किसी सोसाइटी का परिसमापन किया जा रहा है, तो ऐसी सोसाइटी के कारबार के संबंध में समापक के विरूद्व उस हैसियत में, या उस सोसाइटी के या उसके किसी सदस्य के विरूद्व कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां रजिस्ट्रार की अनुमति से तथा ऐसे निबन्धनों के, जैसे कि वह अधिरोपित करे, अध्यधीन रहते हुए ही अग्रसर की जायगी या संस्थित की जायेगी अन्यथा नहीं.

(3) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायगा.

खर्चे की वसूली. 127. कोई राशि, जो धारा 95 के अधीन खर्च के रूप में अधिनिर्णित की गई हो, रजिस्ट्रार द्वारा, किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जाने पर जो उस स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखता है जहां कि वह व्यक्ति, जिससे कि वह रकम दावा की जाने योग्य है, निवास करता है या कारबार करता है, ऐसे व्यक्ति की किसी ऐसी सम्पत्ति को, जो कि ऐसे मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की सीमाओं के भीतर हो, बेचकर वसूल की जा सकेगी और ऐसा मजिस्ट्रेट उसे वसूल करने के लिए उसी रीति में कार्यवाही करेगा मानो कि यह राशि स्वयं उसके द्वारा अधिरोपित किया गया जुर्माना हो.

भार का प्रवर्तन. 128. सातवें अध्याय में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु वसूली की किसी अन्य रीति पर, जो कि इस अधिनियम में उपबंधित है, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार द्वारा इस संबंध में सशक्त किया गया कोई भी व्यक्ति, सोसाइटी का आवेदन प्राप्त होने पर तथा ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए जैसे कि राज्य सरकार इस संबंध में बनाए, किसी सदस्य या भूतपूर्व या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को शोध्य किसी ऋण या परादेश मांग का, उस संपत्ति या भूतपूर्व या मृत सदस्य द्वारा सोसाइटी को शोध्य किसी ऋण या

परादेय मांग का, उस संपत्ति या उसमें के किसी हित की, धारा 51 की उपधारा (1), धारा 52 की उपधारा (1) तथा धारा 54 की उपधारा (1), (2) तथा (3) के अधीन किसी भार के अध्यधीन हो, कुर्की तथा विक्रय द्वारा या ऐसी कालावधि के लिए तथा ऐसे निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए जैसी कि रजिस्ट्रार या ऐसा अन्य व्यक्ति विनिर्दिष्ट करे, किसी अन्य रीति में उसके अन्तरण द्वारा भुगतान किये जाने का निर्देश देते हुए आदेश कर सकेगा :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि सदस्य पर, भूतपूर्व सदस्य पर या मृत सदस्य के नाम निर्देशित व्यक्ति, वारिस या विधिक प्रतिनिधि पर आवेदन की सूचना की तामील न कर दी गई हो और उसने ऐसे तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर ऋण या परादेय मांग का भुगतान करने में चूक न की हो.

कतिपय सोसाइटियों को शोध्य राशियों की वसूली.

129. (1) धारा 97, और 102 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ या प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक द्वारा अपनी बकाया शोध्य राशि की वसूली के लिए आवेदन किया जाने पर, रजिस्ट्रार ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी कि वह उचित समझे उसमें कथित रकम की वसूली के लिए उसके बकाया के रूप में शोध्य होने का प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकेगा.

(2) रजिस्ट्रार द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र उसमें कथित बकाया का अंतिम एवं निश्चायक सबूत होगा और वह भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगा.

आदेशों आदि का निष्पादन.

130. इस अधिनियम के किन्हीं भी उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेश या किया गया प्रत्येक अधिनिर्णय या किया गया प्रत्येक विनिश्चय, अपीली प्राधिकारियों द्वारा पारित किया गया प्रत्येक आदेश और समापक द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश या विनिश्चय, यदि कार्यान्वित न किया गया हो,—

(क) रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के दे दिये जाने पर, सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायगा और उसी रीति में निष्पादित किया जायगा जिस रीति में कि ऐसे न्यायालय की डिक्री निष्पादित की जाती है; या

(ख) उस विधि के अनुसार तथा उन नियमों के अधीन, जो कि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के लिए

तत्समय प्रवृत्त हों, निष्पादित किया जायगा; या

(ग) रजिस्ट्रार द्वारा या इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा सशक्त किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उस व्यक्ति या सोसाइटी की, जिसके कि विरूद्व आदेश, विनिश्चय या पंचाट अभिप्राप्त किया गया हो या पारित किया गया हो, किसी संपत्ति को ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाय, कुर्क करके तथा अन्तरित करके या बेच कर या कुर्क किये बिना बेच कर निष्पादित किया जायगा :

परन्तु खण्ड (ख) के अधीन वसूली के लिए कोई भी आवेदन.

(एक) कलेक्टर को किया जायगा और उसके साथ रजिस्ट्रार द्वारा या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किये गये किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न होगा; और

(दो) आदेश, विनिश्चय या पंचाट में नियत की गई तारीख से पांच वर्ष के भीतर और यदि ऐसी कोई तारीख नियत न की गई हो, तो यथास्थिति आदेश, विनिश्चय या पंचाट की तारीख से पांच वर्ष के भीतर किया जायगा.

स्थावर संपत्ति का कब्जा देने के आदेश को निष्पादित करने की रीति.

131. जब किसी व्यक्ति के विरूद्व स्थावर संपत्ति का कब्जा देने का आदेश इस अधिनियम के अधीन पारित कर दिया गया हो, तो ऐसा आदेश निम्नलिखित रीति में निष्पादित किया जायगा, अर्थात :—

(क) कब्जा रखने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों पर एक सूचना की तामील करके जिससे उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह उक्त सूचना की प्राप्ति के पश्चात् ऐसे समय के भीतर, जैसा कि युक्तियुक्त प्रतीत हो, उसे रिक्त कर दे; और

(ख) यदि ऐसी सूचना का पालन न किया जाय तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उसे रिक्त करने से इन्कार करे, हटाकर या हटाने के लिए किसी अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करके, और

(ग) यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को हटाने वाले अधिकारी का प्रतिरोध करे या उसे बाधा पहुंचाये, तो धारा 3 में विनिर्दिष्ट किये गये अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी को नियुक्त करके जो मामले के तथ्यों की संक्षिप्त जांच करेगा और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रतिरोध या बाधा का कोई न्यायसंगत कारण नहीं था और यह कि ऐसा प्रतिरोध या बाधा अभी भी चालू है, तो वह किन्हीं

भी ऐसी कार्यवाहियों पर, जिनके कि लिए ऐसा व्यक्ति ऐसे प्रतिरोध या बाधा संबंधी दंड से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दायी हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा या करवा सकेगा, जो ऐसे अधिकारी की राय में, उस आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो.

सूचना की तामील.

132. (1) ऐसी प्रत्येक सूचना या आदेश को, जो इस अधिनियम, नियमों या उपविधियों के अधीन जारी की गई या किया गया है, किसी व्यक्ति पर तामील, उसे रसीदी रजिस्ट्रीकृत डाकपत्र द्वारा, जिसमें वह सूचना या आदेश अन्तर्विष्ट होगा, ऐसे व्यक्ति के निवास या कारबार के अन्तिम ज्ञात स्थान पर उचित रूप से संबोधित करके की जा सकेगी:

परन्तु किसी सहकारी समिति द्वारा बुलाये गये किसी सम्मिलन से संबंधित सूचना डाक प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग) के अधीन या उसकी प्राप्ति की अभिस्वीकृति अभिप्राप्त करने के पश्चात् व्यक्तिशः परिदत्त करके जारी की जायगी.

(2) कोई अभिस्वीकृति, जिसका कि ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो, या किसी डाक कर्मचारी द्वारा किया गया इस आशय का पृष्ठांकन कि उस व्यक्ति ने परिदान लेने से इन्कार कर दिया है, तामील का प्रथम दृष्टया साक्ष्य समझा जा सकेगा :

परन्तु यदि सूचना की तामील इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों, या सोसाइटी की उपविधियों के अधीन उपबंधित किसी रीति में नहीं की जा सकती हो तो उसकी एक प्रति सूचना पटल और उस व्यक्ति, के जिसे सूचना दी जानी है, अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर या ऐसे स्थान पर या ऐसे स्थान में लोक समागम के किसी स्थान पर लगाई जाएगी.

रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी आदि, लोकसेवक होंगे.

133. ऐसा प्रत्येक अधिकारी या व्यक्ति तथा साथ ही किसी सहकारी बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी का प्रत्येक कर्मचारी या प्रत्येक प्राधिकारी जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों के अधीन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या उन शक्तियों के अधीन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या उन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का सं. 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक

सेवक समझा जायगा.

सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिए परित्राण.

134. रजिस्ट्रार या किसी ऐसे व्यक्ति के, जो उसका अधीनस्थ हो या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा हो, विरूद्व किसी भी ऐसी बात के संबंध में, जो कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका कि उसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक किया जाना तात्पर्यित रहा हो, कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी.

सिविल न्यायालयों की शक्तियां.

135. (1) रजिस्ट्रार, उसके नाम निर्दिष्ट व्यक्ति या नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के बोर्ड या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति को, जो किसी विवाद का विनिश्चय कर रहा हो, तथा किसी सोसाइटी के समापक को, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते समय, निम्नलिखित बातों के संबंध में वे समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का अधिनियम सं. 5) के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय को होती है, अर्थात् :—

(क) किसी व्यक्ति को समन करना तथा उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा उसे पेश किये जाने की अपेक्षा करना;

(ग)) शपथपत्रों द्वारा तथ्यों का सबूत; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना.

(2) किसी शपथ पत्र की दशा में, यथास्थिति रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त किया गया कोई अधिकारी , उसका नाम निर्देशित व्यक्ति या नामनिर्देशित व्यक्तियों का बोर्ड या समापक अभिसाक्षी को शपथ दिला सकेगा.

रजिस्ट्रार या उसके द्वारा सशक्त किया गया व्यक्ति कतिपय प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय होगा.

136. रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस संबंध में सशक्त किये गये किसी व्यक्ति को जबकि वह किसी सम्पत्ति को कुर्क करके तथा बेचकर या कुर्क किये बिना बेचकर कोई रकम वसूल करने के लिए इस अधिनियम के अधीन की किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या जबकि वह किसी ऐसे आवेदन पर, जो कि ऐसी वसूली करने के लिए या ऐसी वसूली करने के हेतु सहायक कदम उठाने के लिए उसको किया गया हो, कोई आदेश पारित कर रहा हो, परिसीमा अधिनियम, 1963 (1963 का संख्यांक 36) की अनुसूची 1 के

अनुच्छेद 182 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जायगा.

कंपनी अधिनियम लागू नहीं होगा.

137. कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.1) के उपबंध इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे.

कतिपय अन्य अधिनियम सहकारी सोसाइटियों को लागू नहीं होंगे.

138. छत्तीसगढ़ दुकान तथा स्थापना अधिनियम, 1958 (क्र. 25 सन् 1958), छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल वर्कमेन (स्टेण्डिग आर्डर्स) एक्ट, 1959 (क्र. 19 सन् 1959) तथा छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) में अन्तर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई किसी सोसाइटी को लागू नहीं होगी.

वादों में सूचना देना आवश्यक होगा.

139. किसी सोसाइटी या उसके अधिकारियों में से किसी भी अधिकारी के विरूद्ध किसी भी ऐसे कार्य के संबंध में, जो उस सोसाइटी के गठन, प्रबंध या कारबार से संबंधित हो, कोई भी वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायगा जब तक कि ऐसी लिखित सूचना, जिसमें कि वाद–हेतुक, वादी का नाम, विवरण तथा उसका निवास स्थान एवं वह अनुतोष, जिसका कि वह दावा करता हो, कथित किया गया हो, रजिस्ट्रार को परिदत्त कर दी जाने या उसके कार्यालय में छोड़ दी जाने के पश्चात् से आगामी दो मास का अवसान न हो गया हो, और वाद पत्र में यह कथन अंतर्विष्ट होगा कि ऐसी सूचना इस प्रकार परिदत्त की जा चुकी है या छोड़ी जा चुकी है.

नियम बनाने की शक्ति.

140. (1) सरकार, संपूर्ण राज्य के लिए या उसके किसी भाग के लिए तथा किसी सोसाइटी या किसी वर्ग की सोसाइटियों के लिए, नियम ऐसी सोसाइटी के या ऐसे वर्ग की सोसाइटियों के कामकाज के संचालन या विनियमन के हेतु तथा इस अधिनियम के समस्त प्रयोजनों या उनमें से किसी भी प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए बना सकेगी.

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्ति के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम :—

(एक) धारा 3 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उन शक्तियों का जो कि रजिस्ट्रार में निहित है, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्त किये गये व्यक्तियों को प्रत्यायोजन विहित कर सकेंगे तथा रजिस्ट्रार को उपविधियों के प्रस्थापित संशोधन की प्रतिलिपियां भेजने की रीति विहित कर सकेंगे;

(दो) किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने में प्रयोग में लाये जाने वाले प्रारूप तथा अनुपालन की जाने वाली शर्तें एवं ऐसे आवेदनों के

विषय में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;

(तीन) वे विषय, जिनके संबंध में कोई सोसाइटी उपविधियां बना सकेगी अथवा जिनके संबंध में उपविधियां बनाने के लिए रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को निदेश दे सकेगा, तथा वह प्रकिया , जिसका कि अनुसरण उपविधियां बनाने, उनमें परिवर्तन करने तथा उन्हें निराकृत करने में किया जायेगा एवं वे शर्तें जिनको कि उपविधियों के इस प्रकार बनाये जाने, परिवर्तित किये जाने या निराकृत किये जाने के पूर्व पूरा किया जायगा, विहित कर सकेंगे;

(चार) किसी सोसाइटी के किसी सदस्य के प्रशिक्षण के लिए कालावधि विहित कर सकेंगे तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हाजिर होने के लिए किसी सोसाइटी के किसी सदस्य से अपेक्षा करने की रीति विहित कर सकेंगे;

(पांच) किसी संघीय सोसायटी के वैयक्तिक सदस्य के मतदान संबंधी अधिकार का विनियमन करने की रीति विहित कर सकेंगे;

(छह) सोसाइटी का नाम या उसका दायित्व तब्दील करने के लिए तथा उसके पुनर्संगठन या पुनर्गठन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा अनुपालन की जाने वाली शर्तें विहित कर सकेंगे;

(सात) वे शर्ते, जिनका अनुपालन सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले या सदस्य के रूप में प्रविष्ट किये गये व्यक्ति द्वारा किया जायगा, विहित कर सकेंगे तथा सदस्यों के निर्वाचन एवं प्रवेश के लिए तथा सदस्यता के अधिकार का प्रयोग करने के पूर्व किये जाने वाले भुगतान एवं अर्जित किये जाने वाले हित के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(आठ) धारा 33 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी सोसाइटी के अंशो की वह अधिकतम संख्या या उसकी पूंजी का वह भाग, जो कि किसी सदस्य द्वारा धारण किया जा सकेगा, विहित कर सकेंगे;

(नौ) सदस्यों के वापिस लिये जाने या हटाये जाने तथा उनको संदाय करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(दस) उस व्यक्ति के, जिसे कि किसी मृत सदस्य का अंश या हित संदत्त या अन्तरित किया जा सकेगा, नाम–निर्देशन के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(ग्यारह) किसी भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य के अंश या हित का मूल्य अभिनिश्चित करने के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(बारह) उधार के लिए आवेदन करने वाले सदस्यों को किये जाने वाले भुगतान तथा उनके द्वारा अनुपालन की जाने वाली शर्तें, वह कालावधि, जिसके लिए उधार दिये जा सकेंगे तथा वह रकम, जो किसी एक सदस्य को उधार दी जा सकेगी, विहित कर सकेंगे;

(तेरह) किसी संसाधन सोसाइटी में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए स्थानों के आरक्षण के लिए अनुपात विहित कर सकेंगे तथा यह उपबन्ध कर सकेंगे कि उपर्युक्त जातियों, जनजातियों या वर्गों का कोई सदस्य किसी संसाधन सोसाइटी के अध्यक्ष/सभापति या उपाध्यक्ष/ उप–सभापति का पद धारण करेगा;

(चौदह) रजिस्ट्रार के या किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी के कार्यालय में दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए तथा उन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियां दी जाने के लिए फीस के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध कर सकेंगे;

(पंद्रह) सदस्यों का रजिस्टर और जहां सदस्यों का दायित्व अंशों द्वारा परिसीमित हो, वहां अंशो का रजिस्टर तथा सदस्यों की सूची बनाई जाने तथा रखी जाने के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(सोलह)यह सुनिश्चित करने के लिए उपबंध कर सकेंगे कि किसी सोसाइटी की अंशपूंजी यह सुनिश्चित करने के लिए कि अंश के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी और आवश्यकतानुसार सोसाइटी के लिए आवश्यक पूंजी उपलब्ध रहेगी, आवश्यकतानुसार परिवर्तित की जा सकेगी;

(सत्रह) वे निबन्धन तथा शर्तें जिन पर कि सरकार सोसाइटियों को अंशपूंजी अभिदाय कर सकेगी या उन्हें वित्तीय या अन्य सहायता दे सकेगी, और वे निबंधन तथा शर्तें, जिन पर कि सरकार सोसाइटी द्वारा जारी किये गये डिबेंचरों या लिये गये उधारों के मूलधन या उन पर के ब्याज के भुगतान के लिए प्रतिभूति दे सकेगी, विहित कर सकेंगे;

(अठारह)वह रीति, जिसमें किसी सोसाइटी या सोसाइटियों के किसी वर्ग द्वारा अंशों के या डिबेंचरों के आधार पर या अन्यथा निधियां इकट्ठी की जा सकेंगी और इस प्रकार इकट्ठी की गई निधियों की मात्रा विनियमित कर सकेंगे;

(उन्नीस)किसी सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, या मृत सदस्य द्वारा

सोसाइटी को देय ऋण या बकाया मांग के ब्यौरे के बारे में तहसीलदार को संसूचना देने की रीति विहित कर सकेंगे;

(बीस) वह प्रक्रिया, जिसके द्वारा कोई सोसाइटी डूबन्त ऋणों की संगणना करेगी तथा उन्हें बट्टे खाते डालेगी, विहित कर सकेंगे;

(इक्कीस)आरक्षित निधियां बनाई जाने तथा रखी जाने एवं उद्देश्यों, जिनके कि लिए ऐसी निधियां उपयोजित की जा सकेंगी, के लिए तथा सोसाइटी के नियंत्रणाधीन किसी निधि, जिसके अन्तर्गत आरक्षित निधि आती है, के विनियोजन तथा उपयोग के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(बाईस) वह दर, जिस पर कि कोई सोसाइटी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के लेखे अभिदाय करेगी, विहित कर सकेंगे;

(तेईस) धारा 58 के अधीन किसी सोसाइटी की निधियों के विनिहित किये जाने का प्रकार तथा किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के किसी वर्ग में विनिधान का अनुपात विहित कर सकेंगे;

(चौबीस)किसी ऐसे भविष्य निधि के प्रति, जो कि किसी सोसाइटी द्वारा उन अधिकारियों या कर्मचारियों के, जो कि उनके द्वारा नियोजित किये गये हों, फायदे के लिए स्थापित की गई हो, अभिदाय के संदाय के लिए तथा ऐसी भविष्य निधि के प्रशासन के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(पच्चीस)सदस्यों के साधारण सम्मिलनों के लिए तथा ऐसे सम्मिलनों में की प्रक्रिया तथा ऐसे सम्मिलनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(छब्बीस)समिति के सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, उनके निलंबन एवं उनके हटाये जाने के लिए तथा धारा 79 के अधीन किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए उपबंध कर सकेंगे और समिति के सम्मिलनों में की प्रक्रिया विहित कर सकेंगे तथा समिति, व्यक्ति या व्यक्तियों एवं अन्य अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों तथा पालन किये जाने वाले कर्त्तव्यों के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(सत्ताईस)किसी सोसाइटी या किसी वर्ग की सोसाइटियों की समिति के सदस्यों तथा किसी सोसाइटी या किसी वर्ग की सोसाइटियों के कर्मचारियों के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं तथा सेवा की वे शर्तें, जिनके

कि अध्यधीन व्यक्तियों की सोसाइटियों द्वारा नियुक्ति की जा सकेगी, विहित कर सकेंगे;

(अठाईस)सोसाइटी द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां विहित कर सकेंगे तथा ऐसे व्यक्ति जिसके द्वारा तथा ऐसे प्ररूप जिसमें ऐसी विवरणियां प्रस्तुत की जायंगी, के संबंध में उपबंध कर सकेंगे;

(उन्तीस)ऐसे व्यक्ति, जिसके द्वारा तथा ऐसे प्ररूप जिसमें दस्तावेजों तथा सोसाइटी की पुस्तकों में की प्रविष्टियों की प्रतिलिपियां प्रमाणित की जा सकेंगी, के संबंध में तथा उनकी प्रतिलिपियों का प्रदाय किया जाने के लिए उद्ग्रहित किये जाने वाले प्रभारों के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(तीस) वे लेखे तथा पुस्तकें, जो सोसाइटी द्वारा रखी जानी हों, विहित कर सकेंगे तथा ऐसे लेखाओं की संपरीक्षा एवं ऐसी संपरीक्षा के लिए किये जाने वाले प्रभारों, यदि कोई हों, के लिए तथा किसी सोसाइटी की आस्तियां तथा उसका दायित्व दर्शाने वाले तुलनपत्र के नियतकालिक प्रकाशन के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(इक्तीस) रजिस्ट्रार के नामनिर्देशित व्यक्ति या नामनिर्देशित व्यक्तियों के बोर्ड की नियुक्ति के लिए, उन कार्यवाहियों में, जो रजिस्ट्रार, उसके नामनिर्देशित व्यक्ति या नामनिर्देशित व्यक्तियों के बोर्ड के समक्ष हों, अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए तथा विवाद के अवधारण के लिए व्ययों के नियत तथा उद्ग्रहित किये जाने के लिए और ऐसी कार्यवाहियों में विनिश्चयों को प्रवर्तित या अधिनिर्णयों को निष्पादित करने के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(बत्तीस)आदेशिकाओं के जारी किये जाने तथा उनकी तामील के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(तेंतीस)इस अधिनियम या नियमों के अधीन शोध्य किन्हीं राशियों की वसूली के लिए प्रक्रिया तथा उसकी पद्धति विहित कर सकेंगे;

(चौंतीस)धारा 101 के अधीन कुर्क की गई संपत्ति की अभिरक्षा के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;

(पैंतीस)धारा 107 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के लिए प्रक्रिया तथा शर्तें एवं किसी समापक द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे और अधिशेष आस्तियों के व्ययन के लिए उपबंध कर सकेंगे;

(छत्तीस)अपीलें एवं पुनर्विलोकन पेश करने तथा निपटारे में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया विहित कर सकेंगे;

(सड़तीस)किसी ऐसे आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय के, जिसका संसूचित या प्रकाशित किया जाना इस अधिनियम या नियमों के अधीन अपेक्षित है, संसूचित किये जाने या प्रकाशित किये जाने की पद्धति विहित कर सकेंगे;

(अड़तीस)समस्त ऐसे विषयों के लिए, जिनका कि नियमों द्वारा विहित किया जाना इस अधिनियम द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात हो, उपबंध कर सकेंगे.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेंगे.

निरसन तथा व्यावृत्तियां.

141. (1) छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्र. 17 सन् 1961) एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी,–

(एक) किसी भी ऐसी सोसाइटी के, जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट की गई अधिनियमितियों के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है और या रजिस्ट्रीकृत की गई समझी जाती है, संबंध में यह समझा जायगा कि वह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई और उसकी उपविधियों के, जहां तक कि वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों , संबंध में यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है और तब तक प्रवृत्त बनी रहेंगी जब तक कि परिवर्तित या विखंडित न कर दी जायें.

(दो) उक्त अधिनियमितियों में से किसी भी अधिनियमिति के अधीन की गई समस्त नियुक्तियों, बनाये गये नियमों, किये गये आदेशों, जारी की गई अधिसूचनाओं तथा सूचनाओं एवं संस्थित किये गये वादों तथा अन्य कार्यवाहियों के संबंध में यावत्शक्य यह समझा जायगा कि वे इस अधिनियम के अधीन क्रमशः की गई है, बनाये गये हैं, किये गये हैं, जारी की गई तथा संस्थित की गई हैं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राज्य शासन ने सहकारिता की क्षेत्र में अधिकतम सक्रिय जनभागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया हैं । इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान, समितियों की सदस्यता के लिए योग्यता का निर्धारण, सहकारी सोसाइटियों के हितो की रक्षा हेतु न्यायिक एवं प्रशासनिक क्रियाकलापों का आंशिक रूप से पृथक्करण, न्यायाधिकरण की पुर्नस्थापना एवं राज्य सहकारी निर्वाचन आयोग का गठन इत्यादि किया जाना है। वर्तमान अधिनियम में कई धाराओं एवं उपधाराओं में पूर्व में किए संशोधनों के कारण अधिनियम की धाराओं को व्यवस्थित करना भी आवश्यक है। अतः उक्त प्रयोजन से राज्य शासन द्वारा सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 को निरसन कर छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2006 प्रस्तुत है।

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

(रामविचार नेताम)
गृह, जेल, सहकारिता मंत्री,
भारसाधक सदस्य.

रायपुर
तारीख 28-3-2006

"संविधान के अनुच्छेद 207 (1) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित"

वित्तीय ज्ञापन

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 के खण्ड 2 (अठारह), 2 (उन्तीस), 3 (1) (तीन), 3(1) (पांच), 48 (1), 75 (1) और 114 में प्रस्तावित प्रावधान किए जाने के फलस्वरूप राज्य शासन पर प्रतिवर्ष अनुमानित रूपये 1,46,37,000.00 (रूपये एक करोड़ छियालीस लाख सैंतीस हजार मात्र) का वेतन, अन्य व्यय एवं सोसाइटी को होने वाली हानि की भरपाई में अतिरिक्त आवर्ती वित्तीय भार आवेगा.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी विधेयक, 2006 के खण्ड 140 के अधीन राज्य सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम एवं विनियम बनाने की शक्ति प्रत्यारोपित की गई है, जो सामान्य प्रकार की है.

देवेन्द्र वर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.